हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शनिवार, दिनांक 27 अगस्त, 2016 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

27/08/2016/1100/RKS/AS/1

स्थगित प्रश्न संख्याः 2727

श्री इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक पिछले 3 सालो में सरकार ने 34 नई गाड़ियां चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन हेतु खरीदी हैं। कुल गाड़ियां 42 हैं। इन गाड़ियों को खरीदने हेतु लगभग 3.20 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। अगर आप गाड़ियों की इन्डविजूअल कीमत देखें तो it ranges around 60 lakh केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम की गाड़ी की कीमत 9 लाख है, बाकि सभी गाड़ियों की कीमतें 16 लाख के लगभग हैं। इतनी महंगी गाडियां खरीदने की सरकार को क्या जरूरत थी? जबकि प्रदेश लगभग 36 हजार करोड़ रुपये के कर्ज़ के नीचे चल रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किस रेंज तक गाड़ियां खरीदी जानी चाहिए, इनके क्या नॉर्म्स होने चाहिए और किस माइलिज़ के बाद पहले वाली गाड़ी को डिस्कार्ड करना चाहिए? क्या इसके लिए कोई नॉर्म्स है or it is up to the fancies of the Chairmen or Vice Chairmen or the finance sanctioning authority. मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो सरकारी गाड़ियां हैं, वे किस विंटेज माइलिज़ के हिसाब से डिस्कार्ड की जाती हैं? इसके अतिरिक्त कितने ऐसे ओ.एस.डी., चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं जिनके पास दो-दो गाड़ियां हैं?

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

27.08.2016/1105/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 2727 ...जारी

Chief Minister: Mr. Speaker, Sir, the Hon'ble Member has asked a very important question. We have a number of Chairmen and Vice Chairmen of various Boards and Corporations. It is imperative that they should be provided with vehicles, so as to make a functioning proper and easy. Most of these

vehicles, which have been sanctioned, are in replacement of the old ones which has lived a normal life. Secondly, except in one case, the funding of the vehicles has been done by the Boards and Corporations themselves from their own resources.

अध्यक्ष : बिन्दल जी, आप अपना सप्लीमैंटरी पूछें।

डॉ० राजीव बिन्दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है, इसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि क्योंकि कुछ निगमों व बोर्डों के चेयरमैन्ज स्वयं मंत्री हैं जबकि वहां भी चेयनमैन्ज और वाईस-चेयरमैन्ज, दोनों को ही गाड़ियां दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ में चेयरमैन को गाड़ी दी गई है तथा हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम में चेयरमैन और वाईस-चेयरमैन दोनों को क्रमशः 12.44 लाख रुपये और 14.66 लाख रुपये की गाड़ियां दी गई हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में चेयरमैन के ही अकाऊंट में 2 गाड़ियां लिखी हैं। एक गाड़ी 13,86,287 रुपये की है और दूसरी गाड़ी 22,30,334 रुपये की है। ये दोनों गाड़ियां चेयरमैन के ही अकाऊंट में गई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मंत्रालय की गाड़ी उनके पास है तो उसके बाद निगम की दो गाड़ियां उनके पास रखने के क्या कारण रहे होंगे कि इनको ये गाड़ियां देनी पड़ीं? 22.00 लाख रुपये की कीमत तक की गाड़ियों उनको दी गई हैं, इसका क्या कारण है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी वाहन दिए गए हैं वह केवल replacement of the old vehicles which have covered

Continue by DC

27/08/2016/1110/RG/DC/1

प्रश्न सं.2727---क्रमागत

मुख्य मंत्री ----क्रमागत

over 2 lakh kilometers and were 8 years old. जो गाड़ी दो लाख किलोमीटर से ज्यादा चली है और आठ साल पुरानी है उन्हीं को ही रिपलेस किया गया है। माननीय सदस्य ने एक दूसरा प्रश्न भी पूछा था। वह क्या था?

डा. राजीव बिन्दल : दूसरा प्रश्न यह था कि जो चेयरमैन हैं, वे मंत्री भी हैं और मंत्रालय की गाड़ी उनके पास है और विभाग या निगम/बोर्ड की गाड़ी भी उनको दी गई है। इसके अतिरिक्त एक मामले में तो दो गाड़ियां चेयरमैन को इशु हुई हैं जिनमें से एक गाड़ी 14,00,000/-रुपये की और दूसरी 23,00,000/-रुपये की है।

मुख्य मंत्री : आप बताएं कि किस चेयरमेन को दो गाड़ियां इशु हुई हैं।

डा. राजीव बिन्दल : हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमेन को। यह आपने ही इसमें उत्तर दिया है।

मुख्य मंत्री : इसमें ऐसा है कि जो नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं उन्होंने सरकारी गाड़ी वापस कर दी है। He doesn't have a Government vehicle और वह इसके चेयरमेन भी हैं। इस नाते उन्होंने यह गाड़ी ली है।

प्रश्न समाप्त

27/08/2016/1110/RG/DC/2

प्रश्न सं. 3092

श्री अनिरूद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो हमारे प्रदेश के होनहार खिलाड़ी हैं जो राज्य, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स की विभिन्न गतिविधियों में कामयाबी हासिल करते हैं और मैडल हासिल करते हैं। पिछले तीन सालों में 42 लोगों को स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी दी गई। परन्तु इसके बावजूद जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं वे हिमाचल प्रदेश में नौकरी नहीं करना चाहते। क्योंकि उनको थर्ड क्लास की जैसे लाईनमैन, लिपिक, वन रक्षक आदि की नौकरी दी जाती है, परन्तु पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों में उन्हें डी.एस.पी. पद का रैंक दिया जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि

जो हमारे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उन्हें कम-से-कम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट क्लास ऑफिसर का पद दिया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है वह बहुत विस्तृत है और जो माननीय सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न पूछा है, तो यह सारी जानकारी मूल प्रश्न के उत्तर में दे दी गई है।

Sh. Ajay Mahajan: Speaker Sir, I would like to request Chief Minister Sir, that there is a boy named Shiva Keshan. Four times he has won the Asian Winter Olympics in a sport called Luge and once he has won the International Winter Olympics. Sir, unfortunately he is not been recognized. He is the only Himachli who has gone up to Winter Olympics and who has won the sports called Luge. Sir, I would request if necessary amount of recognition is given to him.

Chief Minister: We shall examine this case.

Question Ends.

एम.एस. द्वारा जारी

27/08/2016/1115/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः 3142

बिक्रम सिंह जरयाल:अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में मेरा यह प्रश्न सातवीं बार लगा है और जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है वह भी अधूरी है। इसमें कई कर्मचारियों के नाम ही नहीं है जो घर में ही नौकरी कर रहे हैं। जिन्होंने घर में ही दफ्तर खोला है और घर में ही स्टोर है। सूचना में उनके नाम ही नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि इतने लोग जो घर में नौकरी कर रहे हैं, सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि इनको घर में ही लगा रखा है, कृपया यह बतलाने की कृपा करें?

Chief Minister: Hon'ble Speaker Sir, the Hon'ble Member is concerned about certain postings who are probably inconvenient to him. There is no ban on Officer being posted at whatever place provided he does not belong to the same constituency. In very sensitive cases the employees of the adjoining constituency also cannot be posted in that constituency, in certain categories. I have taken note of it and we will see all such Officers who are coming from adjoining constituencies and who have completed their tenure will be transferred.

श्री बिक्रम सिंह जरयाल: अध्यक्ष जी, इनमें से 75 प्रतिशत से अधिक ऐसे कर्मचारी हैं जो घर में ही नौकरी कर रहे हैं। छोटे कर्मचारियों को मैं मान लेता हूं जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं लेकिन जो ऑफिसर्ज हैं जैसे एस0डी0ओ0 और डिप्टी रेंजर्स इत्यादि हैं they are also appointed in their home Blocks. इसके अलावा Election Kanungo is also appointed in his home Block. क्यों है? मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक इनकी ट्रांसफर कर दी जाएगी?

अध्यक्ष: यही तो इन्होंने बोला है। He is looking into it.

27/08/2016/1115/MS/DC/2

मुख्य मंत्री: मैंने कह दिया है कि कुछ लोग काफी पहले से लगे हुए हैं और कुछ लोग रिसेंट ईयर में लगे हैं। <u>अगर यह पाया जाएगा कि नियमानुसार उनको वहां पर पोस्ट नहीं किया जा सकता तो निश्चित रूप से उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा।</u>

श्री इन्द्र सिंह: अध्यक्ष जी, जिन कर्मचारियों के दो से ज्यादा निवास स्थान हैं उनका होम ब्लॉक कैसे डिसाइड करेंगे यानी ऑल्टरनेट एडज्वाइनिंग ब्लॉक कैसे डिसाइड करेंगे? उदाहरण के लिए एक कर्मचारी जिसका मूल स्थान तो कांगड़ा या मण्डी में है लेकिन वह निवासी शिमला का है तो वह शिमला में सारी उम्र नौकरी कर सकता है क्योंकि वह यहीं

का रहने वाला है। मूल स्थान तो उसने रिकॉर्ड में कांगड़ा या मण्डी दिखाया है तो ऐसे व्यक्ति सिस्टम का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने केसिज हैं जिनके दो से ज्यादा निवास स्थान हैं और वे एक निवास स्थान का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। क्या सरकार इन पर कोई कार्रवाई करेगी?

मुख्य मंत्रीः उसका एड्रैस वह माना जाएगा जो एड्रैस एज पर सर्विस रिकॉर्ड है। उसने भले ही दस जगह मकान बनाए हों लेकिन सर्विस रिकॉर्ड में जहां पर उसने अपना एड्रैस दिखाया है, उसी को होम ब्लॉक माना जाएगा।

27/08/2016/1115/MS/DC/3

प्रश्न संख्याः 3464

श्री रवि ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तो हमारे यहां लाहौल-स्पिति में मोनो क्रॉप होती है यानी एक ही क्रॉप होती है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

27.08.2016/1120/**जेके/एजी**/1

प्रश्न संख्याः 3464:--**जारी**---

श्री रवि ठाकुरः----**जारी**----

जैसे कि मैंने अपने प्रश्न में साफ कहा हुआ है, इनसे पूछा गया था कि पांच गुणा हमारे बीज के रेट बढ़े हैं। इसके बावजूद इन्होंने यह ज़वाब दिया कि फ्रीज़ कर दिया गया है और वर्ष 2000 से लेकर इसके ऊपर एक भी रूपया नहीं बढ़ाया गया है। माननीय मंत्री महोदय, क्या इसका संज्ञान लेना जरूरी नहीं है? क्योंकि जो एग्रीकल्चर और होर्टिकल्चर है ये हमारे समाज की और कृषि की रीढ़ की हड्डी है। दूसरे, जो पांच गुणा बीज का रेट बढ़ गया है अगर इसमें सबसिडी न बढ़ाई जाए और एक ही सिंगल मोनोक्रॉप हो तो हमारे लोग निर्वाह

कैसे करेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं? क्या आप इसमें संज्ञान ले रहे हैं और इसमें सबसिडी बढ़ाने की आप सोच रहे हैं?

बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000 में सबसिडी फ्रीज़ की थी और हमने तो इसमें 50 प्रतिशत रखी हुई थी। अब जैसे कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बीज का भाव पांच गुणा बढ़ गया है तो सबसिडी पांच गुणा बढ़ कर 10 हजार प्रति क्विंटल होनी चाहिए थी। इसको बढ़ाने के लिए जैसे कि माननीय सदस्य ने प्रोपोज़ किया है, इसमें बहुत ज्यादा विभाग भी शामिल हैं। इसके बारे में सोचा जा सकता है उनके साथ बातचीत की जा सकती है लेकिन इस समय मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं। अगर हो सका तो जरूर करेंगे।

श्री रवि ठाकुरः अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री महोदय इस बारे में कोई समय सीमा देंगे?

बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हम बहुत जल्दी बातचीत शुरू कर देंगे।

27.08.2016/1120/जेके/एजी/2

प्रश्न संख्याः 3465

श्री सतपाल सिंह सत्तीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों का है कि हिमाचल प्रदेश में कम्युनिकेशन की दृष्टि से सड़क मार्ग ही हमारे लिए प्रमुख यातायात का साधन है लेकिन हिमाचल प्रदेश में बड़े लम्बे समय से राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, उसके बारे में मैंने यह प्रश्न किया है। एक तो मैं वर्तमान केन्द्र सरकार का, प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी का और सैंट्रल सरफेस मिनिस्टर, नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 5-6 जून को हिमाचल प्रदेश का दौरा किया जिसमें उन्होंने 56 नेशनल हाई वेज़ हमें दिए। वहीं, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में दो बड़े राष्ट्रीय मार्ग परवाणू से शिमला तक और

स्वारघाट से मनाली तक जो फोरलेन बन रहे हैं उसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम चला हुआ है। काफी लोग उसके विरोध में आन्दोलन कर रहे हैं। क्या मुख्य मंत्री जी यह बताएंगे कि जो भूमि अधिग्रहण जिन किसानों का हो रहा है, उनको मुआवज़ा जितना केन्द्र सरकार देना चाह रही है फोर टाईम्ज फेक्टर-टू के अन्तर्गत क्या उसके अन्तर्गत हम दे रहे हैं या फेक्टर टू जिसमें डबल दिया जाता है, उसके अन्तर्गत दे रहे हैं? दूसरे, मैं मुख्य मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जो नेशनल हाई वेज़ डिक्लेयर हुए हैं, क्या प्रदेश सरकार ने उनकी डी0पी0आर0 बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए विभाग को कोई आदेश किए हैं या उसके ऊपर कोई काम चल रहा है या नहीं चल रहा है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न के दो भाग कहे, मैं उन दोनों का ही उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि

अंग्रेजी में श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

27.08.2016/1125/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 3465 क्रमागत

Chief Minister Continues . . .

There are 18 national highways in Himachal Pradesh at present. During last three years, seven national highways have been declared and Rs. 575 lacs have been spent on national highway 154-A only out of seven national highways. Principle approval for 56 new highways has been received from the Government of India recently during June and July, 2016 with total length of 3759 kms. Four-laning work of two national highways is going on in Himachal as under:

National Highway 21 - from Kiratpur to Manali, estimated cost is Rs. 6403.77 crores; and

National Highway 22 - from Parwanoo to Shimla, estimated cost is Rs. 3,434.70 crores.

So far, 182.95 hectare land has been acquired for national highway - 21 with awarded cost of Rs. 802.1 crores and 121.24 hectare for national highway - 22 with awarded cost of Rs. 907.15 crores. Land acquisition is being done as per factor 1 for all the roads. अभी मेरा उत्तर खत्म नहीं हुआ है, सब्र कीजियेगा। सब्र का प्याला लबालब मत कीजियेगा। I would like to say about the issues which have been raised in this Hon'ble House that the Consultancy contracts for the newly, in principle, declarations 56 Nos. national highways has been called for preparing Detailed Project Reports. Recently apart from the old roads which are under construction, 56 new highways and roads have been declared which are still on paper. We have asked for Detailed Project Report regarding these roads. The cost for this Consultancy as per the Government of India is Rs. 170 crores. The funds requested from the Government of India so that the additional works and Consultancy can be done so as to make the proper estimates. The case for notifying the already developed roads under World Bank Funded Projects and tunnel, DPRs of the 56 in principle announcements

27.08.2016/1125/SS-AG/2

are being sent to the Government of India because whatever announcements have been made, we are sending them to the Government of India for further action and further action will be taken only after we get grant from the Government of India. For their proper survey and proper work programme estimates etc. will be framed accordingly. Then the stage will arrive when the works for the construction of these roads etc. will be awarded. जो-जो सड़कें भारत सरकार की होंगी, उसकी जमीन का कम्पनसेशन भी भारत सरकार ही देगी।

श्री सतपाल सिंह सत्ती: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने काफी विस्तार से उत्तर दिया है। मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस समय केन्द्र सरकार/आदरणीय मोदी जी ने भूमि अधिग्रहण बिल

जारी श्रीमती के0एस0

27.08.2016/1130/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्या 3465 क्रमागत

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी-----

केन्द्र में लाया था, उस समय उस भूमि अधिग्रहण के विरोध में कांग्रेस के नेताओं ने पूरे देश में बड़ी हाय-तौबा मचाई थी। कोई बोलता था कि उसका 20 गुणा किसानों को मिलना चाहिए, किसान उजड़ जाएंगे। कोई 10 गुणा बोलता था, कोई सौ गुणा और कोई हजार गुणा बोलता था। आज हिमाचल प्रदेश में यह स्थिति आई है कि केन्द्र सरकार ने हमें नेशनल हाईवेज़ दिए हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा लैंड एक्वायर होनी है और दो रोड़ज़ के लिए जो लैंड एक्वायर हो रही है उसमें ध्यान में आ रहा है कि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार को फैक्टर-II के अंतर्गत जिसके अंतर्गत चार गुणा मार्किट वैल्यू से ज्यादा देने को तैयार है उसका भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार जिसने उस समय पूरे देश में आन्दोलन किया था, मोदी जी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, किसानों को उकसाने की कोशिश की और आज उसी पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में किसानों को फैक्टर-2 के अंतर्गत जिसमें दो गुणा ज्यादा दिया जाता है, वह दे रही है। क्या मुख्य मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश में जितना केन्द्र सरकार देना चाहती है, कम से कम उतना फैक्टर-II के अंतर्गत किसानों को मुआवज़ा देंगें या नहीं देंगें? और यदि केन्द्र सरकार के नेता जो आपके थे उनके टाईम में दस गुणा देना चाहते थे तो आप वह भी दें, जो उस समय आप धरने दे कर कहा करते थे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो लैण्ड एक्यूजिशन एक्ट है, वह जैसा है, वह है। जिसने पास किया आज भी वही लागू है। अगर उसमें संशोधन होगा तो उसको लागू किया जाएगा। जो वस्तुस्थिति आज है उसी के मुताबिक मुआवज़ा दिया जाएगा। Law as it stands

today according to that अगर केन्द्र सरकार चाहे तो लोक सभा में उस बिल को अमैंड कर सकती है। ....व्यवधान..... प्रदेश सरकार इसमें नहीं आती है। The Land Acquisition Act is passed by the Parliament और उसी के मुताबिक हमें मुआवज़ा देना है। ----(व्यवधान)---- अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं बताता हूं। मैं यह कहना

27.08.2016/1130/केएस/एएस/2

चाहता हूं कि जो मुआवज़ा है वह सैंट्रल लैंड ऐक्युजिशन एक्ट के मुताबिक है। पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता।। am concerned with the Land Acquisition Act, as it stands today और उसी के मुताबिक मुआवज़ा दिया जाएगा। कल को अगर उसमें कोई अमैंडमैंट आएगी तो उसी के मुताबिक होगा।

महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी जो यह फैक्टर-। और फैक्टर -॥ की लड़ाई है इसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रीय उच्च मार्गों का भूमि अधिग्रहण आप करने जा रहे हैं, पहला तो यह है कि उसके लिए शत-प्रतिशत राशि भारत सरकार से दी जा रही है। जब शत-प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा दी जा रही है तो क्या कारण है कि आप उस फैक्टर-॥ को लागू नहीं करना चाहते? मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आप जो रेट लगा रहे हैं, आप सर्कल रेट लगा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2011-2012 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर थी, उस वक्त सर्कल रेट इसलिए लगाया गया था क्योंकि प्रदेश के अंदर ऐसी रजिस्ट्रियां होती थीं कि जहां रजिस्ट्री पांच लाख की होनी होती थी, 50 हजार में कर दी जाती थी। इसलिए वह सर्कल रेट किया गया था कि नेशनल हाई-वे से इतनी दूरी होगी, स्टेट हाईवे से इतनी दूरी होगी, एम.डी.आर. से इतनी दूरी होगी और रूरल रोड़ से इतनी दूरी होगी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.8.2016/1135/av/as/1

प्रश्न संख्या : 3465 ---------- क्रमागत

श्री महेन्द्र सिंह ---------- जारी

माननीय मुख्य मंत्री जी, जिस प्रकार से इस प्रदेश में हिमुडा के अंतर्गत भू-अधिग्रहण किया जाता है और वह भू-अधिग्रहण भी जिला के डी0सी0 की अध्यक्षता में किया जाता है। उस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनने जा रहे हैं, आप क्या वहां पर भू-अधिग्रहण की उस प्रक्रिया को अपनायेंगे? साथ में, जब भारत सरकार के मंत्रालय से आपको पत्र आए हुए हैं और उन पत्रों की प्रतियां हमारे पास हैं तथा इसके लिए मुम्बई हाई कोर्ट के आदेश है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु फैक्टर-2 से कम कोई फैक्टर नहीं लगना चाहिए। तो क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार जिन-जिन किसानों की जमीनें नेशनल हाई-वे के बीच में जिनका भू-अधिग्रहण हो रहा है, वहां फैक्टर-2 लगायेंगे और फैक्टर-2 के मुताबिक ही सारी धनराशि दी जायेगी?

मुख्य मंत्री :अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मुआवजा फैक्टर-1 के मुताबिक ही दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इत्यादि कई राज्यों में ऐसा है। देश के अंदर केवल एक-दो राज्यों ने ही फैक्टर-2 को माना है बाकी सारे राज्य फैक्टर-1 के मुताबिक मुआवजा दे रहे हैं। मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि It is not time that Central Government has stipulated that Factor-2 should be right. We are not stipulated. वह जमीन ऐक्वायर कर रहे हैं। अगर वह कहते हैं कि हम फैक्टर-2 के मुताबिक मुआवजा देना चाहते हैं तो हमें क्या तकलीफ़ है। Let them stipulate this. At present, the land for Center Roads is also being done under Factor-1, as stipulated by the concerned Ministry कल को अगर वह यह कहेंगे कि आप फैक्टर-2 के मुताबिक मुआवजा दीजिए तो we do it, money is theirs.

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि अगर भारत सरकार दें तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। क्या आप सदन और प्रदेश को आश्वस्त करते हैं कि आप भारत सरकार को लिखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भी जो

27.8.2016/1135/av/as/2

जमीन ऐक्वायर होगी उसके लिए फैक्टर-2 लागू किया जाए और उसके अनुसार पैसा दिया जाए।

मुख्य मंत्री : देखिए, एक सैंट्रल रोड बन रही है और कुछ स्टेट गवर्नमैंट की अपनी रोड्ज बन रही हैं State is not in a position to pay compensation accordingly to Factor-2, that is very clear. If Central Government, for their roads, wants to pay compensation as per Factor-2 they can do it and I welcome it. But so far the our State Government is concerned, our pocket do not allow to give compensation more that Factor-1.

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि भारत सरकार जो ऐक्वायर कर रही है तथा वह पैसा देती है तो आप कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या आप भारत सरकार को लिखेंगे कि जो भूमि आपके लिए हम ऐक्वायर करेंगे उसमें फैक्टर-2 लागू किया जाए और वह पैसा हमें दिया जाए तथा वह पैसा हम आगे किसानों को पास-ऑन करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात पहले कह दी है और माननीय धूमल जी भी वही दोहरा रहे हैं। देखिए, जमीन भारत सरकार ने खरीदनी है और पैसा भी भारत सरकार से आयेगा। यहां पर जो भारत सरकार के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही है उसमें अगर वह उदारचित होकर फैक्टर-2 लागू करेंगे I have no objection. I will welcome it. और आप लोग भी तो जाइए व रिकोमैंड कीजिए कि फैक्टर-2 के हिसाब से मुआवजा

दिया जाए। But it is clear, so far as the acquisition for the State Government is concerned, only Factor-1 is applicable.

श्री टी0सी0 द्वारा जारी

27/08/2016/1140/TCV/DC/1

प्रश्न संख्याः 3465- क्रमागत।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भारत सरकार पैसा दे रही है, तो आपको उसमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। क्या आप भारत सरकार को लिखेंगे कि फैक्टर-॥ के तहत भूमि अधिग्रहण करने के लिए जितनी राशि हिमाचल प्रदेश के किसानों को दी जानी है, उसके लिए आप राशि दीजिए। दूसरा, मैं पूरे हाऊस से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश के लिए 56 नये राष्ट्रीय उच्च मार्ग मिले हैं। एक विशेष तोहफ़ा हिमाचल प्रदेश को दिया है। क्या सर्व-सम्मत्ति से ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसके द्वारा भारत सरकार और माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद किया जाएगा? ये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

मुख्य मंत्रीः मैं इस बात को बार-बार नहीं दोहराना चाहता हूं। Government of India is acquiring land. We are acquiring land for them. Our instruction is that it should be done as per Factor-1 and if Government of India want to give Factor-2 , let them say so . We will change the system and give the compensation as per Factor-2. So far as the State Government is concerned for its own works, we are not going to go beyond Factor-1. -(व्यवधान)--

अध्यक्षः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शान्ति रखिए। आप एक मिनट बैठ जाइये। एक प्रश्न पर 5 सैप्लीमैंटरी से ज्यादा नहीं की जा सकती है और जिन्होंने प्रश्न किया है, उनको पहले चॉन्स दिया जाएगा। -(व्यवधान)-- प्लीज़-प्लीज़ ।

मुख्य मंत्रीः प्लीज़ सुनिए। अगर आप सुनना चाहते हैं, तो सुनिए। Sir, I want to make it clear the Centre Government has not notified Factor-2 in case of acquisition of

land for National Highways. They have not done it. Let them notify. -(interruption)- No, no it is for them to notify. और मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात स्ट्रेट में भी नेशनल हाईवेज़ को बनाने के लिए फैक्टर-I ही लागू है। -(व्यवधान)--

अध्यक्षः प्लीज़ एक मिनट बैठिए। Please sit down. प्लीज़ एक मिनट बैठिए। Just a minute . Please sit down.

27/08/2016/1140/TCV/DC/2

Chief Minister: Speaker Sir, our Revenue Minister is here.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये जो भूमि अधिग्रहण कानून बना है, उस कानून के अंतर्गत स्टेट गवर्नमैंट को ऑथोराइज़ कर दिया गया है कि whether they would apply Factor-1 or Factor-2. Let me make it very clear कि हमने फैक्टर-I अप्लाई किया है और 2 बार यह विषय कैबिनेट में गया और the Cabinet in its wisdom decided to apply Factor-1 because we have to acquire land for construction of our rural roads, we have to acquire land for construction of housing colonies so we cannot afford.

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

27/08/2016/1145/NS/DC/1

प्रश्न संख्याः 3465-------क्रमागत।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री -------जारी

हम इसको decongestion नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार की सड़कें हैं, नैशनल हाईवेज़ हैं, फोरलेन्ज़ हैं, उसके लिए फैक्टर टू अप्लाई करें और स्टेट के लिए फैक्टर वन अप्लाई करें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि भाज़पा रूल्ड स्टेटस

में, पूरे उत्तरी भारत में फैक्टर वन है, हरियाणा में फैक्टर वन है। पंजाब में इनकी सरकार है, वहां फैक्टर वन है। जम्मू-कश्मीर में इनकी सरकार है, वहां पर भी फैक्टर वन है। गुज़रात में इनकी सरकार है, वहां पर भी फैक्टर वन अप्लाई किया हुआ है,उन्होंने क्यों नहीं फैक्टर टू अप्लाई किया? विपक्ष वाले इस मान्य सदन में ऐसे ही शोर मचा रहे हैं। (व्यवधान)

Speaker: Just a minute, Please sit down. कृपया आप बैठ जाईए। श्री गोबिन्द ठाकुर जी बैठिए। Please sit down. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं।

(विपक्ष के सदस्य सदन में नारे लगाते हुए।)

अध्यक्षः प्लीज़ आप बैठ जाईए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं।

(विपक्ष के सदस्य सदन से वॉक आउट कर गए।)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की जो भूमिका है, वह रचनात्मक भूमिका नहीं है। सिर्फ विरोध करने के लिए ये लोग इस मामले को उठा रहे हैं। जो हमारा भूमि अधिग्रहण कानून बना है, उसमें हम discrimination नहीं कर सकते। अगर केंद्र सरकार हमें लिख करके दे कि केंद्र सरकार के जो प्रोजैक्टस हैं उसमें आप फैक्टर टू लागू करें, तो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार किसानों की हितैषी है। हमारी सरकार किसानों को अच्छा मुआवज़ा देना चाहती है। इसके लिए हमने सर्कल रेट और मार्किट रेट भी रिवाईज़ किए हैं ताकि जिनकी भूमि का हम अधिग्रहण करेंगे, उनको उचित मुआवज़ा दिया जाए। इसके लिए हमारी सरकार वचनवद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की

27/08/2016/1145/NS/DC/2

जहां-जहां सरकारे हैं, चाहे वह पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और गुज़रात में हों, वहां पर इन्होंने फैक्टर टू क्यों नहीं लागू किया? वहां पर फैक्टर वन लगा हुआ है क्योंकि we cannot afford. हमने अपनी सड़कें बनाने के लिए ज़मीन अक्वायर करनी है। हमने

हाउसिंग कॉलोनीज़ के लिए ज़मीन अक्वायर करनी है। हमने कॉलेज बनाने के लिए ज़मीन अक्वायर करनी है। जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे फाईनैंशियल इतने अच्छे नहीं हैं कि हम उसके लिए चार गुणा दें, इसीलिए हम फैक्टर वन अप्लाई करेंगे। लेकिन किसानों को हम उचित मुआवज़ा देंगे जिनकी जमीनें फोर लेन या नैशनल हाईवे में जा रही हैं। किसानों को उचित मुआवज़ा देने के लिए हमारी सरकार वचनवद्ध है।

अध्यक्षः आप एक मिनट बैठिए।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

27/08/2016/1150/RKS/AG/1

प्रश्न संख्याः 3465... जारी

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आज वर्तमान सत्र का आखिरी दिन है और इसमें विपक्ष के लोग जलवा दिखाना चाहते हैं। नेशनल हाइवे के लिए जो ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है, अगर भारत सरकार हमें इसके बारे में पत्र लिखें कि इसके लिए हमें फैक्टर टू लागू करना है तो हम यह करने को तैयार हैं। लेकिन विपक्ष के लोग महज़ दिखावे के लिए शोर-शराबा कर रहे हैं। (Interruption)

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री)ः अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को भी सप्लीमैंटरी करने का मौका मिलना चाहिए। (Interruption)

Speakerः Just a minute. Please listen to me. बात यह है कि आपके प्रश्न लगे हुए हैं ...(व्यवधान) बात सुनिए। Please sit down. आप बैठ जाइए। जिन लोगों ने पहले प्रश्न किया हो उन्हें पहले बोलने का मौका दिया जाता है and those who have not contributed to the Question . . . (Interruption) जो प्रश्न लगा है उनको नहीं पूछना है? क्या जिनका प्रश्न नहीं है, उनको मैं पहले पूछ लूं? जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया है,

मैं उनको प्रश्न पूछने का मौका दूंगा। आप बैठ जाइए Don't be too loud? Moreover this is not your Question. आपके प्रश्न की कन्ट्रीब्यूशन नहीं है। You have not made this Question.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर वापिस आए)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) बैठिए-बैठिए(विपक्ष की और इशारा करते हुए) Just a minute. I am speaking. ...(व्यवधान)

Speaker: Next Question, Shri Jai Ram Thakur.

सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया जी ने आपके आदेशों की अवेहलना की है, उनके प्रति आपको एक्शन लेना चाहिए।

27/08/2016/1150/RKS/AG/2

अध्यक्षः मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन ...(व्यवधान) Just a minute. (Interruption) जिन लोगों का पहले प्रश्न होता है उनका पहला राइट है कि उन लोगों के प्रश्न पहले किए जाएं। जिन लोगों ने प्रश्न में कांट्रिब्यूट नहीं किया है they can't have to say कि उनको मत पूछिए और हमें पूछिए। This is a wrong way. मैं आपको बता दूं कि किसी प्रश्न पर दो या तीन सप्लीमैंटरी कर सकते हैं। पांच सप्लीमैंटरी से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। आप सभी लोग उठकर बोलते हैं कि, मैं बोलना चाहता हूं On one Question you can't speak all. आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री)ः अध्यक्ष महोदय, आज सत्र का आखिरी दिन है इसलिए आज एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने पहले प्रश्न किए, पहली प्रायोरिटी उन्हीं सदस्यों की बनती है।

अध्यक्षः यह बात तो मैं कह रहा हूं। I am saying this.

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया जी ने अध्यक्षपीठ का अपमान किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए...(व्यवधान)।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति यहां पर प्रश्न उठाता है उसके बाद सप्लीमैंटरी कोई भी माननीय सदस्य पूछ सकता है। यह नहीं है कि एक ही पार्टी के लोग सप्लीमैंटर पूछते रहें। We also have got a right to raise supplementaries. Second thing which I want to say जो आज यहां शोर-शराबा हुआ है वह शिमला में नहीं बल्कि दिल्ली में होना चाहिए। आप इस मामले को दिल्ली में जाकर उठाईए।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

27.08.2016/1155/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 3465 ...जारी

मुख्य मंत्री ...जारी

आप उठाओ। ...(व्यवधान)... आप इस हाऊस की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को क्यो डिस्टर्ब कर रहे हैं? Go to Delhi and shout there.

प्रोफ़ेसर प्रेम कुमार धूमल : सर, सरकार की यह इंटरनल कंट्राडिक्शन अपने आप सामने आई है। माननीय मुख्य मंत्री कह रहे थे कि ऐसा कोई आदेश केंद्र से नहीं मिला है कि फैक्टर-2 लागू किया जाए। रेवेन्यू मिनिस्टर ने जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि केंद्र ने प्रदेश पर छोड़ा है कि चाहे फैक्टर-1 लागू करो या फैक्टर-2 लागू करो। हम भी यही कह रहे हैं कि फैक्टर-2 लागू करो। फिर माननीय मुख्य मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि दिल्ली जाओ। क्या आप प्रदर्शन करने दिल्ली गए नहीं थे? ऐज चीफ मिनिस्टर आप डैमोस्ट्रेशन में शामिल हुए हैं। तब आप ज्यादा कंपनसेशन मांग रहे थे। अब 2 टाइम की बात है, 10 टाइम की तो बात ही नहीं है। Not ten times, two times, double. हम आपसे फैक्टर-2 की ही बात कर रहे हैं। इस समय फैक्टर-1 में दो गुणा मिलता है और हम

चौगुने की बात कर रहे हैं। हम आपको कह क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप भारत सरकार को लिखिए कि जो लैंड आप अक्वायर कर रहे हैं, उसके लिए जो आपने पैसा देना है वह फैक्टर-2 के अंडर दो। जो आपने स्टेट में देना है उसे आप कन्फ्यूज कर रहे हैं कि अगर केंद्र का पैसा ऐसे आएगा तो फिर हमें अपनी स्टेट में स्टेट रोड्ज और बिल्डिंग्ज के लिए भी उसी तरह देना पड़ेगा। That is a separate issue. लेकिन जो नेशनल हाई वेज और फोर लेन के लिए अक्वायर कर रहे हो, उसके लिए तो फैक्टर-2 लागू करो। हम तो इतनी बात कर रहे हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भूमि अधिग्रहण का मामला राजस्व विभाग देख रहा है। जैसे मैंने यहां कहा कि भाजपा शासित राज्यों में भी फैक्टर-1 ही लागू किया गया है, फैक्टर-2 नहीं है। ...(व्यवधान)... सर, मैंने पहले भी कहा कि दो अलग-अलग कानून नहीं हो सकते कि स्टेट गवर्नमैंट के लिए हम

27.08.2016/1155/SLS-AS-2

फैक्टर-1 लागू करें और केंद्र के लिए फैक्टर-2 लागू करें। केंद्र सरकार अपने प्रोजैक्ट्स के लिए अगर फैक्टर-2 की हमें इज़ाज़त देती है तो हम फैक्टर-2 लगा देंगे। यह केंद्र सरकार पर डिपैंड करता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि गुजरात में फैक्टर-1 है, हरियाणा में फैक्टर-1 है, जे.एंड के. में फैक्टर-1 है। जहां इनकी सरकारें हैं वहां फैक्टर-1 लगा हुआ है। देश के अंदर केवल कुछ राज्य हैं जहां फैक्टर-2 लगा रहे हैं। ये महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं। वहीं केवल फैक्टर-2 है। बाकी सभी राज्यों में फैक्टर-1 लागू किया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारे राजस्व विभाग का पूरा दायित्व होगा कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है, उनको उचित मुआवजा मिले। उसके लिए हमने सर्किल रेट पर रिवाइज किया है। उन क्षेत्रों में हमने मार्किट रेट को भी रिवाइज किया है। हमारी कोशिश होगी कि उनको ज्यादा-से-ज्यादा मुआवजा मिले। वह हमारे किसान हैं और हमारे अपने लोग हैं।

Question Hour is over.

27.08.2016/1155/SLS-AS-3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब कागज़ात सभापटल पर रखे जाएंगे।

अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित कागज़ातों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं -

1. हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के नियम, 2004 के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-2016;

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, अनुभाग अधिकारी/सहायक पंजीयक, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति(प्रथम संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)-बी(2)9/99 दिनांक 16.06.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.06.2016 को प्रकाशित;

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ पठित अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के गठन की अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)-बी(1)-1/98-पार्ट दिनांक 10.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.05.2016 को प्रकाशित;

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ पठित अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, निबन्धन और शर्तें(अध्यक्ष और सदस्य)

प्रथम संशोधन नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)-बी(1)-1/98-III दिनांक 10.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.05.2016 को प्रकाशित; और

27.08.2016/1155/SLS-AS-4

5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ पठित अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर(कार्य संचालन नियम और प्रक्रिया)(प्रथम संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)-डी(3)-4/2001-III दिनांक 10.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.05.2016 को प्रकाशित ।

अध्यक्ष : अब माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगी।

जारी ...श्री गर्ग जी

27/08/2016/1200/RG/AS/1
अध्यक्ष महोदय के पश्चात

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग, कुशल ग्राफ्टर/मुख्य माली, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएच0टी0सी0-बी(2)-3/2000 दिनांक 27.07.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.08.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

अध्यक्ष : अब बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संस्था अधनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27 (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का सूचना एवं अधिकार व प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15;

ii. हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम के अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-15;

(iii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15;

27/08/2016/1200/RG/AS/2

(iv) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15; और

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, खनन अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःईन्ड-ए-(ए) 3-2/99(ईस्ट)-।

दिनांक 23.12.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.01.2016 को प्रकाशित ।

अध्यक्ष : अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118(5) के अन्तर्गत प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा) हि0प्र0 द्वारा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

27/08/2016/1200/RG/AS/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। सर्वप्रथम श्री राकेश कालिया, सदस्य, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश कालिया, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का **152वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;
ii. समिति का **153वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10

(राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

iii. समिति का **154वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

iv. समिति का **149वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 87वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है;

v. समिति का **150वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 134वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट

27/08/2016/1200/RG/AS/4

सिफारिशों पर आधारित तथा **मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** से सम्बन्धित है; और

vi. समिति का **151वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 136वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2016-17) : अध्यक्ष, महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति के **28वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 36वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है से सम्बन्धित है; और

ii. समिति के **38वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 6वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

27/08/2016/1200/RG/AS/5

श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2016-17) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति का **23वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं।

27/08/2016/1200/RG/AS/6

<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा। अब श्री महेन्द्र सिंह जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री चर्चा का उत्तर देंगी।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसको मैं प्रदेश सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस टैक्स्ट का पढ़ देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "धर्मपुर विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत टिहरा-चोलथरा-रखोह में पेयजल की नियमित आपूर्ति न होने" से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस पूरे क्षेत्र में लगभग 13 पंचायतें पड़ती हैं और ये 13 पंचायतों का क्षेत्र पूर्ण रूप से ड्रॉट प्रोन एरिया है। इस ड्रॉट प्रोन एरिया में पीने के पानी के लिए जब यहां पर कोई सुविधा नहीं थी, तो उस समय हमारे यहां खात्रियों का निर्माण किया जाता था। वहां का Conglomerate Strata है उसमें chiselling की जाती थी और chiselling करने के उपरांत जैसे ही वर्षा ऋतु आती थी, वर्षा ऋतु के पानी का संग्रहण करके उन खात्रियों में डाला जाता था और फिर उन खात्रियों के पानी को पूरे साल इस्तेमाल किया जाता था।

वर्ष 1977 में जब इस प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी और संयोग से आदरणीय श्री शान्ता कुमार जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने, तो उस ड्रॉन प्रोन एरिया के लोगों की एक मांग आई कि हमें आप और कुछ मत दो, लेकिन हमें पीने-के-पानी की स्कीम दे दो। उस समय उस पीने-के-पानी की स्कीम का स्रोत रीसा की खड्ड थी

एम.एस. द्वारा जारी

27/08/2016/1205/MS/AS/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी--------

रिसा की खड्ड से उन्होंने कहा कि इस स्कीम के पानी को उठाकर जो पूरे-का-पूरा सूखग्रस्त क्षेत्र है जिसमें 13-14 पंचायतें पड़ती हैं, इन पंचायतों को हम दो सालों के अंदर पानी देंगे। मैं आज इस सदन के माध्यम से श्री शांता कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता

हूं कि ठीक दो वर्ष के अन्तराल के बीच में उठाऊ पेयजल योजना रिसा से टिहरा-आवाहदेवी उस स्कीम पर काम शुरू हुआ और दो साल में ही उसका उद्घाटन होकर लोगों को पानी दिया गया। एक आशा की किरण लोगों को बंधी कि नहीं, सरकार बहुत बड़े-बड़े काम भी कर सकती है। जैसे-जैसे लोगों को सुविधा मिली तो कुछ वर्षों के उपरान्त ऐसा हुआ कि रिसा की खड्ड में पानी का स्तर घटता ही चला गया और इतना घट गया कि उस पूरे क्षेत्र को पानी देने की क्षमता उस खड्ड के अंदर नहीं रही। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2004-05 में एक नई स्कीम काण्डापतन से आवाहदेवी का निर्माण कार्य किया गया और उस स्कीम में एम0एस0 पाइप्स लगाई गईं। जो एम0एस0 पाइप्स हैं उनके अंदर फैक्टरी कोटिंग होनी चाहिए थी लेकिन वह कोटिंग उन पाइपों में नहीं की गई थी जिसकी वजह से उस स्कीम की जिस दिन टैस्टिंग की गई तो उन पाइपों में से लगातार लाल पानी निकल रहा था। फिर लोगों को अंदेशा हुआ कि कहीं दरिया में लाल पानी तो नहीं है क्योंकि दरिया वहां से काफी दूर थी। अतः पांच-छः दिनों के बाद जब ठीक पानी मिलना शुरू हुआ तब लोगों को पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं थी। उन 13-14 पंचायतों के उस क्षेत्र में जैसे-जैसे आबादी बढ़ी, जैसे-जैस लोगों को पीने-का-पानी मिलना शुरू हुआ तो पशुधन जो हमारे किसानों का मुख्य व्यवसाय है, उनको भी पानी वहीं से मिलने लगा। जैसे मैंने कहा कि वर्षा कम होने की वजह से जिन खात्रियों का इस्तेमाल पहले किया करते थे उनका इस्तेमाल आहिस्ता-आहिस्ता बन्द हो गया। जो दूसरी स्कीम बनाई थी, जो रिसा वाली स्कीम थी उसको उस क्षेत्र से काटकर केवलमात्र एक ही नगर पंचायत सरकाघाट और चौक पंचायत के लिए कर दिया गया। जो काण्डापतन से और ब्यासा नदी से आवाहदेवी को पानी उठाया गया, उस स्कीम से फिर 13-14

27/08/2016/1205/MS/AS/2

पंचायतों को पानी देना शुरू किया। मुझे बड़े दुःख से कहना पड़ रहा है कि जो पाइपें वर्ष 2004-05 में बिछाई गई थीं आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि काण्डापतन से लेकर के आवाहदेवी तक वे सारी-की-सारी पाइपें हररोज कहीं-न-कहीं से टूट जाती हैं। वे

पाइपें 9-10 इंच की हैं और कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन पाइप कहीं से फटी नहीं होती है। जब राइजिंग मेन ही फट जाएगी तो पानी ऊपर उठने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आज पूरे क्षेत्र के अंदर जो 13-14 पंचायतें हैं उनको पीने-का-पानी कभी 15-20 दिन के बाद और आजकल बरसात के दिनों में तो एक महीने के उपरान्त मिल रहा है। हमने विभाग को बार-बार कहा और XEN, SE और चीफ इंजीनियर को भी कहा। उसके उपरान्त फिर हमने यह उचित समझा कि चूंकि हमारे साथ जो एक गैर-इंसाफी हो रही है इस तरफ कोई ध्यान हीं नहीं दे रहा है, उस दृष्टि से हमने उस पूरे क्षेत्र के लिए 41 करोड़ रुपये की एक नई स्कीम भारत सरकार से वर्ष 2012 में लाई और उस स्कीम का विधिवत रूप से शुभारम्भ किया। जुलाई, 2012 को उस स्कीम का टैण्डर फाइनेलाइज हुआ और काम ठेकेदार को अवार्ड हो गया। वर्क अवार्ड होने के उपरान्त ठेकेदार ने जुलाई, 2012 को काम शुरू किया और जो स्टीपुलेटिड पीरियड था वह दो वर्ष का था। जुलाई, 2014 से उस स्कीम के तहत विधिवत रूप से उस क्षेत्र की 13-14 पंचायतों को पानी मिलना था लेकिन अध्यक्ष जी, एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जो नई स्कीम, जिस स्कीम के लिए 41 करोड़ रुपया भारत सरकार से हमने लाया, उस स्कीम की आज बहुत दुर्गति है। अध्यक्ष जी, मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि उस स्कीम के लिए जो राइजिंग मेन का काम शुरू किया गया है,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

27.08.2016/1210/जेके/डीसी/1

श्री महेन्द्र सिंहः------**जारी**------

उस काम में जब वर्ष 2013 में उसकी राइजिंग मेन बिछना शुरू ही हुई थी, उस वक्त जो सरकाघाट मण्डल का आई0पी0एच0 विभाग का एक्सिअन था और जो सरकाघाट उप-मण्डल का एस0डी0ओ0 था और उस स्कीम के लिए जिस जे0ई0 की ड्यूटी लगाई गई थी कि आपकी देखरेख में यह पूरी राइजिंग मेन बिछेगी, मैंने उस वक्त के एक्सिअन साहब को, एस0डी0ओ0 साहब को बुला करके कहा था कि आप राइजिंग मेन का काम ब्यासा नदी से सोहन खड्ड के बीचों-बीच ला रहे हैं। यह एक ऐसी खड्ड है जिसमें इतना पानी आता

है कि जब बरसात का समय होता है तो यह ब्यासा नदी को रोक लेती है लेकिन खड्ड से जो पाईपें बिछाई गई उन पाईपों के बारे में वर्ष 2013 में मुझे विभाग ने कहा, एक्सिअन साहब कहने लगे कि इंजीनियर लोग तो ऐसे होते हैं कि वे तो समुद्र के बीच से भी पाईपें बिछा करके स्कीमें बनाते हैं। मैं आज उन इंजीनियर्ज़ से पूछना चाहता हूं जिन्होंने एक ऐसा काम किया कि उस खड्ड के बीचों-बीच एक राइजिंग मेन बिछाई और उसके उपरांत ठीक 2014 में उस खड्ड में पानी आया और उस पानी की वज़ह से वह सारी की सारी राइजिंग मेन टूट गई। जब राइजिंग मेन टूट गई तो हमने विभाग से पूछा और बार-बार मैंने इस माननीय सदन में प्रश्न किए हैं, हमने पूछा कि उठाऊ पेयजल योजना कांडापत्तन से सरकाघाट-चौंतड़ा की योजना है, उसका काम कब पूरा होगा तो मुझे ज़वाब मिलता रहा कि अब 80 प्रतिशत काम हो चुका है, अब 85 प्रतिशत काम हो चुका है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज उस 13 पंचायतों की लगभग 40 हजार जनता पीने के पानी से त्राहि-त्राहि कर रही है। आजकल बरसात का समय है और बरसात के समय में भी एक महीने के बाद पानी आता है। जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो महामहिम् राज्यपाल महोदय को हमारे प्रधानों ने, बी0डी0सी0 के सदस्यों ने और मैंने स्वयं जा करके महामहिम् राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में हमने महामहिम् राज्यपाल महोदय से निवेदन किया कि हमारी जो उठाऊ पेयजल योजना जो कि कांडापत्तन से सरकाघाट चौंतड़ा की है और उसी के साथ दूसरी

27.08.2016/1210/जेके/डीसी/2

योजना जो कि कांडापत्तन से विदपट्टा शमशो की है जो कि गोपालपुर क्षेत्र, सरकाघाट के क्षेत्र को 5-6 पंचायतों को पानी उपलब्ध करवाएगी। उन दोनों उठाऊ पेयजल परियोजनाओं का काम एक ही ठेकेदार को दिया गया है। दोनों की राइजिंग मेन सरकाघाट वाली स्कीम की राइजिंग मेन सात किलोमीटर कि टूट करके उसके टोटे-टोटे हो गए हैं और जो विदपट्टा समशो की जो राइजिंग मेन है उसकी 10 किलोमीटर तक की राइजिंग मेन जो कि खड्ड-खड्ड के बीच में बिछाई गई थी उसके टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं

और उसकी पाइपें बिल्कुल खराब हो चुकी है। महामहिम् राज्यपाल महोदय का इस हाऊस के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और मुझे कहा कि ठाकुर जी, आप बैठिए मैं सचिव, आई0पी0एच0 को बुलाऊंगा और यहां पर बैठ करके उनको कहूंगा कि इसकी छानबीन की जाए। छानबीन में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं, आज माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं, इस प्रदेश की सरकार से जानना चाहता हूं कि जो सात किलोमीटर लाईन सरकाघाट स्कीम की टूटी हुई है, जो 10 किलोमीटर की लाईन विद्पट्टा शमशो स्कीम की टूटी हुई है, बड़ी हैरानी की बात है कि उन राइजिंग मेन्ज़ को बिछाती बार जब उनको खड्डों के बीचों- बीच बिछाया गया,एक ही ठेकेदार के पास दो स्कीमें हैं। उसने जब राइजिंग मेन बिछाई उस राइजिंग मेन को वहां से सोर्स ऑफ पम्प हाऊस था वहां से उस खड्ड के दोनों तरफ सड़कें हैं। ऐसा नहीं कि सड़कें नहीं है। एक तरफ भी सड़क है और दूसरी तरफ भी सड़क है। वे बहाना बना रहे हैं कि नेशनल हाई वे वालों ने हमें परमिशन नहीं दी। अगर नेशनल हाई वे वालों की सड़क एक तरफ से तीन किलो- मीटर आती थी तो दूसरी तरफ हमारे हिमाचल प्रदेश का स्टेट हाई वे था। उस स्टेट हाई वे की तरफ से उन दोनों राइजिंग मेन को ले जाते तो आज उस 40 हजार की आबादी को उन दो विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के अन्दर पानी मिलता लेकिन आज दोनों विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और जो टुकड़े-टुकड़े पाईपों के हुए हैं, उनको देख रहे हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाईंड अप करिए। काफी हो गया।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

27.08.2016/1215/SS-DC/1

श्री महेन्द्र सिंह : सर, पूरा तो बोलना ही पड़ेगा।

अध्यक्षः यह नियम-62 का इश्यु है और काफी लम्बा हो गया है।

श्री महेन्द्र सिंहः सर, पूरा तो बोलना ही पड़ेगा अन्यथा इनको भी मुद्दे का क्या पता लगेगा।

अध्यक्षः टाइम की कोई लिमिट भी होती है।

श्री महेन्द्र सिंहः इस करके जो दोनों स्कीमें हैं मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा, मेरा आई0पी0एच0 मिनिस्टर महोदया से अनुरोध रहेगा कि आप इस सदन के बीच में एश्योर करें कि वह जो 13 पंचायतों का क्षेत्र है और 5-6 पंचायतों का क्षेत्र सरकाघाट चुनाव क्षेत्र का पड़ता है उन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो पाइप लाइनें एक एक्सीयन की गलती की वजह से टूटी हुई हैं, एक्सीयन ने कहा कि हम तो समुंद्र के नीचे से भी पाइपें ले जाते हैं, आज मैं चाहता हूं कि विभाग की मंत्री महोदया उस एक्सीयन के खिलाफ ऐक्शन लें। आप उन डिपार्टमैंटल इंजीनियरों के खिलाफ ऐक्शन लीजिये, जिन्होंने हमारी उस स्कीम का बेड़ागर्क कर दिया। एक मीटर लम्बाई की पाइप की कीमत 6 हजार रुपया है। सात किलोमीटर लम्बी जो पाइप लाइन टूटी है अगर आप उसकी कॉस्टिंग करें तो कितनी बनती है आप उसका अंदाजा लगाएं। वह 4 करोड़ 20 लाख रुपया बनती है। और जो दूसरी स्कीम है उसकी राइजिंग मेन पाइप की एक मीटर की कीमत 2500 रुपया है। आप अगर 10 किलोमीटर की कॉस्टिंग लगाएं तो ढाई करोड़ रुपया बनती है। अगर इन दोनों को जोड़ें तो कॉस्ट ऑफ पाइप 7 करोड़ रुपया बनती है। 7 करोड़, कॉस्ट ऑफ पाइप बरबाद हो गई। आपको 7 करोड़ की और पाइप लानी पड़ेंगी। 14 करोड़ रुपया बन गया। उसमें एक-एक फ्लैंज़ जो लगा हुआ है उसकी कीमत 16-16 हजार रुपया है। मैडम जी, 16 हजार रुपये का जो फ्लैंज़ लगा है वह पाइप में एक बार लगता है। वह बार-बार नहीं लगता है। वह चूड़ियों से नहीं लग सकता। फ्लैंज वैल्ड होता है। वह एक बार वैल्ड होता है उसको दूसरी बार वैल्ड नहीं किया जा सकता है। एक-एक फ्लैंज 16-16 हजार रुपये का है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसकी छानबीन करिये। हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। आपके ऊपर कोई शक नहीं है कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई है। अगर कोताही हुई है तो आई0पी0एच0 विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी वजह से कोताही हुई है। मण्डलायुक्त, मंडी जिनको इंवैस्टीगेशन टीम का मुखिया चुना गया है, हमारे धर्मपुर के लोगों ने उनको भी एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में हमारे कोई 20-21 प्वाइंटस हैं।

27.08.2016/1215/SS-DC/2

हमने कहा कि आप इसकी इंवैस्टीगेशन कर रहे हैं तो कम-से-कम जो हमारे 20-21 प्वाइंटस हैं आप इनकी छानबीन हमारे सामने करिये। माननीय अध्यक्ष जी, दो राइजिंग मेन

इकट्ठी बिछाईं। खड्ड के बीचोंबीच एक जे0सी0बी0 मशीन लगाई। ख़ाली करते रहे और दोनों राइजिंग मेन बिछाते रहे लेकिन जब पेमैंट कॉंट्रैक्टर को की गई तो वह टू-टाइम की गई। हमारा आरोप है कि जब एक बार दोनों पाइप लाइनें बिछी हुई हैं तो कैसे उसको दो टाइम की पेमैंट कर दी गई। मेरा दूसरा आरोप है कि जब एक्सीयन, पी0डब्ल्यू0डी0, धर्मपुर को कहा गया कि आप इसकी पैमाइश करिये। तो पैमाइश से पहले क्या किया गया कि उससे पहले ही उन दोनों राइजिंग मेनों में जे0सी0बी0 लगाई गई। जे0सी0बी0 लगा करके पाइपों को उखाड़ा गया। जो टूटी हुई पाइपें थीं उनको निकाला गया। जहां से वे पाइपें जे0सी0बी0 से नहीं निकलीं तो वहां पर जनरेटर लगाए गये। जनरेटर लगा करके उन पाइपों को काटा गया और पाइपों को काटने के साथ-साथ जो छोटे-छोटे एक-एक या डेढ़-डेढ़ मीटर के टुकड़े थे अब उनको जोड़ना शुरू किया हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, जब एक बार पाइप टूट जाती है तो उसके अंदर जो जिंक कोटिंग होती है वह खत्म हो जाती है। हमारी जो एम0एस0 पाइप होती है उसके अंदर जो inside bichuman anti-corrosion paint होता है। वह factory coating होता है वह बाहर नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि इन दोनों स्कीमों को पूरा करने के लिए तुरन्त आदेश करें और जो टूटी हुई खंडम पाइपें हैं उनको दोबारा से वहां पर न लगाया जाए। वहां पर नई पाइपें लगाई जाएं और उन 13 पंचायतों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। जैसे मैंने कहा कि आज एक-एक महीने के बाद वहां पानी आ रहा है उन 13 पंचायतों को हर तीसरे दिन पानी देने की व्यवस्था के लिए आप कोई-न-कोई समाधान ढूंढें। कम-से-कम जो रीसा से उठाऊ पेयजल योजना है जो 1977 में शुरू हुई थी, आजकल बरसात के दिन है उस रीसा खड्ड में काफी पानी है, आप उस स्कीम से अवाहदेवी तक पानी दीजिये। तीसरा, मेरा सुझाव रहेगा कि अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो माननीय मुख्य मंत्री जी, बमसन-लगवालती स्कीम का टैंक भी अवाहदेवी में बना हुआ है और उठाऊ पेयजल कांडापतन अवाहदेवी का टैंक भी अवाहदेवी में बना हुआ है। जब तक पर्याप्त मात्रा में उन 13 पंचायतों को पानी नहीं मिलता है तो कम-से-कम जो बमसन-लगवालती वाला टैंक है उससे पानी हमारे उस क्षेत्र के लिए दे दिया जाए जब तक वे दोनों पानी की स्कीमें पूरी नहीं होती हैं तो

जारी श्रीमती के0एस0

27.08.2016/1220/केएस/एएस/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी-----

मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश का आई.पी.एच. विभाग और आई.पी.एच. विभाग की मंत्री महोदया और इस प्रदेश के मुख्य मंत्री तुरन्त संज्ञान ले कर वहां के लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है, उनको पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है , उस समस्या का तुरन्त कोई न कोई समाधान निकालें । इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

27.08.2016/1220/केएस/एएस/2

अध्यक्षः अब माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जवाब देंगी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः

धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र टिहरा-चोलथरा-रखोह में पीने के पानी की सप्लाई उठाऊ पेयजल योजना रखोह, चोलथरा, अवाहदेवी व टिहरा से की जाती है जिसकी प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति दिनांक 31-12-2002 को 7.90 करोड़ रूपये की हुई थी। इस पेयजल योजना का कार्य वर्ष 2009-10 में पूर्ण हुआ था। यह योजना 14 पंचायतो की 84 बस्तियां, जिनकी जनसंख्या 24001 है, को पेयजल आपूर्ति करती है व ये बस्तियां काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली हैं। इस योजना के अन्तर्गत 22 किलोमीटर राईज़िग मेंन व 98 किलोमीटर वितरण प्रणाली है। इसके अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र अति दुर्गम व फैला हुआ है तथा लाभान्वित बस्तियां (84 बस्तिया) अधिक होने के कारण बारी- बारी से क्षेत्रवार पानी की आपूर्ति की जाती है। यह व्यवस्था लाभार्थियों की मांग पर ही की गई है ताकि हर घर में नीजि स्टोरेज के लिए समुचित मात्रा में पानी मिल सके। इस व्यवस्था के कारण हर क्षेत्र को चार व पांच दिन के अन्तराल से पानी उपलब्ध होता है। इस योजना के स्त्रोत व्यास नदी में विशेषकर बरसात के दिनों में अत्याधिक गाद आने व राईजिंग मेन के विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त होने के कारण बीच-बीच में बन्द करनी पड़ती है। पिछले दो महीनो में इस योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों रखोह, चोलथरा व टिहरा के गांवों को पानी की सप्लाई राईजिंग मेंन के क्षतिग्रस्त होने व व्यास नदी में ज्यादा गाद आने के कारण प्रभावित रही। पिछले दो महीनों में यह योजना 01-07-2016 से 03-07-2016 तक व्यास नदी में ज्यादा गाद आने के कारण बन्द रखनी पड़ी। 4 जुलाई, 2016 से 13 जुलाई, 2016 तक पेयजल योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को सुचारू

रूप से पेयजल उपलब्ध करवाया गया,परन्तु भारी वर्षा व सड़क में भूस्खलन होने के कारण द्वितीय चरण की लगभग 150 मीटर मुख्य पाईप लाईन रोसो गॉव के पास बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी व योजना 13 जुलाई, 2016 से 20 जुलाई, 2016 तक बन्द रही। 20 जुलाई से 1 अगस्त, 2016 तक यह पेयजल योजना सुचारू रूप से चलती रही व लाभार्थीओं को पानी सुचारू रूप से उपलब्ध करवाया गया। परन्तु 2 अगस्त, 2016 को धर्मपुर क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण प्रथम चरण के पम्प हाउस के पास सड़क में भूस्खलन के कारण प्रथम चरण की लगभग 120 मीटर मुख्य पाइप लाईन क्षतिग्रस्त हो कर व्यास नदी में गिर गई। इस पेयजल योजना को 5 अगस्त, 2016 को फिर से चालू कर दिया गया था तथा 7 अगस्त तक पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से चलती रही। आठ अगस्त को पेयजल योजना व्यास नदी में गन्दा पानी

27.08.2016/1220/केएस/एएस/3

(High turbidity) आने की वजह से बन्द रही। 9 और 10 अगस्त, 2016 को लोगों को पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया था परन्तु 10 अगस्त, 2016 को भारी वर्षा के कारण धर्मपुर रैस्ट हाउस के पास सड़क में भूस्खलन के कारण मुख्य पाईप लाईन क्षतिग्रस्त हो गई जिसे 16 अगस्त, 2016 को चालू कर दिया गया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

27.8.2016/1225/av/ag/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ---------- जारी

आप समझ सकते हैं कि ऐसी काफी अव्यवस्था रही है। मज़बूरियां होती हैं, हम जानबूझकर किसी को दुःख नहीं देना चाहते। यह सारा प्रदेश हमारा है और हमें हर क्षेत्र का ध्यान रखना पड़ता है। हमें खुद महसूस होता है कि किसी को दुःखी करना अच्छा नहीं होता। हमारी यही कोशिश होती है कि हम अच्छा काम करें, अच्छा बतार्व करें। कई बार हमारे ऑफिसर्ज से भी गलतियां हो जाती है। ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती। कई बार स्कीमें पूरी होने में देरी भी हो जाती है।

जिन दिनों में यह पेयजल योजना बन्द रहती है उन दिनों इन क्षेत्रों को पुरानी पेयजल योजना सरकाघाट (रिसा) से पानी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत आने वाले गांवों में 142 हैण्डपम्प स्थापित हैं जिनमें से रखोह, चोलथरा व टिहरा पंचायत में 49 हैण्डपम्प स्थापित किये गये हैं जो चालू हालत में है तथा उन से भी इन क्षेत्रों में पेयजल की प्रतिपूर्ति होती है।

एक नई पेयजल योजना काण्डापतन से सरकाघाट शहर जिसका मुख्य भण्डारण टैंक चोलथरा में बनाया गया है, का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। उठाऊ पेयजल योजना रखोह, चोलथरा, अवाहदेवी व टिहरा में व्यावधान आने की परिस्थिति में इस नई पेयजल योजना से भी इन गांवों को पानी दिया जा सकता है क्योंकि इस पेयजल योजना के स्त्रोत में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है। परन्तु आजकल इस पेयजल योजना की माननीय विधायक की शिकायत के बाद जांच मण्डलीय आयुक्त द्वारा की गई है जिसमें माननीय विधायक का सहयोग भी लिया गया है।

पेयजल योजना धर्मपुर क्षेत्र रखोह चोरथला टिहरा क्षेत्र के सुधार के लिए NRDWP के अन्तर्गत परफोरमा एस्टीमेट 317.43 लाख रूपये का स्वीकृत हो चुका है तथा इसका विस्तृत प्राक्कलन बनाकर प्रशासनिक अनुमोदन एवम् व्यय स्वीकृति हेतू प्रक्रिया जारी है। योजना की स्वीकृति, धन उपलब्धता तथा कार्य पूर्ण होने पर उपरोक्त क्षेत्र को समुचित व नियमित पेयजल आपूर्ति संम्भव हो पाएगी।

27.8.2016/1225/av/ag/2

मैं यह समझती हूं कि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और रखना भी चाहिए। मैंने आपको काफी जानकारी दे दी है। यदि आपको मेरी बात सही लग रही है तो ठीक है और यदि नहीं तो मैं आपको ये सारे कागजात भेज दूंगी। आप इनको ठीक से पढ़ लीजिए। अगर कोई कमियां रह गई होंगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। Inquiry for Scheme Kodaghat to Sarkaghat has been just received from the Divisional Commissioner, Mandi.

It is being examined and action will be taken against those found guilty. जिन्होंने काम ठीक नहीं किया और जिन्होंने गलतियां की हैं हम उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। जिन्होंने गलतियां की हैं और काम ठीक से नहीं किया है हमें उन ऑफिसर्ज के बारे में भी सोचना है। इसमें बहुत सारी बातें रह गई हैं, आप उनको आराम से पढ़ सकते हैं। मैं ये कागजात आपको भेज दूंगी। धन्यवाद।

श्री महेन्द्र सिंह **श्री टी0सी0 द्वारा जारी**

27/08/2016/1230/TCV/AS/1

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, जो जगह-जगह भू-स्खलन हो रहा है, वह बारिश से नहीं हो रहा है, वह भू-स्खलन आई0पी0एच0 की पाईपों के फटने से हो रहा है। उन पाईपों के फटने की वज़ह से नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जगह-जगह से 150-200 मीटर नीचे उत्तर रहा है। उसके लिए कौन ज़िम्मेवार होगा?

दूसरा, आपने कहा कि मण्डलायुक्त की रिपोर्ट हमें अभी-अभी मिली है। क्या आप उस रिपोर्ट की एक प्रति हाऊस में ले करेंगी और उसकी एक कॉपी मुझे भी उपलब्ध करवाएंगी? तीसरा, आपने कहा कि हैंडपम्प लगे हुए हैं, लेकिन हैंडपम्प तो सड़क के किनारे लगते हैं। गांव सड़क से दो-दो किलोमीटर दूर हैं। अब जहां हैंड़पम्प गांव से दो किलोमीटर नीचे लगा हुआ है, लोग वहां से ऊपर गांव तक पानी कैसे ले जाएंगे? मैंने आपको दो सुझाव दिए हैं कि एक तो जो 1977 में उठाऊ पेयजल योजना 'रिस्सा से टिहरा' बनी है, उस खड्ड में आजकल व्यापक मात्रा में पानी हैं। आप अगर वहां की पम्पिंग बढ़ा देंगे, तो कम से कम उस क्षेत्र को जिसके लिए वह योजना बनी थी और उस क्षेत्र को इस योजना से काट दिया गया था तथा वहां पाईपें वैसे-की-वैसी बिछी हुई हैं, अगर उसको चालू कर देंगे, तो वहां पानी की व्यवस्था सुधर सकती हैं। मैंने आपको दूसरा सुझाव दिया कि अवाहदेवी हमीरपुर और मण्डी जिला के बीच में सबसे ऊंचा स्थान है और सबसे ऊंचे स्थान पर दो टैंक बने हुए हैं। एक टैंक काँडा पतन से अवाहदेवी स्कीम का है और दूसरा टैंक बमसन-लगवालती स्कीम का है। बमसन-लगवालती स्कीम में लगातार पानी चल रहा

है, अगर उस स्कीम से हमें पानी दिया जाता है, तो जब तक पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, तो कम-से-कम इस स्कीम से हमारे क्षेत्र को पानी मिल सकता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जो 2 सुझाव है, आप इन पर गौर करें और कोई आश्वासन दें। माननीय मंत्री जी जो तारीखें गिनवा रही हैं ये सारे-की-सारी तारीखें गलत हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री और माननीय सिंचाई एंव जन-स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर कोई स्पष्ट उत्तर दें, ताकि हम अपनी जनता को बता सकें।

सिंचाई एंव जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनकी बात को बड़े गौर से सुन रही थी। मैं इनको यकीन दिलाना चाहती हूं कि जो कुछ गलतियां

27/08/2016/1230/TCV/AS/2

अधिकारियों/कर्मचारियों से हुई होगी वह आने वाले समय में नहीं होगी। हमारी कोशिश है कि हर जगह पानी की व्यवस्था की जाये। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं, हम उन पर गम्भीरता से विचार करेंगे। आपने अच्छे सुझाव दिए हैं। इन्होंने जो शिकायतें की है, वह भी एक अच्छी बात है और हमने उनको नोट कर लिया है। इससे हमें पता चलता है कि कहां-कहां कमियां हैं और हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं।

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय मंत्री जी, मैंने आपके सामने तीन बातें रखी हैं। पहली बात यह है कि जिस क्षेत्र के लिए 1977 में स्कीम बनी थी, वह एक खड्ड है। उसमें आजकल व्यापक मात्रा में पानी हैं। आप उस स्कीम से ही हमारे क्षेत्र को पानी देना शुरू कर दो, क्योंकि उस स्कीम को केवल मात्र सरकाघाट तक ही चालू किया गया है। दूसरा, मैंने आपको सुझाव दिया है कि अवाहदेवी में दो टैंक बने हैं और एक बराबर की ऊंचाई पर बने हुए हैं।

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

27/08/2016/1235/NS/AS/1

श्री महिन्द्र सिंह ---- जारी

हमारा 40,000 लोगों का क्षेत्र पीने के पानी के लिए तरस रहा है, अगर आप बमसन-लगवालती से हमें कुछ दिनों के लिए पानी दे देते हैं, तो कम-से-कम हमारे लोगों को पीने के लिए पानी मिल सकता है।

तीसरा, मैंने यह कहा है कि आपने कहा कि मण्डलायुक्त की इन्कवारी रिर्पोट हमें अभी-अभी मिली है। क्या आप उसको हाऊस के बीच में ले करेंगे और उसकी एक प्रति आप मुझे भी देंगे? मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन तीनों में से कोई आश्वासन दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः पानी सबके लिए ही ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए। हम किस लिए यहां आए हैं। पानी की स्कीम देने के लिए ही हम यहां आए हुए हैं। हम इसको इग्ज़ामिन करेंगे और अगर कहीं गलतियां हुईं हैं तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो हम उसको दुरूस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे ऊपर विश्वास करें।

अध्यक्षः अब आप और डिस्कशन मत कीजिए, आप पहले ही इतना समय ले चुके हैं।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः हम आपसे यही कह रहे हैं कि हम आपकी सारी बात को देख लेंगे और जहां गलतियां हुईं हैं, उनको भी ठीक करेंगे। पानी सबके लिए बहुत जरूरी है। कोई भी पानी के बिना नहीं जी सकता है। हम भी इस बात को जानते हैं। लेकिन जहां गलतियां हमारे अधिकारियों से हुईं हैं, उनको ठीक किया जाएगा। आपको इस बात से एतराज़ नहीं होना चाहिए।

27/08/2016/1235/NS/AS/2

नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः अब श्री सुरेश भारद्वाज जी ध्यानकर्षण प्रस्ताव करेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अंतर्गत मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं आपकी अनुमति से "इन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज, शिमला में कार्यरत्त SRL Diagnostics द्वारा खून की जाँच में बिमारियों की गलत रिपोर्ट तथा Liver से सम्बन्धित Test की मशीन न होने" से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, दैनिक भास्कर नामक अखबार में एक खबर छपी थी कि सोलन के रहने वाले श्री रविन्द्र परिहार आई.जी.एम.सी.में चैस्ट पेन को ले करके कॉर्डियोलॉजी डिपार्टमैंट में दाखिल हुए। कॉर्डियोलॉजी वालों ने चार-पांच दिन तक देखभाल करने के बाद कहा कि यह बीमारी कॉर्डियोलॉजी विभाग से संबंधित नहीं है। उनको मेडिसन विभाग में दाखिल किया गया और उनको रोटीन टैस्ट करवाने के लिए कहा गया। रोटीन टैस्ट वहां पर हुए। आई.जी.एम.सी. के अंदर SRL Diagnostics नाम से प्राईवेट प्रयोगशाला को वहां स्थान दिया गया है। इस लैब को मुफ्त में आई.जी.एम.सी. में स्थान दिया है। इसको अगर किराये पर चढ़ाया जाए तो लगभग 2.50 से 3 लाख तक का किराया एक महीने का मिलेगा। आई.जी.एम.सी. में 24 घंटें में 21 घंटें तक टैस्ट इस लैब के द्वारा किए जाते हैं। आई.जी.एम.सी.की सरकारी लैब में केवल 3 घंटें तक ही टैस्ट होते हैं, वे सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ही टैस्ट करते हैं और उसके बाद रिपोर्टस देते हैं। बाकी समय सारे टैस्ट SRL लैब ही करती है। पहले भी इस लैब की शिकायतें आती रहीं हैं कि यह गलत रिपोर्टस दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास टैस्ट करने के लिए क्वालिफाईड तकनीशियन नहीं हैं। आई.जी.एम.सी. या बाकी अस्पतालों में जो लैब तकनीशियन्ज़ और लैब असिस्टैंटस हैं, उनको बाकयदा कांउसिल में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। लेकिन इस लैब के जो लोग टैस्ट करते हैं, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है।

इनके पास प्रोपर मशीनें नहीं हैं। इसकी पहले भी शिकायतें होती रही हैं। डॉक्टर बीमारी से संबंधित

27/08/2016/1235/NS/AS/3

एक टैस्ट लिखता है और यह उस बीमारी से संबंधित जितने भी बाकी टैस्ट हैं, वे सब टैस्टस उनके करवा लेते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं। वे पैसा आई.जी.एम.सी. और आर. के. एस. के रेटस के हिसाब से लेंगे लेकिन जिन टैस्टस की आवश्यकता ही नहीं है, डॉक्टर ने लिखे ही नहीं है, वे उन सब टैस्टस को करवा देते हैं। अब जो यह रविन्द्र परिहार वाला केस है, इसमें डॉक्टर ने टैस्ट लिखे और इन्होंने टैस्ट SRL लैब में करवाए और SRL लैब से इनको रिपोर्ट प्राप्त हुई

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

27/08/2016/1240/RKS/DC/1

श्री सुरेश भारद्वाज...जारी

इस रिपोर्ट में adenocarcinoma जोकि एक कैंसर है, इस प्रकार की टैस्ट रिपोर्ट डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कहा कि आपको कैंसर की बीमारी है तथा इस हिसाब से आप 15 दिन या एक महीना ही जीवित रह सकते हैं। जिस व्यक्ति को यह पता चल जाए कि मुझे कैंसर है और यह चीज़ रिपोर्ट में प्रूव हो जाए तो यह सुनकर मरीज़ का आधा खून तो ऐसे ही सूख जाएगा। चैस्ट का कैंसर एकदम से शरीर में फैल जाता है और इसमें आदमी के बचने का कोई चान्स नहीं होता है। डाक्टर ने यह भी कहा कि मरीज़ को कैंसर के कारण कीमोथेरपी, रेडियोलॉजी वगैरह करवाना पड़ेगी जिससे मरीज़ कुछ और ज्यादा दिन जीवित रह सकता है। मरीज़ के परिवार वालों ने जो टैस्ट इस लैब में करवाया था, उसको आई.जी.एम.सी. के पैथोलॉजी विभाग में चैक करवाया गया। जब उन्होंने उस मरीज़ का पुनः टैस्ट किया तो वह नॉर्मल पाया गया और कोई भी कैंसर की बीमारी नहीं पाई गई। उसके बाद उस टैस्ट को चंडीगढ़ भेजा गया। वहां से भी इसकी

रिपोर्ट नॉर्मल आई। दूसरे दिन मरीज़ का पुनः नए सिरे से फलूड टैस्ट करवाया गया और उसमें यह पाया गया कि मरीज़ के गॉल ब्लैडर में मामूली सा संक्रमण है। उसके बाद आई.जी.एम.सी. में गॉल ब्लैडर के इन्फैक्शन का उपचार किया गया और वह व्यक्ति आज बिल्कुल स्वस्थ है। एस.आर.एल. लैब का यह एक इंस्टांस मैं आपको बता रहा हूं और यह खबर अखबार में भी छपी हुई है। इलैक्ट्रोनिक मीडिया पर भी यह खबर आई हुई है। इसके अतिरिक्त यहां मेरे पास इस लैब की अन्य बहुत सी रिपोर्टें हैं। जो टैस्ट इस लैब में होते हैं यदि इनकी रिपोर्ट में ई.एस.आर. 113 आए तो उसी टैस्ट को अगर दूसरी लैब में करवाया जाए तो यह मात्रा 13 ही पाई जाती है। इस प्रकार की रिपोर्ट को देखकर आदमी ऐसे ही परेशान हो जाएगा। आई.जी.एम.सी. प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसका मैडिकल कॉलेज देश के बेहतरीन कॉलेजों में माना जाता है। इस अस्पताल की लैबोरेटरी भी बेहतरीन है और वहां पर बहुत अच्छी-अच्छी मशीनरी लगी हुई है। इन अस्पतालों में स्टाफ की भी बहुत कमी है जो स्टाफ यहां पर था उनमें से कुछ लोगों

27/08/2016/1240/RKS/DC/2

को आपने नाहन के अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया। सारे हिमाचल प्रदेश में एस.आर.एल. की लैब्ज़ हैं और चम्बा जिला में भी इस तरह की रिपोर्ट आई हुई है। वहां पर भी इनके एक्सपायरड रिजैण्टस जिनसे टैस्ट करते हैं, पाए गए हैं और इसकी इन्क्वायरी भी की गई है। इस प्रकार की लैबोरेटरी जो गलत रिपोर्ट दे रही है क्योंकि डॉक्टर जो टैस्ट होगा उसी आधार पर डायग्नॉज करेगा और दवाइयां लिखेगा। जब टैस्ट ही गलत होगा तो उसके कारण दवाइयां भी गलत ली जाएगी और जो व्यक्ति दो-तीन साल जीवित रह सकता है, उसमें भी कट लग जाएगा। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी आप इस तरफ ध्यान दें। आप आर.के.एस. की मीटिंग में जाते हैं, वहां की स्थिति भी ऐसी ही है। वहां की लैब में भी कोई काम नहीं होता है क्योंकि उनके पास तीन ही घंटे का समय होता है और बाकी जितने भी ऑपेरेशन या दूसरी चीजें होती हैं, वे सब 21 घंटों में एस.आर.एल. लैब देखती है। इन्होंने सारे व्यक्ति अनट्रेंड रखे हुए हैं। बिना पंजीकरण के इन्होंने लैब

तकनीशियन रखे हुए हैं। इस चीज़ को तुरन्त रिव्यू किया जाना चाहिए। एस.आर.एल. लैब का एम.ओ.यू. खत्म होने वाला है और उसे एक्सटैंड नहीं किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसकी प्रोपर इन्क्वायरी होनी चाहिए और इसके साथ इनके खिलाफ पैनल क्लॉज़ और पेनल्टी होनी चाहिए। इन्हें बिजली, पानी की सुविधा फ्री उपलब्ध करवाई जाती है। जो हमारे बी.पी.एल.और आई.आर.डी.पी. के लोगे हैं, उन्हें भी वे कोई सुविधा नहीं देते हैं। जब शिमला शहर में पीलिया हुआ था तो माननीय मंत्री जी ने लिवर के कुछ टैस्ट फ्री करवाने के आदेश दिए थे

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

27.08.2016/1245/SLS-DC-1

श्री सुरेश भारद्वाज ...जारी

लेकिन उन लीवर टैस्ट के लिए, आर.के.एस. का पैसा जो बाकी चीजों से इकट्ठा होता है, उसमें से 4.50 लाख रुपये की राशि इस एस.आर. एल. प्राइवेट लैब को दी गई। इससे ये किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी किसी को नहीं देते हैं, वह कार्य आर.के.एस. को करना पड़ता है। आर.के.एस. में जो बाकी चीजों के पैसे पेशैंट्स से लिए जाते हैं, वह पैसा भी इनको दे दिया जाता है। अगर आपने देना है या प्राइवेटाइजेशन करना है तो वह कंपीटिशन के आधार पर होना चाहिए न कि इस तरह से कि आपने एक लैब उठाई और उसको ही सारा काम दे दिया। अगर इन्हीं रेट्स पर या इनसे कम रेट्स पर कोई और करना चाहता है, उनको दें, लेकिन आदमी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इस बात को ऐनश्योर करें। चाहे प्राइवेटाइजेशन हो या गवर्नमैंटलाइजेशन हो, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। लीवर टैस्ट को लेकर मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि शिमला के लिए विशेषकर लीवर टैस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आपकी परचेज

कमेटी ने एक लीवर टैस्ट मशीन को फाइब्रोस्कैन के लिए पास कर रखा है। वह मशीन केवल मात्र डेढ़ करोड़ की है लेकिन उसको लगाया नहीं जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके लिए लैब के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और जो फाइब्रोस्कैन टैस्ट आप यहां करना चाहते हैं, उस मशीन को आप आई.जी.एम.सी. में लगाएं। अगर आई.जी.एम.सी. में वह सुविधाएं नहीं होंगी, वहां से इस प्रकार गलत रिपोर्ट्स आएंगी और लैब्ज वहां गलत तरीके से काम करेंगे तो सारे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। जो अपनी सेवाएं आप अच्छी रख रहे हैं, उन अच्छी सेवाओं की रिफ्लैक्शन भी आई.जी.एम.सी. से ही होती है। इसलिए उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता था। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पर अवश्य कोई-न-कोई कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष : अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

27.08.2016/1245/SLS-DC-2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी ने नियम-62 के अंतर्गत जो मामला इस सदन में उठाया है और जिस तरीके से उठाया है, उससे लगता है कि यह मामला काफी गंभीर है। लेकिन इनको भी फैक्ट्स की पूरी जानकारी नहीं है। प्राप्त नोटिस के साथ संलग्न समाचार-पत्र की कटिंग में रोगी के नाम व चिकित्सालय में पंजीकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए इस संबंध में कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की जा सकती है। परंतु माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज द्वारा उठाए गए प्रस्ताव के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि अस्पताल प्रशासन के संज्ञान में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है जिसमें एस.आर.एल. लैब द्वारा खून की जांच में गलत रिपोर्ट का उल्लेख हो। लीवर से संबंधित टैस्ट की मशीन आई.जी.एम.सी. प्रशासन तथा

एस.आर.एल. लैब के पास उपलब्ध है जिनके द्वारा लीवर के टैस्ट नियमित रूप से किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर इस मामले को देखें तो खून की जांच के बाद कैंसर की उन्होंने रिपोर्ट दी है। खून की जांच से केवल ब्लड कैंसर का ही पता लग सकता है, लीवर कैंसर और गॉल ब्लैडर कैंसर का अगर पता करना हो तो उसकी बायोप्सी ली जाती है, उसका टैस्ट किया जाता है और उसके बाद हम किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं। यह अखबार की कटिंग भी फैक्चुअल नहीं है और जो इन्होंने कहा, वह भी फैक्चुअल नहीं है। किसी नेता का नाम इन्होंने बताया कि कोई भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता है। उनका पता आप देंगे, उनकी ओर से कोई कंपलेंट आप मुझे भेजेंगे तो निश्चित तौर पर हम इसकी जांच करवाएंगे और दोषियों के ख़िलाफ़ कदम उठाएंगे। यह एस.आर.एल. लैब फोर्टिस द्वारा चलाई जाती है। मुझे नहीं पता कि आप क्यों शुरू से ही इसके ख़िलाफ़ रहे। धर्मशाला में भी आपने इस पर वॉक आऊट किया, तब तो काम भी शुरू नहीं हुआ था। इसके विधिवत तौर पर टैंडर किए गए हैं। टैंडर में 4 पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया था। जो हमारे आर.के.एस. के लिए निर्धारित हॉस्पिटल के रेट्स हैं, उनके साथ केवल इस पार्टी ने एग्री किया है और

जारी ...श्री गर्ग जी

27/08/2016/1250/RG/AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री----क्रमागत

हमने फैसला किया और 33 सिविल अस्पतालों में इनको यह काम दिया गया है। आप जानते हैं और आर.के.एस. के आप स्वयं सदस्य भी हैं और आर.के.एस. की मीटिंग में आप आते हैं। लेकिन उस मीटिंग में आपने कभी इसकी शिकायत नहीं की। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि जितने भी लैबॉरैट्री टैक्नीशियन इन्होंने रखे हैं उनकी वैरीफिकेशन

की जाती है whether they are registered or they are not registered. All Lab Technicians which SRL has employed are registered. जो पंजीकृत नहीं होते हैं, हम उनको अलाऊ नहीं करते हैं। हमारे laboratory में भी अगर थोड़ी सी नेगलीजैंस बरती जाए या कोई लैब टैक्नीशियन्ज गलती कर दें, तो उस रिपोर्ट में भी गलती हो सकती है। मैं यह बात मानकर चलता हूं कि जो डायग्नोसिस हैं, जो लैब टैक्नीशियन्ज के रिजल्ट्ज हैं उन पर ही सारी ट्रीटमेंट निर्धारित होती है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आई.जी.एम.सी. में बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारी अपनी लैबौरेट्री तीन घण्टे प्रातः 9.00 बजे से 12.00 बजे तक काम करती है। जब तक हमने यह टैण्डर नहीं दिया था। उससे पहले लोगों को बाजार में जाना पड़ता था और उन्हें 12.00 बजे के बाद सुबह 9.00 बजे तक बाजार से टैस्ट करवाने पड़ते थे और उन टैस्ट्स के उन्हें आई.जी.एम.सी से तीन-चार गुणा ज्यादा रेट देने पड़ते थे। लोगों की मांग थी कि 24 घण्टे तक टैस्ट्स का प्रबन्ध किया जाए। लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस एस.आर.एल. लैब् को, जब हमारे काम नहीं होते, तो लैब टैक्नीशियन्ज 12.00 बजे तक ब्लड, स्टूल आदि के टैस्ट्स लेते हैं और 12.00 बजे से लेकर 4.00 बजे तक उनका परीक्षण करके उनकी रिपोर्ट्स देते हैं। 12.00 बजे के बाद ये लोग उस बीच में काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक गॉल ब्लेडर की बात है, तो इसमें इन्होंने लिखा है लीवर, तो गॉल ब्लैडर और लीवर किसी व्यक्ति के दो भिन्न-भिन्न अंग हैं। गॉल ब्लैडर, लीवर और किडनी हैं। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर इस बारे में आप निश्चित तौर पर कोई शिकायत करेंगे और हमारे पास कोई शिकायत आएगी, तो हम उसकी उच्च स्तरीय जांच कराने के लिए भी तैयार हैं। अगर कहीं गलत रिपोर्ट आई हो। आपने पहले ही गलत कहा क्योंकि खून के टैस्ट से आप गॉल ब्लैडर या लीवर के कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको लीवर का

27/08/2016/1250/RG/AG/2

कैंसर पाया गया। जबकि खून के टैस्ट से न लीवर के कैंसर का पता चलता है और न ही गॉल ब्लैडर के कैंसर का पता चलता है। जहां तक आपने Fibroscan Machine की बात की है, **तो हमने इसके टैण्डर किए हैं। ठीक है कि यह सौ करोड़ रुपये की मशीन है,**

<u>निश्चित तौर पर बहुत जल्दी हम इस मशीन को यहां स्थापित कर रहे हैं।</u> हमारी कोशिश है और यह एक स्टेट हास्पीटल है इसलिए हम यहां अच्छी-से-अच्छी और लेटेस्ट मशीनें लगा रहे हैं ताकि जितने भी रोगी यहां आते हैं उनको अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके।

अध्यक्ष महोदय, अखबारों में भी अलग-अलग बातें लिखी हैं। माननीय सदस्य ने जो ओरीजिनल नोटिस दिया है उसमें भी डिफरेंट तरीके से दिया है। इन्होंने अपने ओरीजिनल नोटिस में लिखा था कि 'आई.जी.एम.सी. एण्ड हास्पीटल, शिमला में स्थित एस.आर.एल. लैबोरेट्री द्वारा किए जा रहे ब्लड टैस्ट में गलत बीमारियों की रिपोर्ट से उत्पन्न स्थिति पर माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।' जब यह ऑर्डर आया, तो इसमें है कि 'इन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज, शिमला में कार्यरत एस.आर.एल. डायग्नॉस्टिक द्वारा खून की जांच में बीमारियों की अलग रिपोर्ट तथा लीवर से संबंधित टैस्ट मशीन न होने की स्थिति से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।' तो यह आपस में ही कन्ट्राडिक्ट्री है। मगर फिर भी मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर इस बारे में कोई शिकायत आती है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। क्योंकि लैबौरेट्री टैस्ट ठीक होना चाहिए। उसके आधार पर डॉक्टर मरीज का इलाज करता है। धन्यवाद।

27/08/2016/1250/RG/AG/3

अध्यक्ष : श्री सुरेश भारद्वाज जी, आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने Fibroscan Machine के बारे में जो कहा है कि वह जल्दी ले ली जाएगी उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं।

एम.एस. द्वारा जारी

27/08/2016/1255/MS/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी ----

परन्तु मैंने खून की जांच जो है, आप माननीय अध्यक्ष भी रहे हैं। मेरा एक नोटिस नियम 62 के तहत था और दूसरा 324 के तहत था। ये दोनों नोटिस इकट्ठे हो गए हैं इसलिए टैक्स्ट जो बना है वह गलत है लेकिन मैंने अपने वक्तव्य में स्पेसिफिकली फ्ल्यूड टैस्ट कहा है। मैंने यह नहीं कहा है कि उसमें खून की जांच की गई। साइटोलोजी के लिए प्लीयूरल (pleural) फ्ल्यूड टैस्ट है। उसमें चैस्ट से ही फ्ल्यूड लिया जाता है। फ्ल्यूड की स्लाइड एस0आर0एल0 लैब ने बनाई, उसी ने टैस्ट किया और उसी ने उसको कैंसर बताया। वही स्लाइड जब आई0जी0एम0सी0 की पैथोलोजी लैब में गई, जो कॉलेज की लैब है उसमें उसको नॉर्मल बताया। फिर उसी टैस्ट की दुबारा से सरकारी लैब में स्लाइड ली गई और उसमें भी परिणाम नॉर्मल आया। इसलिए खून की जांच से चैस्ट का कैंसर नहीं बताया जा सकता। यह मरीज श्री रविन्द्र परिहार है। यह स्पैशल वॉर्ड नम्बर-610 में दाखिल था और इसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 99504 है। मैं इससे संबंधित सारे कागजात आपको दे देता हूं। इसमें एस0आर0एल0 लैब की टैस्ट रिपोर्ट भी साथ लगी हुई है। उसके बाद इसका इलाज हुआ है और इलाज में यह ठीक पाया गया है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जिसका इस प्रकार से टैस्ट होगा और जिसकी इस प्रकार की रिपोर्ट आएगी तो आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या हाल होगा? एस0आर0एल0 लैब पता नहीं बहुत कुछ करती होगी लेकिन अभी तक अधिकांश डॉक्टर्ज उनकी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करते हैं। ओ0पी0डी0 की पहली रिपोर्ट जो 9.00 बजे से 12.00 बजे के बीच में होती है उसके टैस्ट अधिकांश सरकारी लेबोरेटरी में ही होते हैं और आपकी सरकारी लेबोरेटरीज कम्पीटैंट हैं। वहां पर बहुत सारी मशीनरीज हैं लेकिन स्टाफ नहीं है। स्टाफ की कमी है। अगर स्टाफ का प्रबंध कर देंगे तो सबकुछ हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि ये सारे कागजात मैं आपको दूंगा और आप इस पर जांच करवाइए क्योंकि उसने आई0जी0एम0सी0 में शिकायत दे रखी है और प्रिंसिपल ने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं?

27/08/2016/1255/MS/AG/2

अध्यक्षः माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने दो नोटिसिज दिए थे जिनमें एक नियम 324 के अंतर्गत और एक नियम 62 के अन्तर्गत था। दोनों नियम विधान सभा सचिवालय ने इकट्ठे लगाए हैं लेकिन दोनों की भाषा एक है। जो इन्होंने नियम 62 के तहत नोटिस दिया था उसमें भी खून की जांच के बाद कैंसर की बात कही गई है और जो नियम 324 के तहत दिया है उसमें भी खून की जांच का ही हवाला दिया है। कोई फ्ल्यूड की बात नहीं कही गई है। अब इन्होंने कहा कि हम कागजात आपको देंगे। आप कागजात हमें दीजिए। मैंने यह आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करवाएंगे। मैं आपको अपनी चार रिपोर्ट्स भेजता हूं जिनकी खून की जांच हमने अपनी स्टेट लेबोरेटरी से भी करवाई है और एस0आर0एल लैब से भी करवाई है और दोनों के परिणाम एक जैसे हैं। उसमें कोई फर्क नहीं आया है। इसलिए एक-आध केस ऐसा हो सकता है। आपने कहा है कि आप रिपोर्ट भेजेंगे, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन नम्बर अभी दिया है क्योंकि उसमें न रजिस्ट्रेशन नम्बर था, न नाम था और न ही उसके गांव का कोई पता था। इसलिए यह कहना ठीक नहीं था। आपने कहा है कि आप ये कागज भेजेंगे तो निश्चित तौर पर हम जांच करवाएंगे। मैं मानता हूं और मैंने कहा है कि डायग्नोसिज गलत होगा तो ट्रीटमैंट भी गलत हो जाएगा। इसके लिए मैं आश्वासन देता हूं कि इसकी हम जांच करवाएंगे। अगर इस संदर्भ में कोई जांच करवाने योग्य तथ्य आप देंगे और विधिवत शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी शीघ्र जांच करवाकर समुचित कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाएगी।

27/08/2016/1255/MS/AG/3

अध्यक्षः अब एक और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। उस पर भी अभी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद दोपहर का भोजन कर लेंगे। अब श्री रणधीर शर्मा जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जिला बिलासपुर व जिला अस्पताल बिलासपुर में डॉक्टरों की कमी के कारण दो माह से ऑप्रेशन न होने जैसी स्थिति उत्पन्न होने की ओर,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा---

27.08.2016/1300/जेके/एएस/1

श्री रणधीर शर्माः----जारी-------

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिला में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और उसका मुख्य कारण डॉक्टर्ज़ की कमी है। डॉक्टर्ज़ की कमी जहां दूर-दराज़ के प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्ज में है वहीं कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर्ज में भी डॉक्टर्ज़ की भारी कमी है। जिला बिलासपुर के मुख्य अस्पताल में भी डॉक्टर्ज़ की कमी के कारण बिलासपुर में जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपे माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिला बिलासपुर की दूर-दराज़ की जो पी0एच0सीज0 हैं, चाहे वह भाखड़ा है, तरसू है, गुरू का लाहौर है, स्वारघाट है। उसी तरह से रिखी राम कौंडल जी की ऋषिकेश है, बुघाड़ है, गागोड़ी है, मरोत्तन है। यहां तक कि कलोल, करयालग इन सभी पी0एच0सीज़0 में कोई डॉक्टर नहीं है। सभी पी0एच0सीज0 बिना डॉक्टर के चल रही हैं। कुछ पी0एच0सीज़0 में आयुर्वेदा डॉक्टर है, परन्तु इन पी0एच0सीज़ में कोई भी डॉक्टर नहीं है। ये दूर-दराज़ के क्षेत्र हैं। कई जगह तो चार-चार पी0एच0सीज0 में लगातार कोई भी डॉक्टर नहीं है जिसके कारण 10-10 पंचायतों के लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से सी0एच0सीज0 हैं, चाहे सी0एच0सी0 मार्कंड हो, घवांडल हो दोनों में एक-एक डॉक्टर की कमी है। कुठेड़ा की सी0एस0सी0 में डॉक्टर्ज़ की कमी है। भराड़ी में दो डॉक्टर कम है। परलोग में एक डॉक्टर कम है। झंडुता और बरंठी में तीन डॉक्टर कम है। तलाई अभी नई सी0एच0सी0 खुली है। वहां पर भी तीन पोस्टें क्रिएट की और एक डॉक्टर दूसरी जगह से बदल दिया। पंजगाईं में भी एक डॉक्टर की कमी है। सिविल हॉस्पिटल घुमारवीं में भी एक डॉक्टर की कमी है। इस तरह से पूरे जिला में ही डॉक्टर्ज़ की कमी के कारण रोगियों को

27.08.2016/1300/जेके/एएस/2

परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटी बीमारी के लिए भी जब घर द्वार जो स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात सरकार कर रही है वे उन्हें नहीं मिलती फिर वे जिला अस्पताल में आते हैं। बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं। दो-दो , चार-चार घण्टे का सफर तय करके आते हैं। वे गाड़ी करके आते हैं। उसके बावजूद भी जिला अस्पताल में डॉक्टर्ज़ की कमी के कारण उन्हें वहां पर दिक्कत आती है। मैं, माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि सात पोस्टें डॉक्टर्ज़ की जिला अस्पताल में खाली है और चार डॉक्टर्ज़ छुट्टी पर चल रहे हैं। 11 डॉक्टर्ज़ की कमी जिस हॉस्पिटल में होगी वह हॉस्पिटल कितना रोगियों का रोग दूर कर रहा है, यह अंदाजा आप लगा सकते हैं। यह स्थिति दयनीय तब हो जाती है जब एनैसथिसिया का स्पैशलिस्ट वहां पर न हो। लगभग पिछले दो महीने से एक भी ऑप्रेशन बिलासपुर हॉस्पिटल में इस वजह से नहीं हुआ है। छोटी सी छोटी बीमारी का भी यदि ऑप्रेशन होना है तो उसके लिए भी आई0जी0एम0सी0, शिमला को रैफर किया जाता है, जिसके कारण रोगी को तो परेशानी होती ही है, उसको खर्चा करना पड़ता है, गाड़ी करनी पड़ती है और साथ में अटैंडैंट आते हैं और यहां आई0जी0एम0सी0 में भी बर्डन पड़ता है। मैं कल वहां पर किसी पेशैंट को देखने गया था। वहां पर एक ही बैड के ऊपर दो-दो मरीज़ लिटाए हुए है। वह इसी कारण है कि जिला अस्पतालों में डॉक्टर्ज़ की कमी के कारण, स्पैशलिस्ट की कमी के कारण जो वहां पर ईलाज हो सकता है वह ईलाज वहां पर न हो करके सारा बर्डन आई0जी0एम0सी0 पर पड़ रहा है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप बिलासपुर जिला में और विशेषकर जो दूर-दराज के स्वास्थ्य केन्द्र है और जिला अस्पताल है वहां पर डॉक्टर्ज़ की कमी को पूरा करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी यहां पर कहना चाहता हूं कि डॉक्टर्ज़ की कमी के बावजूद भी हमारे वहां से डॉक्टर्ज की ट्रांसफर की जाती है और वापिस किसी दूसरे डॉक्टर को लाया नहीं जाता है। जब पहले ही वहां पर डॉक्टर्ज़ की कमी है तो फिर

27.08.2016/1300/जेके/एएस/3

वहां से डॉक्टर्ज़ को क्यों बदला जाता है, क्यों ट्रांसफर किया जाता है यह हमारी समझ से परे है। ट्रांसफर ही नहीं किया जाता डैपुटेशन पर भी वहां से डॉक्टर्ज़ चले जाते हैं। केलंग में बिलासपुर से डॉक्टर्ज़ भेज दिए। जब बिलासपुर में पहले ही डॉक्टर्ज़ की इतनी कमी है तो वहीं से क्यों डैपुटेशन में डॉक्टर जाए?, इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है और मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं कि ये एक बार हमारे विधान सभा क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में आए। मैंने वहां पर इनको मैमोरेंडम दिया था और उसमें भी सारी स्थिति इनके ध्यान में लाई थी उसके बाद इन्होंने दो डॉक्टर्ज़ वहां पर भेजे, परन्तु वह नाकाफी है । उससे सिर्फ दो पी0एच0सी0 की समस्या सुलझ सकी है बाकी स्थिति मैंने आपके सामने रखी। इस सारी स्थिति को दूर करने के लिए मंत्री जी विशेष ध्यान दे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

27.08.2016/1305/SS-AS/1

श्री रणधीर शर्मा क्रमागतः

तीन ही मेडिकल ब्लॉक हैं और मारकंड मेडिकल ब्लॉक दो कांस्टीचुऐंसीज़ को सर्व करता है। वहां बी0एम0ओ0 की पोस्ट खाली है। इसलिए यह जो डॉक्टर्ज़ और स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज़ की कमी है उसके कारण बिलासपुर में दिक्कत आ रही है। उसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह आग्रह व मांग करना चाहता हूं कि जल्दी-से-जल्दी डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाए। जो डैपुटेशन पर डॉक्टर्ज़ गये हैं उनको वापिस बिलासपुर में लाया जाए और अगर फिर भी दिक्कत है तो कम-से-कम जो एनस्थीसिया का स्पैशलिस्ट है चाहे आप किसी प्राइवेट डॉक्टर को आउटसोर्स पर रखें जैसे कुछ साल पहले एनस्थीसिया का स्पैशलिस्ट नहीं मिल रहा था तो बिलासपुर में किसी रिटायर डॉक्टर को आर0के0एस0 से पैसे देकर वहां पर डिप्यूट किया हुआ था। इस तरह की वहां कोई व्यवस्था करें। आप भी जानते हैं कि जब तक एनस्थीसिया का स्पैशलिस्ट नहीं होगा तब तक कोई भी ऑपरेशन सम्भव नहीं है। इसलिए यह स्थिति दोबारा न आए और अभी भी आप स्थिति को सुधारें, ये मेरा आपसे आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.08.2016/1305/SS-AS/2

अध्यक्षः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा द्वारा नियम-62 के अन्तर्गत मामला उठाया गया है। यह बिल्कुल हकीकत है कि प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है। मैं इस बात को मानता हूं और आज की डेट में अगर हमें 600 डॉक्टरों की उपलब्धता हो जाए तो हम 600 डॉक्टरों को रोज़गार दे सकते हैं। इसलिए हमने फैसला किया है, हर मंगलवार को डायरेक्टर, हैल्थ सर्विसिज़ के दफ्तर में वॉक-इन-इंटरव्यू होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड जहां से भी डॉक्टर्ज़ आ रहे हैं हम उनकी सेवाएं ले रहे हैं। डॉक्टरों की कमी को ध्यान में रखते हुए ही हमने हिमाचल प्रदेश में चार नये मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। डॉ0 यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज, नाहन को इसी साल 100 सीटों के साथ शुरू करेंगे और उसके साथ फिर एक हमारा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है। वहां फॉरैस्ट कंजरवेशन ऐक्ट के तहत हमने जमीन का मामला केन्द्र सरकार से उठाया है और हमने उसके लिए भी साढ़े तीन लाख रुपया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एप्लाई कर दिया है। अगर उनकी परमिशन आयेगी तो अगले साल उस मेडिकल कॉलेज को शुरू करेंगे। इसी तरह से चम्बा में 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज खुलेगा, वह यू0पी0ए0 सरकार ने सैंक्शन किया। मैं श्री जे0पी0 नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी इन कॉलेजिज़ के निर्माण के लिए पैसा देने का आश्वासन दिया है। थोड़ा-थोड़ा पैसा दे भी रहे हैं और मुझे आश्वासन दिया है कि वह पैसा इसके लिए दे देंगे। जहां तक बिलासपुर का प्रश्न है, यह ठीक है, हमारी कोशिश है और सरकार का उद्देश्य है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करें क्योंकि 90 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और शहरों में सिर्फ 10 प्रतिशत रहते हैं। शहरों में हमारे रीजनल, जोनल, स्टेट हॉस्पिटल हैं। मेडिकल कॉलेजिज़ हैं। इसलिए हमारी कोशिश है। पिछली बार भी पिछली सरकार ने 19 प्राईमरी हैल्थ सैंटर खोलें। लेकिन उनके लिए आपने जिन पी0एच0सीज़ का नाम लिया उनमें डॉक्टरों की पोस्ट सैंक्शन नहीं है। फार्मासिस्ट की पोस्ट सैंक्शन नहीं है और इसी तरीके से क्लास-IV की पोस्ट सैंक्शन नहीं है। मैंने प्रिंसीपल सैक्रेटरी (हैल्थ) को कहा है कि इन प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज़ में डॉक्टरों की

पोस्टें सैंक्शन नहीं हैं, कम्पाउंडर की नहीं हैं, वह कैबिनेट में हम मामला ले जायेंगे। आज हमारे पास शॉर्टेज़ ऑफ स्टाफ है क्योंकि एक्सपैंशन बहुत ज्यादा हुआ है। नये-नये प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज़ हमने खोले

27.08.2016/1305/SS-AS/3

हैं। प्रदेश के अंदर लगभग 67 प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज़ खुल गए। 67 डॉक्टरों की ज़रूरत है और हमारे 19 कम्युनिटी हैल्थ सैंटर्ज़ सिविल हॉस्पिटल्ज़ बना दिये गये हैं। इसी तरह से 21 हमारे पी0एच0सीज़0 कम्युनिटी हैल्थ सैंटर्ज़ बनाए गए हैं तो नैचुरली डॉक्टरों की संख्या हमें चाहिए। पैरा मेडिकल स्टाफ इसके लिए चाहिए। जहां तक बिलासपुर का प्रश्न है, जहां तक स्पैशलिस्टों का प्रश्न है बिलासपुर रीजनल हॉस्पिटल में स्पैशलिस्ट इस वक्त 17 हैं। आपने कहा है कि कुछ डैपुटेशन पर भेजे हैं। लाहौल-स्पिति ट्राईबल एरिया है। उसमें सिर्फ गर्मियों के दिनों में ही लोग ऊपर रहते हैं बाकी दिनों नीचे मनाली या कुल्लू आ जाते हैं। उसके लिए हमने फैसला किया है कि हर हॉस्पिटल से जहां दो-दो या तीन-तीन स्पैशलिस्टस हैं एक-एक स्पैशलिस्ट गर्मियों में दो महीने के लिए भेजते हैं। वे लोगों को सेवाएं देते हैं और आकर ये बताते हैं कि उनके पास बहुत कम मरीज़ आते हैं। ये प्रोसैस है। जो डैपुटेशन पर गये थे, अब वे वापिस आ गए हैं। आप कहते हैं कि दो महीने से नहीं हैं मैं यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त आपके 7 पद खाली हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

27.08.2016/1310/केएस/डीसी/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी---

एक एनैसथिसिया का डॉक्टर 16.07.2016 से अपनी बीमारी के कारण छुट्टी पर है। तब तक वहां पर ऑप्रेशन हो रहे थे। मैं आपकी सूचना के लिए बता देना चाहता हूं कि 11.08.2016 को डॉ0 मोनिका पठानिया, सुपुत्री श्री प्रदीप अत्री की नियुक्ति एनैसथिसिया विशेषज्ञ के पद पर की गई है जिसकी कार्य ग्रहण सूचना अभी अपेक्षित है, अब तो उसने ज्वाईन कर लिया होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वह ज्वाईन करेगी। इसके अलावा

सर्जरी के दो विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग के दो, अस्थी रोग के दो, नाक,गला, कान के दो, फॉरैंसिक मैडिसिन के दो, रैडियोलॉजी का एक, शिशु रोग एक, नेत्र रोग एक विशेषज्ञ है। इसी तरह से जहां चर्म रोग का एक विशेषज्ञ होना चाहिए वहा चर्म रोग के दो विशेषज्ञ हैं, मैडिसन का एक है और एनैसथिसिया का एक विशेषज्ञ है जो कि छुट्टी पर गया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये ऑप्रेशन होने चाहिए। चार दिन पहले ही स्थानीय विधायक श्री बम्बर ठाकुर जी इस सम्बन्ध में मुझसे मिले थे। उन्होंने भी इस बारे में मुझे कहा है कि वहां डॉक्टरों की कमी है और उनकी भर्ती की जाए। मैंने उनको भी विश्वास दिलाया था कि जैसे ही डॉक्टर उपलब्ध होंगें, दे दिए जाएंगें। वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से एक और एनैसथिज़िया की डॉक्टर आई है, उनको भी हम बिलासपुर भेज रहे हैं ताकि सुनिश्चित हो जाए कि बिलासपुर में विधिवत रूप से ऑप्रेशन हों। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कोशिश है कि हर पी.एच.सी. में एक डॉक्टर उपलब्ध हो। आपने कहा कि कहीं पर तीन थे, अब एक नहीं है सिर्फ दो ही है या कई जगह दो डॉक्टर थे उनमें से एक नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि कम से कम एक डॉक्टर तो पी.एच.सी. में होना ही चाहिए।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 3500 की आबादी पर एक डॉक्टर है और अगर हम ऑल इंडिया एवरेज़ देखें तो 13000 की आबादी पर एक डॉक्टर है । इस तरह से हिमाचल की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी है। हम इसमें और सुधार लाने की कोशिश करेंगें और जो कमिया हैं, उनको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगें, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। धन्यवाद।

27.08.2016/1310/केएस/डीसी/2

अध्यक्षः रणधीर शर्मा जी, क्या आप कुछ पूछना चाहेंगें?

श्री रणधीर शर्माः जी, अध्यक्ष महोदय। एक तो माननीय मंत्री जी ने यहां पर मैडिकल कॉलेजिज़ की चर्चा की, मैडिकल कॉलेज में तो डॉक्टर बनने में पांच साल लगते हैं, उसका तो इन्तज़ार नहीं किया जा सकता। दूसरे, जो इन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय से पी.एच.सी. में पोस्ट सेंक्शन नहीं थी, हमारे यहां जो भी पी.एच.सीज़ खुली थीं उनमें डॉक्टर की पोस्ट स्वीकृत थी और उसके बाद डॉक्टर आए थे, डॉक्टर वहां रहे है।

हमारी सरकार के समय में भी रहे और आपकी सरकार के समय में भी रहे परन्तु अभी पिछले साल से या छः-छः महीने से पद खाली है इसलिए यह तथ्य पर आधारित नहीं है कि जो पिछली सरकार के समय में पी.एच.सी. सेंक्शन हुई थी उसमें डॉक्टरों की पोस्टें स्वीकृत नहीं थी। डॉक्टरों की पोस्टें स्वीकृत थीं परन्तु अभी 11 पी.एच.सी. ऐसी है जहां एक भी डॉक्टर नहीं है। मैंने यही आग्रह किया था और उन 11 पी.एच.सीज़ का नाम अलग गिनाया कि उनमें एक भी डॉक्टर नहीं है इसलिए वहां पर डॉक्टर लगाए जाएं। आप खुद ही नए संस्थानों के बारे में बोल रहे हैं ।600 डॉक्टरों की कमी के बावजूद भी लोगों की मांग हो न हो, नए स्वास्थ्य संस्थान दिए जा रहे हैं तो ये वोट की राजनीति आप बन्द करें ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हों। विस्तार तो हो चुका है अब उनको सुदृढ़ करने की ओर सरकार ध्यान दें, यह मेरा आग्रह है।

27.08.2016/1310/केएस/डीसी/3

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां पर पूरी तरह से वस्तुस्थिति बयान की है और ये कहते हैं कि जो 19 पी.एच.सीज़ इनकी सरकार के समय में खुली थीं। पोस्टें सेंक्शन नहीं की थी और उसका रिकॉर्ड मैं इनको दे सकता हूं। उस समय कहा गया था कि इंटरनलाईजेशन के माध्यम से ये पोस्टें भर दी जाएंगी। जब पोस्टें सेंक्शन ही नहीं हुई है, यह ठीक है आपने किसी दूसरे इंस्टिट्यूशन से उनमें डॉक्टर भेजे थे लेकिन हम अब कोशिश कर रहे हैं कि जिन स्वास्थ्य संस्थाओं में डॉक्टर, फार्मासिस्ट और क्लास-iv मंजूर नहीं किए गए थे, उन सभी में हम पोस्टें सेंक्शन करने का प्रयास करेंगें। यह ठीक है, मैंने तो ऐसे ही मैडिकल कॉलेज का हवाला दिया, नड्डा साहब की तारीफ़ कर दी तो आपको शायद इसमें कोई गिला नहीं होना चाहिए । डॉक्टरों की कमी हमें पड़ती रहेगी, कम नहीं होंगी इसलिए बाहर से हम डॉक्टर ला रहे हैं। अगर हमारे पास डॉक्टर होते तो हम अपने डॉक्टरों को प्रैफरेंस देते हैं। हर साल 198 डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.8.2016/1315/av/dc/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री---------- जारी

और हर साल डॉक्टर्ज की 198 पोस्टें खाली हो रही है। मैंने इसीलिए मैडिकल कॉलेज का हवाला दिया लेकिन मेरी कोशिश होगी, रेशनेलाईजेशन की जायेगी। जहां पर प्राइमरी हैल्थ सैंटर में दो-दो डॉक्टर्ज हैं वहां से एक विद्ड्रा करके खाली पी0एच0सी0 में भेज दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त जो पैरा मैडिकल स्टाफ की कमी है जैसे फार्मासिस्ट्स, लैब टैक्निशियन्ज, स्टाफ नर्सों की कमी है; उसके बारे में हि0प्र0एस0एस0एस0 बी0 जिसका नाम अब स्टाफ सैलैक्शन कमीशन है; को पोस्टें दे दी हैं। उसके इन्टरव्यू चल रहे हैं **लेकिन फिर भी जो कमी हैं हम उस कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं।**

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी मंत्री जी से कुछ पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आप नहीं बोल सकते।

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि जिन पी0एच0सी0 में पोस्टें सैंक्शन नहीं हुई और पी0एच0सी0 खुल गई आप उनके लिए तीन साल से हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम केबिनैट में भेजेंगे। आप इस बारे में स्पष्टीकरण दें कि उनको केबिनैट में कब भेजा जायेगा?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राज्य मंत्री भी रहे हैं। केबिनैट में मामला वित्त विभाग की रिपोर्ट के बाद आता है। अगर मामले वित्त विभाग को भेजे हैं और मामला अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के विचाराधीन है तो **जैसे ही उनसे हमें रिपोर्ट आती है हम उस मामले को केबिनैट में ले जायेंगे और पोस्टें सैंक्शन करेंगे।**

अध्यक्ष : अब इस मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.15 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

27/08/2016/1415/TCV/AG/1

(सदन की बैठक दोहपर के भोजनोपरान्त अपराह्न 2.15 बजे पुनः आरम्भ हुई)

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

(अनुमति दी गई)

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करेंगे।

27/08/2016/1415/TCV/AG/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19) पुरःस्थापित हुआ।

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

27/08/2016/1420/NS/AG/1

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

श्री सुरेश भारद्वाज जी कुछ बोलना चाहेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। प्रदेश सरकार ने उनको ज़मीन दी है और सरकार उसमें वित्तीय मदद भी करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ज़मीन और पैसा भी देगी और आज यह बिल बन रहा है। वहां पर एक गांव है, शायद यह बात माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में भी आई होगी। उस गांव के जो लोग ऊपर की तरफ रहते हैं, उनका रास्ता उसी ज़मीन से था, लेकिन अब उनका आने-जाने का रास्ता बंद हो गया है। आपने इसको बना दिया है, लेकिन आपने इसकी बाई ऑर्डिनैंस एस्टेबलिशमैंट की। आपको ऑर्डिनैंस की इतनी आवश्यकता क्या थी और आपको क्यों ऑर्डिनैंस लाना पड़ा? ऑर्डिनैंस की मूल भावना यह है कि जब सदन न हो और बहुत अरजैंट मैटर हो,तब ऑर्डिनैंस किया जाता है। कई अरसे से इसकी तैयारी हो रही थी और यह बन रहा था तो अभी सैशन आ ही गया था और यह बिल उसमें पास हो जाता, उसके बाद एस्टैबलिश हो जाता तथा ऑर्डिनैंस जारी करने की आवश्यकता ही नहीं थी। विधि विश्वविद्यालय में इस प्रकार का काम किया गया और उसकी स्थापना के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश भी आए हुए थे। प्रदेश के भी सारे न्यायाधीश उसमें शामिल थे। दूसरा, मेरा सबसे बड़ा ऑब्जैक्शन यह है कि उसमें जो अध्याय 3 है। उसके अनुसार विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे- शासी परिषद, कार्यकारी परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति और ऐसे अन्य प्राधिकरण जो विश्वविद्यालय द्वारा विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण बनाए गए। फिर इसके 11 (1) शासी परिषद विश्वविद्यालय के थ्रू प्राथमिकता होगी और इसका निम्न प्रकार से गठन होगा। इसमें पहला कुलाधिपति, फिर कुलपति, कुलाध्यक्ष (विज़िटर)है। आपने विज़िटर मुख्य न्यायधीश (सर्वोच्च न्यायालय) को रखा है, वह ठीक है। सरकार से संबंधित जो भी विश्वविद्यालय हैं, उनका कुलपति उस प्रदेश का राज्यपाल होता है।

27/08/2016/1420/NS/AG/2

Whosoever is the Governor, by virtue of being Governor, he is Chancellor of every University. इसमें डेविएशन क्यों की जा रही है? आप गवर्नर के स्थान पर मुख्य न्यायाधीश को रख रहे हैं। हमारे कानून में एकरूपता है और एक दृष्टि से बनी हुई परम्पराएं है, कानून भी हैं और सारे देश में एक जैसा है तो इसमें आपने मुख्य न्यायाधीश को शामिल कर दिया। अब न्यायाधीशों के पास इतना ज्यादा काम है कि उनके पास बाकी

कामों के लिए समय कहां होगा? यह गवर्नर को इसलिए दिया होता है कि उसने अपनी सरकार को देखना होता है। बाकी सब काम तो मुख्य मंत्री और मंत्री करते हैं, इसलिए गवर्नर के पास चांसलर का काम दिया गया है। इस विश्वविद्यालय में यह डेविएशन क्यों की गई है? मुझे लगता है कि यह डेविएशन नहीं की जानी चाहिए और गवर्नर को भी इसका चांसलर होना चाहिए क्योंकि सरकार के साथ भी तालमेल होगा। दूसरा मेरा ऑब्जैक्शन यह है कि आपने जो इसकी शासी परिषद बनाई है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कोर्ट है, प्राईवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी इसी प्रकार की संस्थाएं हैं। आपके सरकारी दो विश्वविद्यालय और हैं, उसमें भी एक जैसे नियम बना रखे हैं,

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

27/08/2016/1425/RKS/AS/1

श्री सुरेश भारद्धाज .... जारी

इन विश्वविद्यालयों में जो कोर्ट हैं, उस कोर्ट में सदन के सदस्य चुनकर जाते हैं। लेकिन इस बिल के अनुसार इस विश्वविद्यालय में सदन के सदस्य नहीं है। इसमें भारत का महान्यायवादी और हिमाचल प्रदेश का वित्त मंत्री है। इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। बाकि विश्वविद्यालयों में आप सैक्रेटरीज़ रखते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आपने यह नियम बना दिया है और सैक्रेटरी को यह अधिकार दे दिया है कि वह अपने नॉम्नीज़ भेज सकता है। लेकिन इस विधयेक के अनुसार आप मंत्री भेज रहे हैं। इसमें "वित्त मंत्री, उच्चतम शिक्षा मंत्री, विधि मंत्री, कुलाधिपति द्वारा नामित हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश, भारत का सॉलिस्टिर जनरल, महाधिवक्ता, विधिक परिषद्, अनुदान आयोग, राज्य विधिक आयोग और कार्यकारी परिषद् होगा"। लेकिन लैजिस्लेटिव असैम्बली को इसमें इग्नोर किया गया है। हर विश्वविद्यालय में यहां तक कि प्राईवेट विश्वविद्यालय में भी आपने इस प्रकार का रिज़ोल्यूशन पास किया है कि जो प्राईवेट यूनिवर्सिटीज़ की कोर्ट हैं उसमें इस सदन के सदस्य मैम्बर होते हैं। बहुत सारे

विश्वविद्यालय और सैन्ट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पार्लियामैंटरी मैम्बर कोर्ट में जाते हैं। एग्जैक्टिव कौंसिल में यह एक अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन जो कोर्ट है, शासकीय परिषद् है उसमें आपने इस सदन को पूरी तरह इग्नोर किया हुआ है, जोकि लैजिस्लेचर का एक तरह से अपमान है। मंत्रियों को आपने इसमें मैम्बर बना दिया है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को आपने चान्सलर बनाया है। लैजिस्लेटिव असैम्बली को आपने पूरी तरह इग्नोर कर दिया है, जबकि लैजिस्लेटिव असैम्बली सदस्यों को इलैक्ट करके भेजती थी। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बिल को आप सलैक्ट कमेटी को भेजिए या इसमें कुछ अमैंडमैंट कीजिए। सदन का भी इसमें नॉमिनेशन होना चाहिए क्योंकि न्यायपालिका, लैजिस्लेचर और एग्जैक्टिव को ऑवर रूल करके बड़ी संस्था बनती जा रही है। जबकि संवैधानिक व्यवस्था कुछ और है। सबका अपना-अपना दायरा है। विधायी कार्य अलग है, न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका का कार्य अलग है। हर काम में हाई कोर्ट का इंटरफियरैंस हो रहा है

27/08/2016/1425/RKS/AS/2

और लैजिस्लेचर को वह करना पड़ेगा जो हाई कोर्ट आदेश देगा। यह संविधान की व्यवस्था के विपरीत है। इस बिल में सरकार अमैंडमैंट लाए अन्यथा इसे सलैक्ट कमेटी को भेजा जाए। इस बिल पर प्रोपरली डिसकशन होनी चाहिए तभी यह बिल लाया जाए। जो आपका आर्डिनैंस 6 महीने से चल रहा है, जो एस्टाब्लिश करना था वे उसमें कर दिए हैं। अतः इस विषय पर मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस पर विचार करें क्योंकि आप स्वयं लैजिस्लेचर रहे हैं, पार्लियामैंटेरियन रहे हैं और 6 बार प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे हैं। यदि इस तरह लैजिस्लेचर को अंडरमाइन किया जाता रहेगा तो यह ठीक बात नहीं है। गवर्नर के कार्यालय और लैजिस्लेचर को इग्नोर किया गया है जोकि गलत बात है और इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी ने बहुत ही वैल्डि प्वाईंटस उठाए हैं। किसी प्रदेश में कोई विश्वविद्यालय हो तो उसके कुलपति हमेशा राज्यपाल होते हैं। प्रोटोकॉल में भी चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, को जो ऑथ दिलाते हैं, वह राज्यपाल दिलाते हैं। राज्यपाल के होते हुए किसी और को कुलपति बनाना उचित नहीं है।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

27.08.2016/1430/SLS-AS-1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ...जारी

हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे प्रदेश में वित्त मंत्री साधारणतया मुख्य मंत्री ही होते हैं। जैसे बताया गया कि फाइनैंश सैक्रेटरी को भी अथोराइज किया गया है कि वह अपने किसी नोमिनी को भेज सकता है, क्या माननीय मुख्य मंत्री, जो वित्त मंत्री के तौर पर होंगे, उनके पास इतना समय होगा कि वह उस मीटिंग के लिए जा सकेंगे? प्रोटोकोलवाइज भी यह जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। मैं बाकी प्वायंट्स को रिपीट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं भी इस सुझाव से सहमत हूं। माननीय मुख्य मंत्री इस पर विचार करें और इसको स्लैक्ट कमेटी के लिए रैफर कर दिया जाए। अभी छः महीनों के लिए आर्डिनैंस जारी है। स्लैक्ट कमेटी में सारे इसु डिटेल से डिसकस हो जाएं, उसके बाद आप एक्ट लाएं और उसको पास करें। यह अच्छी बात है और इसका हम स्वागत करते हैं। लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड बहुत पुरानी चल रही थी जो बननी चाहिए। अगर स्लैक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जाएगा तो सबकी सहमति से एक अच्छा कानून बनेगा और एक अच्छे विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकेगी।

27.08.2016/1430/SLS-AS-2

अध्यक्ष : श्री रणधीर शर्मा जी, आप भी अपनी बात रखें।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस बिल में माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय धूमल जी ने और सुरेश भारद्वाज जी ने जो अमैंडमैंट्स दी हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनके साथ-साथ मैं भी एक छोटी-सी अमैंडमैंट यहां पर कोट करना चाहता हूं। इसी बिल में जो चैप्टर-3 है उसके क्लॉज-12 में जो गवर्निंग कौंसिल की बात है, इसमें दो तरह के मैंबर हैं। नोमिनेटिड भी हैं और एक्स-ऑफिसियो भी हैं। उसके बाद क्लॉज-12 में इनका टर्म ऑफ ऑफिस दोनों के लिए मैंशन किया है - एक्स-ऑफिसियो के लिए भी और नोमिनेटिड के लिए भी, जबकि एक्स-ऑफिसियो तो तब तक मैंबर रहेगा ही जब तक वह ऑफिस में हैं। उसके लिए टर्म ऑफ ऑफिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको अलग करना चाहिए। इसी तरह, उसके लिए रैजिग्नेशन का प्रोविजन भी नहीं होना चाहिए। वह तो due to his post है। वह जब तक उस पोस्ट में है तब तक वह गवर्निंग कौंसिल का मैंबर है। वह रिजाइन दे ही नहीं सकता। इसलिए इसमें यह अमैंडमैंट भी लानी चाहिए कि जो एक्स-ऑफिसियो मैंबर्ज़ हैं, उन पर यह टर्म ऑफ ऑफिस लागू न हो और प्रोविजन ऑफ रैजिग्नेशन न हो। इसी तरह एग्जीक्युटिव कौंसिल में भी दोनों तरह के मैंबर हैं - नोमिनेटिड भी हैं और एक्स ऑफिसियो भी हैं। वहां भी दोनों के लिए यह टर्म तय की गई हैं और रैजिग्नेशन का प्रोविजन भी दोनों का किया गया है जबकि जो एक्स-ऑफिसियो मैंबर्ज़ हैं, गवर्निंग कौंसिल की तरह एग्जीक्युटिव कौंसिल में भी उनके लिए ज़रूरत नहीं है कि एक्स-ऑफिसियो मैंबर्ज़ की टर्म मैंशन की जाए। वह करने की ज़रूरत ही नहीं है और वह हो भी नहीं सकती। इसलिए प्रोविजन ऑफ रैजिग्नेशन भी उसमें नहीं हो सकता। दोनों क्लॉजिज में यह छोटी-छोटी अमैंडमैंट्स हो तो ठीक रहेगा, यही मेरा सुझाव है।

27.08.2016/1430/SLS-AS-3

Chief Minister: Hon'ble Speaker, Sir, there has been lot of discussion on this matter and the Bill differs from other Bills, which we have passed for establishment of the Universities. Now, the pattern, which is in this Bill, is

followed in almost all the Universities in the country, barring one state that is Haryana. After seeing that most of the Law Universities set-up in the various States, the pattern which has been given, is being followed. In fact, the Governor should be the Chancellor of the University, was discussed by the Hon'ble Governor also with the Chief Justice. I understand that he also agreed to this proposition as contained in this Bill. So, I think, we should not interfere in it. All the Central Law Universities, which are famous in the country and which are well thought of, which are renowned throughout the country, have the same pattern as given in this Bill. So, I request the House to accept the Bill as it is.

Continue in English by DC

27/08/2016/1435/RG/DC/1

Sh. Suresh Bhardwaj: My second point is that this House has not been represented. Throughout the country in all the universities , legislatures and parliamentarians they also elected by the House and nominated to the University Courts. शासी परिषद इसमें दीजिए। इसमें डेवीएशन क्यों की गई है कि Legislatures को elected representatives विधि के क्षेत्र में क्या उनकी आवश्यकता ही नहीं है? इसलिए वे किसी विधान सभा या पार्लियामेंट को रेप्रिजेंट नहीं कर सकते, लॉ के क्षेत्र में इन्टरफियरेन्स नहीं हो सकती?

Chief Minister: I have stated this matter was discussed in detail and I have told this is the pattern being followed in all the Central Universities and I see for no reason why we should depart from it. We have discussed it with UGC and with also the Statute of the other Universities and we found that same. It is as per the others Statutes throughout India.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि इसमें ऑफिशियल लेवल पर डिटेल्ड डिसकशन हुई होगी। आपने अन्य विश्वविद्यालयों का भी जिक्र किय, आपने उनके statutes देखे हैं, लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि विधान सभा को भी, जिसके कारण ही कानून बनेगा और जब विधान सभा पास करेगी तब कानून बनेगा। उसकी प्रवर समिति भी इसको कन्सीडर कर ले। वह जो लिट्रेचर आपने स्टडी किया होगा जिन लोगों ने पहले फॉर्म किया, उसको समिति को उपलब्ध करवाएं, उसमें सलैक्ट लोग होंगे जिनको लॉ की जानकारी है और लॉ से संबंधित विधान सभा में लोग हैं। अगर प्रवर समिति को इस विधेयक को रेफर कर देंगे, तो अगले सत्र में यह पास हो जाएगा।
इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि इसको आप प्रवर समिति को सौंप दें। जो दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों के statutes आए हैं उनको भी रेफर कर दिया जाए और जिन ऑफिसर्ज ने इसको स्टडी किया है, they can also guide and give their opinion before the Select Committee. मुझे लगता है कि यह विधेयक अच्छा और ठीक बने। इसका परपज़ तो यही है। इस विश्वविद्यालय की डायरैक्शन्ज आपको सीधी आया करेंगी कि इतने पैसे इस विश्वविद्यालय को दो और मुख्य मंत्री वित्त मंत्री के तौर पर इसके मेम्बर होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि पूरा लैजिस्लेचर इस पर माईन्ड अप्लाई करे और फिर उसके पश्चात

27/08/2016/1435/RG/DC/2

इसको पारित करे। जैसे भी आपको करना होगा, नहीं तो, आपका बहुमत है आप जैसे भी करें।

Chief Minister: Government is not in position to accept this proposition. I will be seek the House to pass the bill as it is.

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2916 का विधेयक संख्याक 15)' पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डश: विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 54 तक विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 ,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48, 49,50,51,52,53 और 54 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1 , संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2916 का विधेयक संख्याक 15)' को पारित किया जाए।

एम.एस. द्वारा मुख्य मंत्री शुरू

27/08/2016/1440/MS/AS/1

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं 'हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15)' को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15)' को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15)' को पारित किया जाए?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

'हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 15)' पारित हुआ।

27/08/2016/1440/MS/AS/2

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19)' पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19)' पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19)'पर विचार किया जाए। तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19)' पर विचार किया जाए?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

अब बिल पर क्रमशः विचार होगा।
तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।
तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)
खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19)' को पारित किया जाए।

27/08/2016/1440/MS/AS/3

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19)' को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19)' को पारित किया जाए। तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19)' को पारित किया जाए?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

'हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 19)' पारित हुआ।

27/08/2016/1440/MS/AS/4

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेट और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषिद्ध करने तथा सिगरेटों और अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18)' पर विचार किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेट और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषिद्ध करने तथा

सिगरेटों और अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18)' पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेट और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषिद्ध करने तथा सिगरेटों और अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18)' पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः डॉ0 राजीव बिन्दल जी बोलेंगे?

27/08/2016/1440/MS/AS/5

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस विधेयक को अच्छी नीयत के साथ लेकर आए हैं। मेरा इसमें यह आग्रह है कि खुले स्थानों में सिगरेट पीने पर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था और उसकी इम्प्लीमैंटेशन का लैवल लगातार घट रहा है। इवन शिमला का मालरोड जो प्रतिबन्धित क्षेत्र है, वहां पर भी सिगरेट पीते हुए लोग दिखाई देते हैं। ऐक्ट बना है तो उसकी इम्प्लीमैंटेशन भी होनी चाहिए। दूसरा, इसी ऐक्ट में प्रावधान किया गया था कि स्कूलों से 100 मीटर की दूरी पर तम्बाकू के उत्पाद नहीं बिकेंगे। उसकी इम्प्लीमैंटेशन का लैवल भी बहुत गम्भीर है। ये ऐक्ट जो लेकर आप आए हैं।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

27.08.2016/1445/जेके/एजी/1

डॉ0 राजीव बिन्दलः----जारी-----

इसमें दो हिस्से जो हमें समझ में आता है। एक सिगरेट, तम्बाकू बेचने वाले की रजिस्ट्रेशन का मामला है और रजिस्ट्रेशन के बाद आपने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन न कराने की सूरत में तीन महीने की सजा और 50 हजार रूपए के जुर्माने का प्रावधान किया है। दूसरा चांस होने पर 6 महीने की सजा और 1 लाख रूपए के जुर्माने का प्रावधान किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत छोटे स्तर के लोग रेहड़ी वाले, फड़ी वाले ऐसे लोग आमतौर पर सिगरेट, तम्बाकू बेचने का काम करते हैं। जो इसमें सजा का प्रावधान है वह 50 हजार रूपए और 1 लाख रूपए, तीन महीने व छः महीने ये पुनर्विचार के योग्य है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन न करवाने की सूरत में यह सजा का प्रावधान है। जो इस एक्ट का दूसरा पहलू है जिसमें खुली सिगरेट बेचने पर, खुली बीड़ी बेचने पर प्रतिबंध है। उसमें power of entry, search and seizure ये ऑब्जैक्शनेबल है। Any Police Officer not below the rank of Assistant Sub Inspector or any authorized officer, पुलिस ऑफिसर का किसी भी दुकान में जाना वहां पर सीज़र करना यह बिल्कुल गलत है। पुलिस ऑफिसर वहां पर जा करके अगर सिगरेट की चैकिंग करेगा और यदि किसी ने खुले में दो सिगरेट बेच दी तो वह तो सारे इलाके में बदनाम हो जाएगा कि पुलिस ने छापा मारा। हैल्थ डिपार्टमैंट का ऑफिसर, किसी दूसरे डिपार्टमैंट का ऑफिसर जिसको भी आप ऑथोराईज्ड ऑफिसर लिख रहे हैं, वह ठीक है इसमें से पुलिस ऑफिसर को डिलीट करना चाहिए, यह मेरा इसमें आग्रह है। मैंने दो बातें यहां पर रखी है। एक तो पहले वाला विषय उसमें सजा का प्रावधान और दूसरे में पुलिस ऑफिसर का सीज़र के लिए जाना यह उचित नहीं होगा इतना मेरा कहना है।

27.08.2016/1445/जेके/एजी/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, डॉ0 राजीव बिन्दल ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। एक तो इन्होंने कहा कि पब्लिक प्लेसिज़ में सिगरेट, तम्बाकू पीने पर मनाही है और उसकी वॉयलेशन हो रही है। शायद आपको याद होगा माननीय धूमल साहब के वक्त में पब्लिक प्लेसिज में और हमारे वक्त में भी हिमाचल प्रदेश को पब्लिक प्लेसिज में सिगरेट और तम्बाकू से मुक्त किया है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में लगभग डेढ़ लाख मामले इसकी वॉयलेशन के पकड़े गए हैं। आप कहते हैं कम हुआ है। उसमें भी पुलिस ऑफिसर, ए0एस0आई0 ही उसमें चालान करते हैं और वे ही

उसको कम्पाऊंड कर सकते हैं। उसमें आपने कहा है कि अगर हम इस एक्ट को लागू कर रहे हैं, हमने पहले केबिनैट से अप्रूवल ली कि सिंगल सिगरेट बेचने पर पाबंदी लगाई है। पाबंदी लगाई है और यदि बाद में कोई कहे कि मैं तो सिगरेट बेचता ही नहीं और आप कहते हैं कि सिगरेट आदि बेचने वाले कम होते हैं। सिगरेट और पान बेचने वालों की कोठियां शिमला में बन गई है। आपको शायद पता है या नहीं है और मैक्सिमम सहारनपुर आदि शहरों के हैं। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी कोई भी व्यापार कर सकता है। मैं अभी पीछे छः महीने पहले जो हमारा स्टेट का कैंसर हॉस्पिटल है वहां गया। वहां पर जितने भी मरीजों से मैंने पूछा उनमें से 70 प्रतिशत मरीजों को तम्बाकू की वज़ह से कैंसर हुआ था, तम्बाकू खाने की वजह से कैंसर हुआ है, सिगरेट या बीड़ी पीने की वज़ह से कैंसर हुआ, गुटका या खैनी खाने की वज़ह से कैंसर हुआ है। दूसरे, जो सिगरेट पीने की आदत बच्चों में पड़ती है वह खुली सिगरेट से पड़ती है। एक-एक सिगरेट खरीद कर फिर उसका वह आदी बन जाता है। कोई भी विद्यार्थी पूरी डिब्बी नहीं खरीदता है। पूरी डिब्बी में बाकायदा वार्निंग होती है स्मोकिंग किल्ज़। लेकिन सिंगल सिगरेट में इस किस्म की कोई वार्निंग प्रैसक्राईब नहीं की गई है और उत्तराखंड का जो नैनिताल हाई कोर्ट है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

27.08.2016/1450/SS-AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागतः

उन्होंने इस पर फैसला दिया था, क्योंकि उत्तराखंड ने भी खुली सिगरेट पर बैन किया था, उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि खुली सिगरेट/बीड़ी में कोई इस किस्म की वार्निंग नहीं लिखी होती है, न कोई फोटोग्राफ होता है इसलिए इसको बैन करना कानूनी तौर पर जायज़ है। जहां तक सज़ा की बात है, यह लिखा हुआ है कि या तो सज़ा होगी या ज़र्माना होगा। यह एक डर की बात होती है कि आदमी रजिस्ट्रेशन करें। अध्यक्ष महोदय, हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसैस भी बड़ा आसान कर दिया है। अगर कोई पंचायत में है तो पंचायत में

थोड़ी-सी फीस देकर अपने आपको तीन साल के लिए रजिस्टर कर सकता है। तीन साल के बाद फिर रिन्यूअल कर सकता है। अगर नगर कारपोरेशन के अंदर है तो कारपोरेशन में जा करके वह अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और यह सर्टिफिकेट उसको अपनी दुकान के सामने लगाना वाजिब कर दिया है। जो यह सिगरेट बेच रहा है लेकिन उसने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है फिर उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूं कि इससे हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर और कैंसर मरीज़ के रोगियों पर जो करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं उसे बचा सकेंगे तथा हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकेंगे। इसलिए मैं माननीय सदन से चाहूंगा कि इस बिल को पास करें ताकि हिमाचल प्रदेश में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार हो।

अध्यक्षः डॉ0 राजीव बिंदल जी।

डॉ0 राजीव बिंदलः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे पहले शब्द को सुना नहीं और उसकी व्याख्या लम्बी-चौड़ी कर दी। मैंने पहले ही कहा कि आप बहुत अच्छी नीयत के साथ इस बिल को लाए हैं। वह शब्द आपने बाहर निकाल दिया। आपने कहा कि कैंसर, मुझे भी पता है कि सारे प्रदेश और देश में सिगरेट, तम्बाकू बहुत बड़ी carcinogenic problem है और इसीलिए मैंने आपके संज्ञान में लाया। आपने कहा कि केवल पुलिस वाले ही उनका चालान कर रहे हैं और पैसे इकट्ठे कर मामला कम्पाउंड कर रहे हैं। केवल पुलिस वाले ही नहीं, हर ऑफिस में धूमल जी की सरकार के समय से और अधिकारी नियुक्त किये हैं और पहली बार रसीद बुकें और सारा कुछ करने का काम धूमल जी की सरकार के समय में हुआ है। आप उसको एक्सटेंड कर रहे हैं वह बहुत अच्छा है। हिमाचल प्रदेश पूरा

27.08.2016/1450/SS-AG/2

सिगरेट फ्री होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आप टोटल सिगरेट पर बैन कर दो, हमें उस बात की भी खुशी है। मैंने केवल आपकी एक बात को रखा है कि इंस्पैक्शन करने के लिए जाने वाला जो अधिकारी है वह आपने इसके अंदर मैंशन किया है। Any Police Officer not below the rank of Assistant Sub Inspector or any authorized officer आप इसको any authorized officer रखिये और वह वहां चैक कर लेगा। बाकी तो आपने सारे प्रावधान रखे हैं कि खुली सिगरेट पर प्रतिबंध होना चाहिए। यह ठीक है। हम उसमें आपके

साथ हैं और पूरा प्रदेश आपके साथ है। इतना मेरा सुझाव है, मैंने आपको दिया है। आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पब्लिक प्रेमिसिज़ में जो सिगरेट पीता है उसमें भी पुलिस ऑफिसर and authorized officer, authorized officer में मेडिकल ऑफिसर ऑफ हैल्थ भी है, हमारे हैल्थ सेफ्टी इंस्पैक्टर भी आते हैं। यहां तक कि ड्रग्ज़ इंस्पैक्टर भी उसमें आते हैं। इसलिए अगर कोई ए0एस0आई0 के सामने खुली सिगरेट बेच रहा है और ए0एस0आई0 पुलिस ऑफिसर भी कानून का पालन करवाने वालों में से है इसमें कोई ऐतराज नहीं है We are happy that our Police agency is very upright and very honest by and large. We should have faith on them. इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो कानून लाया गया है जैसे आपने कहा कि अच्छी नीयत के साथ लाया है उस नीयत को मानते हुए मेरा अनुरोध है कि इस कानून को पास किया जाए।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 12 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 विधेयक का अंग बने।

जारी श्रीमती के0एस0

27.08.2016/1455/केएस/एजी/1

अध्यक्ष जारी----

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) को पारित किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) को पारित किया जाए।

27.08.2016/1455/केएस/एजी/2

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) को पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) ध्वनिमत से पारित हुआ।

27.08.2016/1455/केएस/एजी/3

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3,4,5 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2,3,4,5 विधयेक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

27.08.2016/1455/केएस/एजी/4

अध्यक्षः अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) को पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 20) पारित हुआ।

27.08.2016/1455/केएस/एजी/5

अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः श्री महेन्द्र सिंह जी।

श्री महेन्द्र सिंहअ0व0 की बारी में---

27.8.2016/1500/av/ag/1

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने यहां पर जो संशोधित बिल लाया है मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां उन क्षेत्रों को वर्ष 2005 में साडा के अंतर्गत लाया गया था। यहां पर जो अमैंडमैंट्स प्रस्तुत हुई है उसमें आपने कहा है कि उस नोटिफिकेशन से पहले जिन्होंने अपने मकान बनाये हैं, अब यहां पर एक कन्ट्राडिकशन हो रही है कि राणी बाई के ओटा गांव से लेकर के गांव डडोर तक 14 मौहालों में साडा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण नियम लागू किया गया। अब ग्रामीण क्षेत्र था इसलिए वहां के लोगों को इस बारे में पता नहीं था कि उनको क्या-क्या औपचारिकताएं पूर्ण करनी है। अब पिछले साल क्या हुआ कि नेरचौक को म्युनिसिपल कौंसिल बना दिया है। अब उसमें से कुछ गांव म्युनिसिपल कौंसिल में चले गये हैं। लेकिन अभी तक वहां भी एक दुविधा बनी हुई है कि ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जो म्युनिसिपल कौंसिल में चले गये हैं। अब जो म्युनिसिपल कौंसिल में आ गया होगा उनको तो राहत मिल सकती है क्योंकि वहां उनके मकान उससे पहले निर्मित्त हो चुके थे। लेकिन इसके अलावा बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसके लिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जो शेष गांव बच गये हैं और बिल्कुल ही ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको भी

जैसे मर्ज्ड एरिया है। यहां पर जैसे टुटू इत्यादि एरिया के बारे में आपने इसमें लिखा हुआ है, उसी तर्ज़ पर उस क्षेत्र को भी डाला जाए।

मुख्य मंत्री : किया जायेगा। (बैठे-बैठे कहा।)

श्री महेन्द्र सिंह : ठीक है। दूसरा, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आप इसमें जो और छूट देने जा रहे हैं, आपने नगर निगम, नगर परिषद् व नगर पंचायत को; ये हमारी तीन किस्म की केटेगरीज हैं। लेकिन आपने इन तीनों किस्म की केटेगरी के लिए एक ही रेट लगा दिया है। जिसका मकान शिमला में बना है और शिमला की जो मार्किट वैल्यू है उस मार्किट वैल्यू को अगर आप बंजार या सरकाघाट के साथ जोड़े या आप उसका एक बराबर संतुलन समझें तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह उन छोटी-छोटी नगर पंचायतों के साथ बहुत बड़ा अन्याय

27.8.2016/1500/av/ag/2

होगा। नगर पंचायतों का मतलब यह है वह क्षेत्र केवल मात्र पंचायत के रूप में विकसित होना है। इसलिए यह जो आपने यहां पर एक ही पैटर्न अपनाया हुआ है उसके लिए मेरा एक निवेदन रहेगा। हमने इसके लिए अमैंडमैंट्स भी दी थी मगर वह अमैंडमैंट्स हो सकता है थोड़ी देरी से पहुंची हो इस करके वह इसमें इनकोर्पोरेट नहीं हो सकी हैं। इसलिए आपका जो 800 रुपये प्रति मीटर का रेट है इसको कृपया जैसे आपने नगर पालिका से बाहर के क्षेत्र में 400 रुपये रखा है वैसे ही नगर पंचायत के क्षेत्र में 400 रुपये रखने की कृपा करें। तीसरा, मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि जो क्षेत्र हमारे हैरिटेज जोन में आते हैं या ग्रीन एरिया में आते हैं; उनका भी बेचारों का क्या कसूर है? जिसने ग्रीन एरिया में जमीन ले रखी है और वहां पर उसको पूर्ण रूप से पाबंदी है कि वह वहां पर किसी प्रकार की कनस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। आप इस काम को करने जा रहे हैं तो वहां भी एक प्रावधान जरूर रखें ताकि कुछ-न-कुछ जिसके पास जितना है उसके 50 प्रतिशत में उसको कनस्ट्रक्शन करने की इज़ाज़त दें। जहां तक हमारी हैरिटेज बिल्डिंग्ज की बात आती है तो उसमें लास्ट में क्या होता है कि उनको आग लगा कर जला दिया जाता है।

ऐसी नौबत भी क्यों आए? अब जमाना 21वीं शताब्दी का है और 21वीं शताब्दी में सभी चाहेंगे कि हम भी अपने मकान और बिल्डिंग को सुधारें। इसलिए आप इसमें भी कुछ-न-कुछ प्रावधान करें। वैसे आपने डिवैल्पमैंट प्लान और इन्टरिम डिवैल्पमैंट प्लान की बात कही है

श्री टी0सी0 द्वारा जारी

27/08/2016/1505/TCV/AG/1

हिमाचल प्रदेश के अन्दर शायद ही कोई छूट-पूट डवैल्पमैंट प्लॉन प्रदेश सरकार से अप्रूव हुए होंगे। मैं देख रहा था कि जो 2012-13 की एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ले की गई है, इसमें 2-3 डवैल्पमैंट प्लॉन के अलावा सारे-के-सारे इन-प्रोग्रैस हैं। अतः में माननीय अध्यक्ष जी मैं एक बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। मनाली और कुल्लू के बीच में हाईकोर्ट की तरफ से एक रीस्ट्रिक्शन लगी है कि वहां पर तीन मंज़िलों से ऊपर मकान/भवन नहीं बना सकते हैं। क्या आप उस एरिया में जो तीन मजिलों से ज्यादा के भवन हैं, उनको भी कोई छूट दे रहे हैं? मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि जिन भवनों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही है, उनके लिए आपने कहा की शत-प्रतिशत बढ़ौतरी की जाएगी। यदि कोई पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है, तो उस पर भी हमें पुनर्विचार करना चाहिए। उनको हमें डिमोरलाइज़ नहीं करना चाहिए। हम सबको नौकरी नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसमें भी शत-प्रतिशत की जगह अगर आप इसको 50 प्रतिशत कर देंगे, तो मैं समझूंगा कि हमारे जो बेरोज़गार लोग हैं, जो अपने तरीके से कुछ कारोबार करना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा आपने कहा है कि जो बी0पी0एल0/ई0डब्लयू0एस0 फैम्लिज़ हैं, उनको 50 प्रतिशत की छूट होगी, लेकिन जो गरीब हैं, जिसके पास है ही कुछ नहीं, उनको यदि आप 50 प्रतिशत छूट की जगह 75 प्रतिशत छूट कर देंगे, तो वे भी बहुत बड़ी राहत महसूस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने एक नेक नीति से और जनहित में ये संशोधन विधेयक

चर्चा हेतु प्रस्तुत किया है, लेकिन एक बात आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। मंत्री महोदय को भी याद होगा कि जब 21 फरवरी, 2014 को आपने संशोधन विधेयक संख्या- 5 इस माननीय सदन में पेश किया था और माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध जी ने बोलना शुरू किया था, उसी बीच में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हस्तक्षेप करके इस विधेयक को सलैक्ट कमेटी को भेजने की बात कही थी। आपने इसको स्वीकृति प्रदान करते हुए

27/08/2016/1505/TCV/AG/2

सलैक्ट कमेटी भी बनाई। उसमें इस सदन की माननीय सदस्य श्रीमती आशा कुमारी, श्री अनिरूद्ध सिंह, श्री सुरेश भारद्वाज और मेरा नाम भी था। आपकी अध्यक्षता में सलैक्ट कमेटी बैठी और महीनों उस पर चर्चा हुई तथा रिपोर्ट तैयार हुई, लेकिन खेद का विषय कि उस रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस तरह से ये विधेयक पेंडिंग हो गया। उसके बाद आपने अध्यादेश पर अध्यादेश जारी किए, लेकिन ये विधेयक फिर भी खड़ा रहा। अंततोगत्वा 22 अगस्त, 2016 को आपने सदन को सूचित किया कि उस अध्यादेश को आप विद ड्रा कर रहे हैं और सदन को सूचना दी कि उसकी जगह पर दिनांक 4-06-2016 को कोई और अध्यादेश जारी किया है। इसके बार समाचार पत्रों में आया कि इस अध्यादेश के जारी होने से 55 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा।

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

27/08/2016/1510/NS/AG/1

श्री महेश्वर सिंह द्वारा ----- जारी।

फिर आपने इस अध्यादेश को भी विदड्रॉ करने की बात कही। यह 22 तारीख को हुआ और फिर 23 तारीख को आपने इस विधेयक को विदड्रॉ करने की बात कही जोकि 21-02-2014 को प्रस्तुत किया था। मेरा मानना यह है कि एकदफा जब आप कोई विधेयक सदन में

प्रस्तुत कर देते हैं तो उस पर आर्डिनैंस जारी नहीं कर सकते हैं। आप उसको विदड्रॉ करते और फिर आर्डिनैंस जारी करते तो समझ में आता, लेकिन दो वर्ष की इस पैंडेंसी में अनेकों बार अध्यादेश हुए और यह ज्यों-का-त्यों पड़ा रहा। लेकिन जैसा मैंने आरम्भ में कहा कि शायद यह गुडफेथ में रह गया होगा। उस पर न तो कोई सलैक्ट कमेटी की अनुशंसा पर चर्चा हुई। फिर भी आप एक अच्छा विधेयक लाए हैं। इस पर मैं केवल एक ही बात कहूंगा , जोकि माननीय श्री महिन्द्र सिंह जी ने भी कही है कि जो प्रावधान आपने किया है और आज आपने उसके ऊपर एक अमैंडमेंट भी दी है। हमने भी एक अमैंडमेंट दी थी, लेकिन वह समय के अभाव के कारण कन्सीडर नहीं हुई। जैसा इन्होंने कहा कि मैं आपका ध्यान पृष्ठ 5 की और आकर्षित करना चाहूंगा। आपने कहा है कि जहां विकास के लिए परमिशन नहीं ली अर्थात जिसने अनाधिकृत तरीके से मकान बना लिया हो, उसके लिए आपने धनराशि 1200 रूपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रखी और जो नगर पंचायत के बाहर का क्षेत्र होगा अर्थात साडा का एरिया होगा तो 500 रूपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से होगी। यह अमैंडमेंट ला करके आपने एक हज़ार और पांच सौ की बात कही है। यदि आप आरम्भ में देंखे कि जिन्होंने अनुज्ञा से काम किया उनके लिए 800 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पैसा लेने की बात कही है और जो नगर पालिका के बाहर के क्षेत्र हैं, उसमें 400 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लेंगे। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यहां ऐसे भी क्षेत्र हैं, जिनकी पंचायतें अधिसूचित क्षेत्र बन गए हैं, उदाहरण के लिए बंजार क्षेत्र और अन्य कई क्षेत्र इस प्रकार के नगर पंचायत

27/08/2016/1510/NS/AG/2

क्षेत्र बने हैं। क्या उनके साथ यह अन्याय नहीं होगा कि एक ही लाठी से सबको आंका जा रहा है, चाहे वहां के आय के स्रोत कम हैं, चाहे शहर में तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा हैं। जमीन की वैल्यू शायद शिमला में ज्यादा है और निश्चित रूप से बंजार और मणिकर्ण में तो इसकी वैल्यू बहुत कम है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बात पर विचार करें। आप वहां के मार्किट रेट देख लीजिए, अगर

उसके प्रतिशत के अनुपात में आप यह दरें लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात पर विचार करेंगे। दूसरा, हाईकोर्ट के निर्णय के बारे में कुल्लू क्षेत्र की एक बात कही है। शायद आपको याद होगा कि जब सलैक्ट कमेटी में बात हो रही थी तो हम इस मामले को आपके और सभी अधिकारियों के ध्यान में लाए थे कि कुल्लू क्षेत्र के लिए हाईकोर्ट ने एच.एफ.एल.(Highest Flood Level) को ले करके निर्देश दिए हैं। अगर हम उसका पालन करेंगे तो इस संशोधन विधेयक का कुल्लू में कोई लाभ नहीं होगा। आप कुल्लू से परिचित हैं, आपके स्वर्गीय पिता जी जब थे तो आप उस समय छोटे हुआ करते थे और उनके साथ कुल्लू आया करते थे, मठ क्षेत्र के बिल्कुल नीचे जो आपका कब्रिस्तान का क्षेत्र, रघुनाथपुर के नीचे का एरिया है, वह सारा एच.एफ.एल. में आता है। मनाली का एरिया उसका लगभग आधा टाउन भी एच.एफ.एल. में आता है। अगर एच.एफ.एल. में परमिशन नहीं मिली तो दिक्कत आ जाएगी, आप इस पर भी विचार करेंगे क्योंकि एच.एफ.एल. में शत-प्रतिशत अखाड़े का बाज़ार आता है तब कहां मकान बनेंगे। इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप इन बातों पर विचार करेंगे और जो यह रेट्स आपने लगाए हैं, इनको रिडयूस करने पर भी विचार करेंगे। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री सुरेश भारद्वाज जी श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

27/08/2016/1515/RKS/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी जो बिल लाएं हैं इसमें श्री महेश्वर सिंह जी ने जो कहा मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन यहां संवैधानिक अवैधता हो रही है। आर्टिकल 213 के क्लॉज़ (i) के अनुसार राज्यपाल को ओर्डिनैंस जारी करने की पावर है और वह ऑर्डिनैंस तब जारी होता है जब मामला बिल्कुल जरूरी हो अन्यथा आर्डिनरी कोर्स में ओर्डिनैंस की पावर लैजिस्लेशन के लिए नहीं की जा सकती। इस मामले में पहले भी एक बार आर्डिनैंस लाया

था परन्तु उस वक्त भी इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह आज का मसला नहीं है। यह 30-35 साल का ईश्यू है, जिसको आप लैजिस्लेशन के द्वारा सैटल करने जा रहे हैं। उस वक्त भी आपको आर्डिनैंस करने की क्या आवश्यकता थी? उस ऑर्डिनैंस से कुछ लोगों ने अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन, उसके गार्ब में जाकर कर दी।

Chief Minister: Past is past. पोस्ट मॉर्टम करने की क्या आवश्यकता है?

श्री सुरेश भारद्वाजः यह मैं मान रहा हूं कि पोस्ट मार्टम करने की जरूरत नहीं है परन्तु जब संवैधानिक अवैधता होगी तो जरूरी है। आपने इसके लिए ऑर्डिनैंस लाया, फिर उसके बाद बिल लाए और वह बिल विधान सभा में पैंडिंग पड़ा रहा । आप ऑर्डिनैंस लाए और मुझे पता है कि मेजोरिटी उधर है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन हम संवैधानिक व्यवस्थाएं को तोड़ रहे हैं और यह व्यवस्था तब तोड़ी जा रही है जब ऐसा व्यक्ति सदन के नेता हों, जिनका 53 वर्ष का लैजिस्लेटिव और पार्लियामैंटरी अनुभव है। इस ऑर्डिनैंस के कारण 2-3 बार लोगों ने गार्ब में अवैध कन्सट्रक्शन करना शुरू कर दी। उन्हें यह लगा कि यह रिटैंशन पॉलिसी आने वाली है इसलिए हम एकाध लैंटर और डाल दें। कहीं बेसमैंट खोल दी जाए या रूफ थोड़ी ऊपर कर दी जाए। इस चीज़ का सबसे ज्यादा फायदा बिल्डरों ने उठाया है। बिल्डरों ने इसका फायदा उठाकर मकान वैध बना दिए और इन्डविजूअल को बेच दिए। अब इंन्डविजूअल को यह अवैध मकान ऑथॉराइज्ड करना पड़ेंगे। बिल्डिर तो इसमें पाक साफ हो गया परन्तु जिस व्यक्ति ने इसके लिए पैसा खर्चा है उसका क्या

27/08/2016/1515/RKS/AG/2

होगा? जो कानून के अनुसार काम करते हैं उनको इंसैंटिव न मिलने के कारण उनके लिए डिसइन्सैंटिव हो गया है। जो कानून के अनुसार काम करता है उसको तो नोटिस भी जाएंगे। वह बिजली, पानी और अन्य चीजों के लिए पेरेशान होता रहेगा। नगर निगम को तो शिमला में 'परेशानी ' नाम दिया गया है। इसलिए लोग नगर निगम में नहीं जाना चाहते।

माननीय मंत्री जी ने सारे इश्यू को अड्रैस करने का प्रयत्न किया है। 'वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी' की मैं बहुत पहले से सदन में मांग करता रहा हूं और इसके द्वारा इन्होंने यह करने का पूरा प्रयास किया है। शिमला नगर निगम में तो अंग्रेजों के समय भी नक्सा बनता था। यहां पर तो नगर निगम का क्षेत्र जोकि पर्टिकुलरली मेरा निर्वाचन क्षेत्र है,सौ वर्ष पहले भी नक्सा बनता था। लेकिन जब शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी और सन् 1971 में पूर्ण राज्य का दर्ज़ा मिला तो बागवानी के क्षेत्र में लोगों ने प्रगति करना शुरू कर दी। जब लोगों को पैसा आना शुरू हुआ और हमारे कर्मचारियों का पे-कमीशन बदला और वेतन बढ़ा तो यहां मकान बनाने की आवश्यकता भी महसूस हुई। खासकर बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से भी शिमला के कर्मचारी शिमला में मकान बनाना चाहते थे।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

27.08.2016/1520/SLS-AG-1

श्री सुरेश भारद्वाज ...जारी

लेकिन शिमला प्रौपर में लैंड महंगी मिलती थी इसलिए लोग यहां लैंड खरीद नहीं पाते थे। अगर खरीद लेते तो कार्पोरेशन में नक्शा पास करवाने में उनकी एड़ियां घिस जाया करती थीं। इसलिए शिमला के आस-पास के एरियाज समिट्री, घोड़ा चौकी, विकासनगर आदि में लोगों ने ज़मीनें ली जो घासनियां थीं। यहां कोई फसल उगती नहीं थी और ये घास के लिए प्रयोग होती थीं; यहां इर्द-गिर्द के लोग दूध के ऊपर गुज़ारा करते थे। वहां लैंड खरीद कर लोगों ने मकान बना दिए। उस वक्त जो टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1978 या 1977 में बन गया था उसकी कभी भी इंपलीमैंटेशन नहीं हुई। लोगों को पता ही नहीं था कि कोई टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट भी है। सरकार ने भी एक्ट को इंपलीमैंट नहीं किया। लोगों को तो आप कह सकते हैं कि ignorance of law is no excuse. लेकिन सरकार भी इग्नोरैंस ऑफ लॉ में रही। शायद उनके पास स्टॉफ नहीं था या कोई और बात थी, लेकिन यह एक्ट कभी इंपलीमैंट नहीं हुआ। फिर 1980 के दसक में यहां पर एक-दो मकान तोड़े गए लेकिन उसके बाद फिर से उनको रैगुलराइज करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसलिए जो लोग अनअथोराइज को अथोराइज करने का क्रिटिसीज्म करते हैं, मैं समझता हूं कि

वह बहुत गलत है। अगर बिल्डर्ज़ गलत करते हैं तो उनको ठीक नहीं करना चाहिए या फिर इस प्रकार के और कोई कमर्शियल एस्टाबलिशमैंट बन जाते हैं और उनको अथोराइज करना चाहें तो वह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो छोटे लोग हैं, छोटे बागवान या कर्मचारी हैं या शिमला जिले की आम जनता ने यहां पर जो प्लॉट खरीदे हैं, उनके जो मकान बने हैं वह as is where is basis पर अप्रूव होने चाहिए। मंत्री जी ने इस बात को इस कानून में लाया है जिसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसमें इन्होंने एक बात फिर कही। जब ये कानून लाए थे तो मैंने प्रैस में यह मसला उठाया था। उसके बाद इनके लोग इकट्ठे हुए और इनके पास गए। फिर इन्होंने घोषणा की जो सारे समाचारों-पत्रों में आई कि जो मर्ज़ड एरियाज के लोग हैं; मैं विशेषकर शिमला म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एरिया की बात कर रहा हूं, उनको कोई नक्शा नहीं देना पड़ेगा, कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब इन पंचायत क्षेत्रों का मर्ज़र वर्ष 1997 में हुआ है। वर्ष 1997 के बाद ये नगर निगम में आए। फिर 2002 में इनकी 3 नगर पंचायतें बन गईं। टुटू की अलग, न्यु शिमला की अलग और ढली की अलग नगर पंचायत बनी।

27.08.2016/1520/SLS-AG-2

उसके बाद सरकार बदली और यह क्षेत्र साडा में स्पैशल एरिया डवलपमैंट अथॉरिटी के पास चले गए। डी.सी. उनकी देखभाल करता था। यह सारा नगर का एरिया बन गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश के शिमला में 19 गांव 1960 से पहले शिमला म्यूनिसिपल कार्पोरेशन में मिलाए गए थे जिनके लिए प्रोविजन था कि वहां घरों के लिए कोई नक्शा नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था और टी.डी. के साथ उनके सारे राइट्स बरकरार थे। इनमें चरौंठी, आंदड़ी आदि क्षेत्र हैं। मेरा निवेदन है कि उसी प्रकार से इसमें भी प्रोविजन किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने अपने प्रैस बयान में कहा है जब इनको लोगों का डैपुटेशन मिला था, इन्होंने कहा कि मर्ज़ड एरिया के लोगों के लिए कोई नक्शा नहीं लगेगा। लेकिन इस क्लॉज में आपने जो अमैंडमैंट की है, इसमें आपका एक प्रोविजन है। वह Clause-7 का sub-clause-m है। उसमें आपने आगे कहा है कि "the people residing in the areas where provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 or the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 were not in force at the

time when the buildings were constructed need not to apply;" लेकिन 1997 में जब नगर निगम में यह सारा एरिया मर्ज़ हुआ, उससे पहले भी टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट यहां पर लागू था।

जारी ...श्री गर्ग जी

27/08/2016/1525/RG/AS/1

श्री सुरेश भारद्वाज----क्रमागत

तो इसमें तो एक भी कवर नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप इसमें से 'Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977' इस लाईन को संशोधित करिए, इसे डिलीट करिए। नहीं तो आपने जो अनॉउन्समेंट की है और वही अनॉउन्स्मेंट माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा भी की गई है। इनसे भी बहुत सारे लोगों का डेपुटेशन मिलता रहा है और उसमें कहा है कि मर्ज्ड एरिया के लोगों को किसी प्रकार के नक्शे की आवश्यकता नहीं होगी। अगर यह लाईन इसमें बनी रहती है, तो इसका सारा-का-सारा परपज़ डिफीट हो जाएगा। क्योंकि ये सारे-के-सारे लोग उसमें कवर नहीं होंगे। इन सबको नक्शे देने पड़ेंगे और उनमें किसी का नक्शा अप्रूव होगा, कोई अप्रूव नहीं होगा। अगर अप्रूव नहीं होगा, तो फिर यह समस्या वहीं-की-वहीं रह जाएगी। क्योंकि यह जो इस समय कानून बदल रहा है या रिटेन्शन पॉलिसी अगर हम लाते हैं, तो वह कोर्ट की स्क्रूटनी में पास नहीं होगी। इसीमें चेन्नई का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि वन टाईम लेजिस्लेशन आप इस प्रकार की अनधिकृत निर्माण को रैग्युलराईज करने के लिए कर सकते हैं इसीलिए यह रैग्युलराईजेशन की गई है। अगर आज हमने इन सारी बातों को नहीं देखा, तो कल को हम इस पर दुबारा से लेजिस्लेशन भी नहीं ला सकेंगे। जिनका नक्शा आज अप्रूव नहीं होगा, तो दुबारा उस नक्शे को अप्रूव होने का कोई चांस नहीं रह जाएगा। इसलिए जो कुछ भी करना चाहते हैं वह आज करें, either it should be sent to Select Committee. हालांकि मैं उसके बहुत हक़ में नहीं हूं और मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जैसे इन्होंने बाकी अमण्डमेंट्स लाई हैं इसके लिए भी आपकी ऐग्रीमेंट with the people of area है। तो आप इसके लिए भी अमण्डमेंट लाइए और इस लाईन को आप डिलीट करिए। तब आपका परपज़ हल होगा, जो मर्ज्ड एरिया के लोग हैं, it is not in my interest. It is in the interest of the State. Because this is not part

of my Constituency. लेकिन मैं आम जनता के हित में बात कर रहा हूं कि अगर आप वन टाईम सैटलमेंट करना चाहते हैं, तो आपको इसको यहां से डिलीट करना चाहिए। तभी आपकी मन्शा पूरी होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इन्होंने इसमें पैसे लगा दिए हैं और उसमें भी अमण्डमेंट लाई है। जो 1200/-रुपये और 600/-रुपये का प्रावधान किया है, where permission has not been taken for development. तो जहां आपने परमीशन ली है उसमें भी आपने 800/- और 400/-रुपये लगाए हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें आप

27/08/2016/1525/RG/AS/2

लम्पसम करिए। आपने यदि कुछ डेवलपमेंट के लिए देना है, तो लम्पसम करिए और साथ-ही-साथ जो डेवीएशन है क्योंकि यह आपने पूरे-के-पूरे बिल्ट अप एरिये पर लगाई है। अगर बिल्ट एरिया एक हजार स्क्वेयर मीटर का जोकि पांच बिस्वे में बनता है उसके ऊपर यदि आपने 800/-रुपये के हिसाब से पैसे लगा दिए, तो एक फ्लोर का 8,00,000/-रुपये देना पड़ेगा। इसमें तो कोई आदमी किसी दूसरी जगह पर स्ट्रक्चर बनाकर खड़ा कर देगा। आप इसी बात का 8,00,000/-रुपये देंगे। जिन्होंने परमीशन भी ली है, यह उनके लिए है और जिन्होंने परमीशन नहीं ली है उनके लिए आप 1,000/-रुपये कर रहे हैं। आपने 1200/-रुपये से 1,000/-रुपये और 600/- से 500/-रुपये कर दिया। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसमें डेवीएशन को आप पैसे के हिसाब से जोड़िए और जो बाकी आप रैग्युलराईजेशन कर रहे हैं, उसको लम्पसम आधार पर करिए। जैसा वर्ष 2002 की रिटैंन्शन पॉलिसी में किया गया था। तभी इसकी मन्शा पूरी होगी, नहीं तो, इस बिल की मन्शा पूरी नहीं हो पाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन दो बातों की तरफ यदि आप ध्यान देंगे तभी आपकी वन टाईम सैटलमेंट हो सकेगी। नहीं तो, केवल मात्र यह पॉलिटिकल इशु वोट लेने के लिए इशु माना जाएगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि रिटैंशन पॉलिसी से वोट नहीं लिए जा सकते। क्योंकि यह जो पहले का उदाहरण है, तो उसमें दोनों तरफ के उदाहरण हैं। लेकिन जनता के हित में एक बार सैटलमेंट होना और in the interest of the public, in the interest of the employees, in the interest of horticulturists जिन्होंने थोड़ा-थोड़ा पैसा लेकर के अपने मकान बनाए हैं। इसके लिए जो

बड़े-बड़े कामर्शियल अपार्टमेंट वाले लोग हैं उनको इसका बेनिफिट न मिले, बिल्डर्ज को इसका बेनिफिट न मिले। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया और मीडिया पर इस बारे में बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि जिन्होंने अपने एड़ियां घिसकर नक्शे पास करवाए हैं उनका तो कुछ नहीं होता है और

एम.एस. द्वारा जारी

27/08/2016/1530/MS/AS/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी-----

इन लोगों को वैसे ही मिल जाता है। लेकिन यह अलग है क्योंकि इसमें आपने मर्जर बाद में किया है। आप बिना पूछे उनको म्युनिसिपल कारपोरेशन में ले आए हैं इसलिए आप इनको रेगुलर कर रहे हैं। परन्तु इनकी वन टाइम सैटलमैंट प्रौपर तरीके से होनी चाहिए ताकि मर्ज्ड एरियाज के लोगों को और बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह की अमेंडमैंट यदि मंत्री जी लाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

27/08/2016/1530/MS/AS/2

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो यह ऐक्ट लाया है मैं इसमें दो-तीन बातें बड़ी स्पेसिफिक ध्यान में लाऊंगा। एक तो इसमें बार-बार अन-ऑथोराइज्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एक व्यक्ति ने अपनी जमीन पर मकान बनाया है और उसको हमने अन-ऑथोराइज्ड डिक्लेयर किया, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि वर्ष 1977 के अंदर शिमला के सब-अर्बन क्षेत्रों की बात हो रही है वहां टाऊन प्लानिंग ऐक्ट लगा। लेकिन वर्ष 1977 से लेकर वर्ष 2016 तक टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग की तरफ से कभी किसी व्यक्ति को कोई नोटिस नहीं गया है कि आप टाउन प्लानिंग एरिया के अंदर आ चुके हैं। अध्यक्ष जी, टाऊन प्लानिंग एरिया में इन्क्लूड करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। पिछले साल एक ऐसा उदाहरण मेरे सामने है। पौंटा साहब से नाहन वाली जो नेशनल हाइवे है उस पर सबसे कन्जस्टिड और सबसे बढ़िया बल्कि जहां पर सबसे ज्यादा उद्योग हैं, पौंटा से लेकर

पुरूवाला तक उसको टाउन प्लानिंग में नहीं डाला और उससे आगे मिस्त्रवाला जो गरीबों का इलाका है जहां पर 90 प्रतिशत मुसलमान रहते हैं उस मिस्त्रवाला को, माजरा और धौलाकुआं के बीच में से आइसोलेट करके टाउन प्लानिंग एरिया में डाल दिया। मैं उसकी कोई ऐसी चर्चा नहीं कर रहा हूं। वह अलग विषय है। मेरा यह कहना है कि इसी तरह से हमेशा टाऊन प्लानिंग लगता आया है। आप कभी पहाड़ की चोटी पर टाऊन प्लानिंग लगा देते हैं और कभी खड्ड में लगा देते हैं। इसी प्रकार से अब टाऊन प्लानिंग लगा। लोगों ने अपनी जमीन पर मकान बनाए हैं और नक्शे का प्रावधान उस समय कोई नहीं था यानी जब इन्होंने मकान बनाए उस समय तक किसी प्रकार के नक्शे का कोई प्रावधान था ही नहीं How they are unauthorized? They cannot be unauthorized at all. और उनको अन-ऑथोराइज लैवल करना गलत है। माननीय मंत्री जी, दूसरा विषय यह है जैसे माननीय भारद्वाज जी ने कहा कि इसमें जो क्लॉज-'एम0' है - 'टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग ऐक्ट 1977', अगर हम इस लाइन को डिलीट नहीं करते हैं तो इसका परपज पूरे प्रदेश में पूरी तरह से डिफिट होता है। चाहे वे छोटी म्युनिसिपेलिटीज हैं या बड़ी हैं। वहां कहीं-न-कहीं ऐक्ट और नक्शे बनाने का प्रावधान है। टाऊन प्लानिंग एरिया के अंदर इसको इम्प्लीमैंट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक लाइन हटाने से हमारा काफी बड़ा परपज इसमें सोल्व होता है और जो मंशा आपकी है उसमें भी पूरी तरह से कामयाबी मिलती है। भारद्वाज जी ने

27/08/2016/1530/MS/AS/3

सही कहा कि राजनीतिक रूप से भी आपको इसमें लाभ होता है। जो आपने चार्जिज लैवी करने की बात की है इसके अन्दर आप 1994 का नगर निगम/नगर पालिका का ऐक्ट इम्प्लीमैंट कर रहे हैं। उस ऐक्ट में डेढ़ सौ मीटर टैक्स के लिए भी एग्जम्पटिड है। इसके अंदर जो सैल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अपने एरिये में कन्स्ट्रक्शन के ऊपर चार्जिज नहीं होना चाहिए। ये बड़ी स्पेसिफिक बात है। जिसने अपना मकान बना लिया है और वह उसमें स्वयं रह रहा है यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और अपनी जमीन पर बनाया है या जो नगर पालिका के बाहर के मर्ज्ड एरिये में है उसके ऊपर कोई भी पैनल्टी लैवी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसमें फ्लोर के हिसाब से इसका क्वान्टम

फिक्स करे और वह एक मिनिमम चार्जिज आप रखें। नहीं तो 5, 6, 7 या 8 लाख रुपया एक व्यक्ति को इसमें पैनल्टी पड़ने वाली है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

27.08.2016/1535/जेके/डीसी/1

डॉ0 राजीव बिन्दलः----जारी------

उसका नैट लाभ नहीं मिलेगा। यह मुझे आपसे कहना है। क्योंकि वर्ष 1976-77 के बाद सीधा-सीधा इनको कॉर्पोरेशन में डाला और इन्होंने रिजैंट किया। कॉर्पोरेशन से नगर पालिकाएं बन गई। नगर पालिकाएं भग हो गई और फिर साडा में आ गए। साडा से आ करके फिर दोबारा से कॉर्पोरेशन में आ गए। इस दौरान इनकी समस्या वैसी की वैसी रही, इसलिए इनको वर्ष 1996 से पहले का ही कंसीडर करके हमको समाधान करना चाहिए। यह जो M की एक लाईन है इसको डिलीट करना सैल्फ ऑक्युपाईड हाऊस के अन्दर कोई पैनेल्टी न लगाना और जो पैनेल्टी है वह फ्लोर वाईज फिक्स अमाऊंट पर लगाना, ये तीन अमैंडमैंट का मैं सुझाव दे रहा हूं।

27.08.2016/1535/जेके/डीसी/2

अध्यक्षः अब श्री अनिरूद्ध सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रखी । आपके माध्यम से मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी का, मंत्री जी का, पूरी केबिनैट का और विभाग का धन्यवाद करना चाहूंगा। यह जो बिल है,सबसे पहले मेरे इलैक्शन मैनिफेस्टो में था जब हम वोट मांगने गए और माननीय राजा साहब ने घोषणा भी की थी, जब ये लोगों के बीच में गए थे। उस समय राजा साहब ने घोषणा की थी कि मर्जड एरियाज़ में रिटैंशन पॉलिसी लाई जाएगी। नैचुरली पूरे ही प्रदेश में लाई जाएगी।

उसका संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्य मंत्री ने, मंत्री महोदय ने, विभाग ने पहले बिल लाए फिर उसके बाद सलैक्ट कमेटी को आया, फिर ऑर्डिनैंस आया और फाईनली काफी सरल व लोगों को सहूलियत देते हुए दोबारा से आज यह बिल पेश किया गया। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगा, परन्तु मैं कुछ छोटे-छोटे सजैशन्ज़ भी साथ में देना चाहूंगा, जो कि मैं समझता हूं कि और आसान हो जाएगा। जैसे कि 7(g) की सब सैक्शन, पेज़ नम्बर-3 पर मैं जाना चाहूंगा। इसमें दिया गया है कि 7(g) the competent authority shall ensure that the roof of buildings to be exempted and regularized under this section is rendered totally ineffective for further vertical construction in future. क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर किसी ने कॉलम डाल दिए हैं तो क्या उसके ऊपर आर0सी0सी0 का स्लैब दिया जाएगा या डायरैक्ट छत दी जाएगी? अगर यह क्लैरिफाई करेंगे तो भविष्य में आने वाले समय में रिटैंशन की दोबारा से जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें लोग भी क्लीयर रहेंगे, ऑर्किटैक्ट्स भी क्लीयर रहेंगे और डिपार्टमैंट भी इसमें क्लीयर रहेगा। उसके बाद मैं, मंत्री जी का ध्यान 7 (i) पर ले जाना चाहता हूं, जो कि पेज़ नम्बर-4 पर है। Parking floor as per approved plan , if converted to any other use like residence or shop shall not be regularized but in case, alternative equivalent or more parking space is available then , parking floors so converted into other use shall be considered for regularization. मेरा कहना 7 (i) में यह है कि जो ECS है डिपार्टमैंट की ओर से काफी मेरे ख्याल से 15 फुट बाई 5 फुट का रहता है

27.08.2016/1535/जेके/डीसी/3

यानि 75 सक्वेयर फुट का रहता है। लोगों की एक मंजिल बेसमैंट 500,600 और 700 सक्वेयर फुट की ही निकलती है क्योंकि वह ऊपर जा करके यानि पांचवी मंजिल में बढ़ती है और ग्राऊंड फ्लोर की तो कम ही रहती है। इसकी जगह इसमें मिनिमम रैजिडैंशियल के लिए एक क्राइटेरिया सैट कर सकते हैं कि इतनी कार की पॉर्किंग दें अगर उसमें कोई शॉप्स बनानी हो तो ऑल्टरनेटिव जगह का एफ़िडैविट दें कि भविष्य में वह वहां पर

कन्स्ट्रक्शन न कर सकें। साथ ही नॉन रैजिडैंशियल बिल्डिंग्ज के लिए 8 गाड़ियों की पॉर्किंग आप दे सकते हैं और प्रीवेलिंग ECS at present जो नॉर्म्ज़ हैं उसके हिसाब से 8 और 4 गाड़ियों की परमिशन आप इसमें दें।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----------

27.08.2016/1540/SS-DC/1

श्री अनिरूद्ध सिंह क्रमागतः

साथ ही इसके बाद मैं आपका ध्यान 8A पर ले जाना चाहूंगा जोकि पेज़-5 पर है। जो रेटस आपने दिये हैं। हिमाचल की जनता को देखते हुए कोई फार्मर है, कोई गवर्नमैंट इम्प्लॉई है, बागवान है और गरीब लोग हैं जिन्होंने लोन लेकर घर बनाए हैं। लोन है और लोन का इंट्रस्ट फैक्टर है, किसी ने अपने रिश्तेदार से उधार लिया है। इन सारी बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि जो प्रिवेलिंग रेट है एटलिस्ट इसको आधा ज़रूर करना चाहिए। साथ ही इसमें "बी" में दिया हुआ है कि 'The regularization fee as specified under clause (A) of this sub-section shall be increased by 100% for Commercial, Hotel, Tourism, Industrial or other Uses'. मैं समझता हूं कि शिमला के आस-पास हिमाचल टूरिज्म के लिए बहुत विख्यात है। आजकल लोगों को सरकारी नौकरियां तो मिल नहीं रहीं तो मैं समझता हूं कि वे टूरिज्म के ऊपर निर्भर हैं। होटल्ज़ की ज़रूरत है। आप देखते हैं कि आजकल शुक्रवार, शनिवार फुल रहता है। इस रेट को भी 100 परसैंट से एटलिस्ट 50 परसैंट किया जाए। जो रेट तय किये गये हैं उसके 50 परसैंट पर फाइन लगना चाहिए। साथ में पेज़ नम्बर-7 पर जो सैक्शन-3 अपैंडिक्स-1 सब-सैक्शन-3 दिया हुआ है। 'Drawing of Existing Buildings', मैं इसमें यह समझता हूं कि आपने जो अभी मांगा है

'these drawings are in form of working drawings showing all the dimensions of rooms , openings, thickness of wall, floor and slab'. मैं समझता हूं कि जो आप प्रॅपोजल मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं कि जो आपने एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्ट किया हुआ है परन्तु इससे लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ आ रहा है। एक तो कल को जब वे रेगुलराइज़ करवाने आयेंगे, नेचुरली जब वह आर0सी0सी0 और ब्रिक्स के साथ छज्जा डालेगा, छत भी डालेगा, उसके अंदर कमरा भी डालेगा, वह दोबारा जब एक साल के अंदर पास करवाने आयेंगे क्योंकि ऐक्ट एक साल के लिए है तो डिपार्टमैंट कोई भी हो उसको रेगुलराईज नहीं कर पायेगा। जैसे नये मकान के लिए आप प्रॅपोजल मांगते हैं बेशक आप ड्राइंग में कलरिंग अलग-अलग कर सकते हैं कि आपने जो पैनेलाइज करना है वह कितना है और जो आपका पूरा एप्रूव होगा वह कितना है। इसमें मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहूंगा कि आजकल आर्किटैक्टस एक-एक लाख रुपये एक-एक नक्शे का ले रहे हैं। अखबार के माध्यम से भी आपको पता चला होगा कि आर्किटैक्टस, इंजीनियर, ड्राफ्टमैन एक-एक लाख रुपया एक नक्शे का ले रह हैं। लोगों को

27.08.2016/1540/SS-DC/2

उसे दोबारा रि-सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको भी अमैंड करें।
मैं आपका ध्यान एक और बात के ऊपर ले जाना चाहूंगा। पेज़-7, सैक्शन-6, इसमें लिखा है "one copy of orginal Tatima showing dimensions of plot and width of access to the plot". डायरमैंशन ऑफ प्लॉट, ततीमा और जमाबंदी तो बिल्कुल ठीक है वह तो ऑनरशिप के लिए देनी पड़ती है परन्तु जो 'Width of access to the plot' है देखने में आया है कि आजकल पड़ोसी-पड़ोसी का दुश्मन है और जब कभी मर्ज़र एरियाज़ में प्लॉट बेचे गये थे तो उसमें खसरा नम्बर बटा करके बेच दिये गये। उसमें कोई रास्ता नहीं निकाला गया। आज समस्या कारपारेशन में भी और टी0सी0पी0 में भी आ रही है कि नक्शों के लिए वे रास्ता भी साथ में मांग रहे हैं कि इसमें रास्ता दर्शायें। लोग तो सर वैसे भी बिल्डिंग्ज़ में चल रहे हैं रेगुलराईजेशन हो रही है, नई बिल्डिंग्ज़ के लिए नॉर्म्ज़ नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इस 'Width of access to the plot' शब्द हटाए जाएं। लोग आज भी उस सड़क से आ-जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनकी बिल्डिंग आराम से पास हो सके। 'Because some parts without litigation and it is not possible to

show path or width for already constructed buildings, and to eliminate the corruption of revenue and sanctioning department' इसको हटाया जाए। इसके बाद मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। आठवें पेज़ पर आपने दिया है कि 'the applicant has not raised construction over the controlled width of roads or that the road was notified as the National Highway/State Highway/ District Road after the construction of the building' मैं बोलना चाहूंगा कि जो कंट्रोलड है, एक्वायर्ड वह है जिस पर पी0डब्ल्यू0डी0 या किसी अन्य की रोड बनी है जो कंट्रोलड होती है। वह पी0डब्ल्यू0डी0 के नाम जमीन नहीं होती है। वह आज भी ऑनर के नाम चल रही है।

जारी श्रीमती के0एस0

27.08.2016/1545/केएस/एजी/1

श्री अनिरुद्ध सिंह जारी----

उसको न ही उसका कम्पन्सेशन मिला है और रिटैंशन में तो वही केस आएंगें जिसमें कोई एक-दो फुट आगे बढ़ गया हो। इसमें वह एफिडेविट आपको नहीं दे पाएगा और अगर देगा तो वह फ्रॉड देगा जिसको आप नकार नहीं पाएंगें। वह कंट्रोल्ड में हैं क्योंकि उसमें आप एन.ओ.सी. पी.डब्ल्यू.डी. से नहीं मांग रहे हो। मैं समझता हूं कि कंट्रोल्ड शब्द काटकर इसमें एक्वायर्ड विड्थ आना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। No litigation clause in affidavit जो आपने इसमें एक और दिया है, Section (b), (viii) (c) - that there is no pending litigation in respect of land or building in question with any person or authority; and (d) that the applicant will not object for laying of any civic amenities. मैं इसमें कहना चाहूंगा कि the clause of litigation should be very specific. स्पैसिफिक ऐसे कि जैसे मैंने किसी की कम्पलेंट कर दी कि हमारा पड़ौसी लॉ के मुताबिक नक्शे नहीं बना रहा। हो सकता है कि वह केस एम.सी. के कोर्ट में चल रहा हो या कहीं और केस चल रहा हो। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि या तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाल लें कि वह null and void जो ऐसे केस हैं, लिटिगेशन जो

पड़ौसियों से if the litigation is only about illegal construction वह पास होने चाहिए। It is only about illegal construction, not about land. मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे ध्यान में आया है, जो आप अभी प्लॉट्स के लिए अप्रूव कर रहे हैं, उसके लिए कॉर्पोरेशन फोरैस्ट की एन.ओ.सी. भी मांग रही है । जो उसमें ग्रीन एरिया छोड़ रहे हैं, मांग रहे हैं कि ग्रीन एरिया में पेड़ कितने हैं, यह गिनकर लाओ साथ में डिमार्केशन भी मांग रहे हैं। एक काम तीन-तीन बार एक व्यक्ति को करना पड़ रहा है। जब वह दोबारा नक्शा बनाएगा तब भी उसको डिमार्केशन करवानी पड़ेगी। तब भी फोरैस्ट और बिजली का एन.ओ.सी. लगेगा । It should be very specific. वर्ष 2002 में जब रिटेंशन पॉलिसी आई थी उसमें भी डिमार्केशन शब्द बड़ा स्पैसिफिक था कि the sanctioning department should not ask for any other document outside that

27.08.2016/1545/केएस/एजी/2

जैसे डिमार्केशन रिपोर्ट, फारैस्ट एन.ओ.सी. और any other NOC or document. जो एक्ट के बाहर है वह न मांगे। यह स्पैसिपिक होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ यह भी कहना चाहूंगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और टी.सी.पी. एक ऐसा फॉर्मुला ले कर आए, पिक एण्ड चूज़ न करें, जब वह नक्शे की साईट विज़िट करें या उसको पास करें, नहीं तो रसूखदार लोग फोन करके अपना काम जल्दी करवा लेंगें और आम जनता पीसेगी इसलिए मेरा अनुरोध है कि विभाग इस बात को एन्श्योर करें कि पहले आओ, पहले पाओ बेसिज़ पर, जैसे कम्प्यूटर में आपकी एप्लीकेशन्ज़ एंटर हो रही हैं उसी हिसाब से आप मेंडेटरी उसकी रिपोर्ट मंगवाकर उस हिसाब से नक्शे की साईट विज़िट और नक्शे पास करवाएं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और क्लैरिफिकेशन लेना चाहूंगा जो कि हमारे माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने भी सवाल उठाया कि ग्रीन एरिया और हैरिटेज एरिया के बारे में पेज-3 के "सी" पार्ट में आपने लिखा है कि "deviations and unauthorized" जो मेरी समझ में है, मैं कहना चाहूंगा कि "deviations and un-authorized construction falling in Green Area and Heritage Area as delineated in the Interim Development Plans

(IDPs) or Development Plans (DPs) shall be regularized which have taken place prior to the notification(s) of delineation of such areas". मैं समझता हूं कि 05.06.2003 को हैरिटेज एरिया की नोटिफिकेशन आई थी और 07.12.2000 में ग्रीन एरिया की नोटिफिकेशन आई थी। इससे पहले के जो मकान है, अगर रिटैंशन के लिए पटवारी लिखकर देता है, क्योंकि जाखू एरिया के बारे में पहले भी एक बार हमने सदन में मामला उठाया था कि हिमुडा ने प्लॉट तो बेच दिए और अधिकतर ऑफिसर्ज़ के प्लॉट वहां पर हैं और बाद में उसको वे बना नहीं पाए। उनको परमिशन नहीं मिली, गवर्नमैंट ने पैसे भी लिए और बाद में लोगों को वहां मकान बनाने से मरहूम कर दिया इसलिए ऐसा अन्याय उन लोगों के साथ भी नहीं होना चाहिए। जो ग्रीन एरिया और हैरिटेज एरिया की नोटिफिकेशन आई थी, उससे पहले के मकान रैगुलराईज़ की क्लैरिफिकेशन भी माननीय मंत्री जी दें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

27.8.2016/1550/av/ag/1

श्री अनिरुद्ध सिंह--------- जारी

इसी तरह से पेज न0 4 पर (एम) जो है इसके बारे में श्री सुरेश भारद्वाज जी और डॉ. राजीव बिन्दल जी ने भी अपनी बात रखी है। मैं इसमें भी आपसे सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। इसमें जो लिखा है कि "(m). the people residing in the areas where provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 or the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 were not in force at the time when the buildings were constructed need not to apply;"' मंत्री महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि पहले यह ग्राम पंचायत में था। वर्ष 1977 में इसको प्लानिंग एरिया में लिया गया। उसके बाद बीच में इसको टी0सी0पी0 में लिया गया, साडा में लिया गया, नगर परिषद् बनाई गई। कुछ जमीनें तो आज भी नगर परिषद् के नाम ही चल रही हैं। फिर अंत में इसको वर्ष 2006 में मर्ज़ किया गया और एम0सी0 शिमला को 25 वार्ड में तबदील किया गया। ठीक है, हो सकता है कि उस दौरान लोगों के ऊपर लॉ इनफोर्स न किया गया हो। परंतु मैं समझता हूं कि वर्ष 2005 तक, पंचायत जब तक लिख कर दे रही थी पानी व बिजली के मीटर तब तक लग

रहे थे। आज वह बंद हो गये हैं। आप इसको क्लैरिफाई करें। आप इसमें से या तो यह शब्द हटायें कि टी0सी0पी0 ऐक्ट, प्लानिंग ऐक्ट 77; इसको या तो आप हटायें। यदि इसमें कोई समस्या आती है तो यह क्लैरिफाई करें कि क्या वर्ष 2006 से पहले के मकान रेगुलेराईज होंगे। क्योंकि इसमें कहा गया है कि "need not to apply" क्या उनको अप्लाई करने की जरुरत है? अगर है, तो क्या उनको उसके पैसे लगेंगे? आप केवल यह क्लैरिफाई कर दें।

अध्यक्ष : आप इनको ब्रिफली बोलिए।

श्री अनिरुद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूं और क्लैरिफिकेशन तो मांगनी ही पड़ेगी।

Speaker: You are giving all the details of the book. That is not required.

श्री अनिरुद्ध सिंह : सर, मैंने प्वाईंट बनाये हैं। प्वाईंट क्लीयर नहीं है और बाद में ऑफिसर लोगों के चक्कर लगवाते रहते हैं। कृपया आप मुझे बोलने दीजिए।

27.8.2016/1550/av/ag/2

Speaker: You may give them the hint what amendment you want.

Shri Anirudh Singh: Sir, last but not the least.

Speaker: It is not that you read the book and say everything.

श्री अनिरुद्ध सिंह : और भविष्य में रिटैंशन की जरुरत न पड़ें क्योंकि मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो रिटैंशन ला रहे हैं। मैं नहीं समझता कि आज के बाद दोबारा रिटैंशन आने वाली है। मैं यह समझता हूं कि टी0सी0पी0 के अपने कानून है, साडा के अपने कानून है, एम0सी0 के अपने कानून है, हैरिटेज के अपने कानून है, ग्रीन एरिया में अपने कानून है। शिमला सिटी में ही अगर मकान बनाना है तो 6 प्रकार के कानून लगते हैं। इसलिए भविष्य के लिए एक ही कानून रखें या 'ग्रेटर शिमला एरिया'; कुछ ऐसा करके बनायें। साडा भी चार प्रकार के हैं। घनाहट्टी

साडा या टी0सी0पी0 अलग-अलग साडा; इसलिए एक ही ग्रेटर साडा बनाया जाए जो कि पूरे में अप्लाई हो। मैं समझता हूं कि तब आने वाले समय में रिटैंशन की जरुरत नहीं पड़ेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप यह बिल लेकर आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी और इस सदन में बैठे सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.8.2016/1550/av/ag/3

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अंदर जो यह संशोधन विधेयक आया है इसमें बहुत सारे सदस्यों ने इसे रिटैंशन कहा है मगर यह रिटैंशन पॉलिसी नहीं है। इससे पहले प्रदेश के अंदर रिटैंशन पॉलिसी 6 बार आ चुकी है। मगर उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने कोई भी पॉलिसी न लाने के निर्देश दिए थे। इसीलिए ऐक्ट में संशोधन करके अब पूरे प्रदेश के लोगों को आखिरी बार राहत दी जा रही है। इससे पहले जो रिटैंशन पॉलिसी आई हैं उनमें से 5 केवल शिमला तक महदूद रही हैं। सिर्फ वर्ष 2009 की पूरे प्रदेश के लिए थी। लेकिन जो रिटैंशन पॉलिसीज भी आईं थी उसमें पूरे प्रदेश में केवल 8198 आवेदन आए जिसमें से 2108 रेगुलेराईज हुए थे।

श्री टी0सी0 द्वारा जारी

27/08/2016/1555/TCV/AG/1

शहरी विकास मंत्री --- जारी।

इस संशोधन के माध्यम से हमारा यह प्रयास है कि जो विसंगतियां रही है, क्योंकि लगभग 30 बार तो शिमला का डवैल्पमैंट प्लॉन ही बदला गया, उनको दूर करें। ये सही है कि पंचायतों से लोग साडा में आए और साडा से अर्बन एरियाज़ में आए। कई नगर पंचायतें/म्युनिसिप्ल कमेटियां बनी और उसके बाद कॉरपोरेशन्ज़ बने। लेकिन जो टाऊन एण्ड कंट्री प्लालिंग एक्ट है, यह 1977 से प्रदेश के अंदर लागू हैं। ये सही है कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश हैं। ये भी हो सकता है कि

शुरू में प्रचार और प्रसार के इतने माध्यम नहीं थे, लोग प्लानिंग एरिया के अंदर आ गये और लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी जानकारी नहीं थी। इस तरह से विसंगतियां रह गई। आप सभी जानते हैं जैसाकि माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी ने भी कहा कि 21 फरवरी, 2014 को एक विधेयक हम इस माननीय सदन में लेकर आए थे। उसके बाद सलैक्ट कमेटी बनी और सलैक्ट कमेटी ने जो प्रस्ताव रखे उसमें जो संशोधन आए थे उनको और थोड़ा सरल किया जाए। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है उसको कम रखा जाए, एटीक पार्किंग को एफ0ए0आर0 में अकाऊँट न किया जाए। पार्किंग फ्लोर को भी रेगुलराइज़ कर दिया जाए। बैसमेंट को पार्किंग के लिए अलॉऊ कर दिया जाए। जो क्षेत्र म्युनिसिप्ल और ग्रामीण एरिया में हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर अलग-अलग रखा जाए। इन सभी सुझाव को मानते हुए और जो दरें उस समय निर्धारित की थी, उनको कम किया गया। ये आप भी मानेंगे कि जो दरें अब रखी गई है ये उसकी 15 प्रतिशत भी नहीं हैं। ये वहीं दरें हैं जो सही तरीके से अपना मकान बना रहा है, नक्शा भी बना रहा है, उसके सारे अप्रूव्ल ले रहा है और उसकी फीस दे रहा है, उतना ही फीस स्ट्रक्चर वर्तमान में भी भवनों रेगुलराइज़ करने के लिए रखा गया है। जहां तक श्री महेन्द्र सिंह, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि बी0पी0एल0 परिवार को 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाये, तो इनको हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसके अलावा आपने जो नेरचौक की बात की है, क्योंकि अभी तक वहां का स्टेट्स ही क्लीयर नहीं हैं। अभी डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट आनी है। इसलिए जो वहां का ग्रामीण इलाका है, उसको इससे बाहर रखा जाएगा, ताकि वहां के लोगों के राहत मिले। वहां पर अभी तक जितनी भी डवैल्पमैंट हुई है, वह सिर्फ सड़कों के किनारे हुई है। जहां तक ग्रीन एरिया की बात की है, ग्रीन एरिया का जो मामला है, वह पहले

27/08/2016/1555/TCV/AG/2

ही एन0जी0टी0 में चल रहा है, लेकिन हमने प्रावधान किया है कि ग्रीन एरिया जो 2002 में नोटिफाई हुआ था, उससे पहले जिन लोगों ने अपने भवन बना लिए हैं, उनको रेगुलराईजेशन में ले लिया जाएगा। हमने एन0जी0टी0 को विचार करने के लिए एक प्रस्ताव भेज रखा है, जब तक वह इस पर विचार कर रहा है, तक तक मैं समझता हूं कि ग्रीन एरियाज़ के साथ छेड़ना न्याय संगत नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि जब सारी चीजें

करने लगे या यदि ये एक्ट कल किसी न्यायालय में जाता है, तो वहां पर भी एक ऐसा एक्ट जाना चाहिए कि जो लोअर लैवल के लोग थे, उनके साथ भी न्याय हुआ है और जो लोग इग्नोरेंस की वज़ह से छूट गये थे, उनको भी हमने रेगुलराईज़ करने की कोशिश की है। माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने भी बहुत सारे सुझाव इसमें दिए हैं। जहां तक आपने स्लोपिंग रूफ की बात की है, इसमें जहां पर शिमला में स्लोपिंग रूफ अनिवार्य हैं, वहां पर स्लोपिंग रूफ बनाने के बाद की कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जहां पर स्लोपिंग रूफ अनिवार्य नहीं है, वहां पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी भविष्य में निर्माण कार्य के लिए सरिया या पिलर बाहर न रखें। जैसे आपने एसैस टू प्लॉट की बात है, तो उसमें भी संशोधन करके इसको डलीट किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान संशोधन विधेयक बनी हुई तथा प्रयोग में लाई जा रही बिल्डिंग्ज को नियमित करने के बारे में हैं।

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ---

27/08/2016/1600/NS/AS/1

शहरी विकास मंत्री ------ जारी।

इसके अलावा आपने कहा कि जो क्षेत्र मर्ज़ड एरिया वाले हैं और जब वहां पर एक्ट लगा तो वे क्षेत्र साडा बन गए हैं और उसके बाद वे कार्पोरेशन्ज़ में आ गए हैं, लेकिन वह एक्ट तो वर्ष 1977 से लगा हुआ है। उनकी दरें वही दरें रखी गई हैं। उनके ऊपर कम्पाउडिंग फीस नहीं लगेगी ताकि उनको इसका लाभ मिले। दूसरा, आपने जो एच.एफ.एल. की बात कही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें मान्य उच्च न्यायालय की भी ज़जमैंट है, उसका मामला एन.जी.टी. में है। अगर हम इसके बारे में कुछ करना भी चाहेंगे तो कनफलिक्ट हो जाएगा। इसीलिए उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता है। आज जिस तरह से बरसात हो रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, अगर कल कोई ऐसी त्रासदी हो जाती है तो इसकी बात इस विभाग के ऊपर आएगी। हालांकि जब हम रेग्यूलेट करते हैं तो समय-समय पर अन्य विभागों का भी इसमें रोल रहता है, लेकिन जब भी बात आती है तो वह

इसी विभाग के ऊपर आती है। अगर हम यह एक लाईन हटा देंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्ट exists ही नहीं करता था। फिर इस प्रदेश के अंदर इस एक्ट और विभाग की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। इसीलिए इनको भी उन्हीं लोगों के समान रखा गया है, जो चार्ज़िज़ इन पर लगेंगे, वैसे ही उन पर भी लगेंगे। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अप्लाई करते वक्त सारी बातों और सारे नियमों का पालन किया गया था। इनसे भी अगर नीचे कर देंगे तो हम उनके साथ भी अन्याय कर रहे हैं, जिन्होंने सारे कानून का पालन समय-समय पर किया है। इसके अलावा जहां तक आपने धौलाकुआं क्षेत्र को टी.सी.पी. में लेने की बात कही है तो वहां पर ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वहां पर इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेज़मेंट आ रहा है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आजतक जितने भी एरियाज़ नोटिफाइड हुए हैं, यह तब हुए जब पूरी डिवैल्पमेंट हो जाती है, सारे भवन बन जाते हैं और तब ख्याल आता है कि यहां पर इतनी कन्सट्रक्शन हो गई है, अब हम इसको नोटिफाई कर देते हैं। अब यह परिस्थिति हो गई है कि जो शहरों के साथ लगता सब-अर्बन एरिया या पंचायतों का

27/08/2016/1600/NS/AS/2

क्षेत्र है, वहां पर हमारा कोई कानून नहीं लग रहा है। वे क्षेत्र प्लानिंग एरियाज़ से बाहर हैं। पूरे प्रदेश का जो हैबिटेबल एरिया है, उसमें पूरे क्षेत्र के केवल 15 प्रतिशत के ऊपर ही टाऊन एंड कंटरी प्लानिंग लगता है। प्रदेश का जो पूरा क्षेत्रफल है, उसका केवल 3 प्रतिशत भाग टाऊन एंड कंटरी प्लानिंग के अंडर आता है, लेकिन अगर हम पंचायतों मे चलें जाएं तो देखेगें कि वहां पर प्लानिंग एरिया है ही नहीं, डिवैल्पमेंटल प्लान्ज़ बने ही नहीं हैं, वहां पर कोई नियम ही नहीं हैं। जब इस एक्ट में संशोधन हुआ था तो यह प्रावधान रखा गया था कि जहां पर भी कोई ऐसी डिवैल्पमेंट होगी, बड़ा इंस्टीच्यूट बनेगा या बड़ी कॉलोनी बनेगी तो वह डीमड अर्बन एरिया/डीमड प्लानिंग एरिया होगा। अगर इसमें कोई पूरे ग्रामीण क्षेत्र आ गए होंगे तो आप मुझे बताएं, हम उसके ऊपर विचार कर लेंगे। मेरा आप सबसे यह निवेदन रहेगा कि हमारा इस संशोधन के माध्यम से यह प्रयास है कि प्रदेश के अंदर ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को लाभ मिले। Structure stability का हम strictly पालन करेंगे क्योंकि जैसा आपने कहा कि हम वर्ष 2014 में ऑर्डिनैंस लाए थे और ऑर्डिनैंस वापिस हुआ और उसके बाद एक और ऑर्डिनैंस आया, लेकिन समय-समय पर चुने हुए

प्रतिनिधियों से और लोगों से जब सुझाव आने लगे तो इस वजह से देरी हुई। उसके चलते अगर कुछ लोगों ने यह होशियारी कर ली होगी कि एक-दो मंजिलें बढ़ा ली हैं और उनके पिल्लर्ज़ में दम ही नहीं होगा तो हम ऐसी कोई बिल्डिंग रेग्यूलेट नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रदेश, एक्ट और हमारे विभाग के ऊपर कल को कोई बात आए कि ऐसे भवन नियमित कर दिए थे, जोकि गिरना शुरू हो गए। इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है और यह प्रयास किया गया है, क्योंकि एक ऐसा ही एक्ट पहले तमिलनाडू सरकार लेकर आई थी और वह मामला वहां के हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को अपहैल्ड किया था। हमने इन सभी बातों को ध्यान में रखा है ताकि प्रदेश को लोगों को अगर एक बार लाभ देना है तो उनको पूरा लाभ मिले। साथ ही जो law avoiding citizens हैं

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

27/08/2016/1605/RKS/DC/1

शहरी विकास मंत्री... जारी

उनको यह महसूस न हो कि उनके साथ कहीं गलत हुआ है। यहां पर यह भी बात सामने आई कि इसमें कुछ बिल्डरों को लाभ हुआ है। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो बिल्डर थे, वे तो भवन बनाकर चले गए परन्तु जो इन्डविजूअल हैं, प्रदेश के लोग हैं, वे लोग इसमें फंस गए। जब हम इन मकानों को रेग्यूलराइज़ करेंगे तो उसमें किसी इन्डविजूअल को डिस्क्रीमिनेट नहीं करेंगे। कानून सब लोगों के लिए बराबर होगा। जैसा मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि बहुत से लोग इस पॉलिसी का लाभ ले चुके हैं परन्तु अभी तक एक भी केस रेग्यूलराइज़ नहीं हुआ है। जब यह बिल इन प्लेस आ जाएगा उसके बाद ही यह प्रक्रिया शुरू होगी। जैसा कि माननीय विधायक श्री अनिरूद्ध सिंह जी ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि कोई रसूक वाला व्यक्ति पहले लाभ उठा ले और कोई आम-आदमी छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार से आवेदन किया जाएगा उसी प्रकार से उन आवेदनों में सीरियल नम्बर लगने शुरू हो जाएंगे। सभी मामलों को उसी आधार पर देखा

जाएगा। जो नगर पंचायत की दर को 800 रुपये से 400 रुपये करने की बात कही गई है तो मैं बताना चाहूंगा कि यह हमारे प्रिंसिपल एक्ट में ही 800 रुपये है। इसमें नगर पंचायत का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन यदि इसमें संशोधन होना होगा या दरें बदलनी होगी तो वह अभी बदलना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आने वाले शीतकालीन सत्र में इस विसंगती को दूर कर दिया जाएगा। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो विधेयक यहां पर आया है इसको संशोधित रूप में पारित करने में अपना सहयोग दें।

27/08/2016/1605/RKS/DC/2

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक अमैंडमैंट दी है और जो बात 1977 के सैक्शन(M) में कही है अगर आप इस लाइन को डिलिट कर देंगे तो सारे का सारा एक्ट हर व्यक्ति के लाभ के लिए होगा। दूसरा, जो आपने धौलाकुंआ की बात कही है वहां की वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है और उसके बारे में मैं आपको वयक्तिगत रूप में मिलकर भी बताऊंगा। माज़रा और मिश्रवाला में तो एक-एक विस्वा में मकान बनाने वाले गरीब लोग हैं। वह सारा क्षेत्र टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग में डाला गया है। मैंने जो उदाहरण दिया है, वह एक अलग तरीके से दिया है कि किस तरह से प्रदेश में नगर योजन लगता है। ये जो सारे Merged Areas हैं अगर इनमें 1977 वाली लाइन को डिलिट कर दिया जाए तो समाधान निकल जाएगा।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर हम इस एक लाइन को डिलिट कर दें तो इसका अर्थ यह है कि हम टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग के मूल एक्ट को निरस्त कर रहे हैं। यह व्यवस्था नहीं हो सकती है अगर ऐसा किया जाए तो हमें पूरा एक्ट ही वापिस लेना पड़ेगा। जो दरें रखी गई हैं, वे उतनी ही रखी गई हैं जितने कि लोगों ने नियमों के तहत अपने नक्शे पास करवाए हैं। मैं समझता हूं कि प्रिंसिपल एक्ट की दरों से नीचे जाना भी सही नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि जो यह संशोधन विधेयक आया है इसको पारित करने में माननीय सदन अपना सहयोग दे।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016(2016 का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 पर सरकार की ओर से जो संशोधन आए हैं उसे मैं प्रस्तुत हुआ समझता हूं, जो इस प्रकार हैः-

पृष्ठ -5 खण्ड -2 पंक्तियां- 21 प्रस्तावित संशोधन-

27/08/2016/1605/RKS/DC/3

"1200 र की दर से और 600/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से" के स्थान पर क्रमशः "1000/-रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से और 500/-रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से पढ़े जाऐं।

पृष्ठ -7 खण्ड- 3 पंक्तियां 16 प्रस्तावित संशोधन- "विद्यमान भवन" के स्थान पर "विद्यमान भवन/प्रस्तावित निर्माण" पढ़ा जाए।

पृष्ठ- 7 खण्ड-3 पंक्तियां 25-26 प्रस्तावित संशोधन "और प्लॉट के पहुंच मार्ग की चौड़ाई दर्शाती हो" के स्थान पर "को दर्शाती हो;" पढ़ा जाए।

In Authoritative English Text

Page -5 Clause-2 Lines -20 Proposed Amendments:

"for the figures" d figures he figures " and Rs. 500/- per M^{2}" shall be read respectively".

Page-7 Clause-3 Lines- 16-17 Proposed Amendments : " for the words "existing building" the words "existing building/proposed construction" be read".

Page-7 Clause -3 Lines- 24-25 Proposed Amendment : "and width of access to plot" be deleted

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व 3 पर जो संशोधन सरकार की ओर से आया है उसे स्वीकार किया जाए।

संशोधन स्वीकार ।

खण्ड-2 व 3 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

27.08.2016/1610/SLS-AS-1

अध्यक्ष महोदय...जारी

तो प्रश्न यह है कि खंड-4 विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड-4 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खंड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 14) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 14) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 14) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 14) को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

27.08.2016/1610/SLS-AS-2

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 14) को संशोधित रूप में पारित हुआ।

अध्यक्ष : अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका(संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए। क्या कोई माननीय सदस्य इस पर अपनी बात रखना चाहेगा? माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी इस पर अपने विचार रखेंगी

27.08.2016/1610/SLS-AG-3

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल नंबर-16 माननीय मंत्री जी प्रस्तुत किया है, मूल रूप से it is originated from the decision of High Court in a case titled Abhishek Rai Vs State of Himachal Pradesh और ज्यादातर सैक्शन जो इसमें अमैंड हुए हैं वह उसी के बेसिज पर हैं। वह सही भी है क्योंकि जो म्यूनिसिपैलिटी में फाइन करने के रेट्स हैं वह बहुत कम हैं। आपने उनको बढ़ाया है। आपने उनको 25 रुपये से बढ़ाकर कहीं 500 रुपये तो कहीं 1000 रुपये किया है। उसके साथ-साथ आपने 2-3 सैक्शन्ज और भी अमैंड किए हैं। एक सैक्शन आपने और अच्छा अमैंड किया है जिसमें stray dogs as well as domestic dogs के लिए आपने वैक्सीन और स्टरलाइजेशन, दोनों का प्रोविजन रखा है। In the case of domestic dogs, owner खर्चा वहन करेंगे और in the case of stray dogs म्यूनिसिपैलिटी खर्चा वहन करेगी। यह भी एक अच्छा संशोधन है। एक आपने और अमैंडमैंट लाई है। अभी गवर्नमैंट एन.ए.सी. में 2 और म्यूनिसिपल कमेटी में 3 मैंबर्ज़ नोमिनेट करती है। आप संशोधन ला रहे हैं कि अब 3 और 4 नोमिनेट करेंगे। इसमें भी किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, यह ठीक है। एक आपने सैक्शन-211 में अमैंडमैंट लाई है। उसका आपने अमैंडमैंट का फर्दर अमैंडमैंट दिया है। अध्यक्ष महोदय, जो आप अमैंडमैंट ला रहे हैं, यह एक वैलकम स्टैप है। यह स्ट्रींजैंट लॉ की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। मगर अगर म्यूनिसिपैलिटी के इस सैक्शन को पहले ही ठीक से अमैंड करते तो इससे पहले जो यहां पर नगर नियोजन और टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट का संशोधन दिया, इसको लाने की कभी ज़रूरत ही न पड़ती, क्योंकि

उसका औरिजन यह सैक्शन of the Municipal Committee Act है। अध्यक्ष महोदय, सैक्शन 211 में म्यूनिसिपल कमेटी एक्ट; कार्पोरेशन का एक्ट अलग है यह प्यूनिसिपल कमेटी एक्ट है, म्यूनिसिपल कमेटी एक्ट में सैक्शन-211 में म्यूनिसिपल कमेटी के ई.ओ. को, अगर कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही हो, नोटिस देने की पॉवर है within six months of raising the structure or when the work starts to give notice.

जारी ...श्री गर्ग जी

27/08/2016/1615/RG/AG/1
श्रीमती आशा कुमारी----क्रमागत

मगर उसके आगे कोई कार्रवाई हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक तो इन्होंने जो अमण्डमेंट लाया है और जो 211 के नोटिस की बात, कार्रवाई करने का जो प्रोवीजन original Act में है वह म्युनिसपल कमेटी के फुल हॉऊस को है। फुल हॉऊस नोटिस देने के बाद आगे कोई कार्रवाई ही नहीं करता है और जब कार्रवाई नहीं करता है, तो स्ट्रक्चर रेज़ हो जाता है और जब स्ट्रक्चर रेज़ हो जाता है, तो इससे पूर्व जो आप अमण्डमेंट लेकर आए, आपको ऐसे अमण्डमेंट्स यहां हॉऊस में लोगों को रिलीफ देने के लिए लाने पड़ते हैं। इस स्टेज पर 211 के नोटिस के ऊपर क्या ऐक्शन होना चाहिए, यह इस सेक्शन का एक बहुत important aspect है। इसमें आपने 30 दिन रखे हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि इसको आप 45 दिन से अधिक न रखें। क्योंकि original rules में हर महीने म्युनिसपलटी को मीटिंग करनी ही है। तो जब कोई अनधिकृत निर्माण हुआ है और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और इस माननीय सदन को याद दिलाना चाहूंगी कि म्युनिसपल कमेटीज़ में जो ज्यादतर अनधिकृत निर्माण होता है, वे छोटे खोखे, छोटी ऐक्सटेंन्शन्ज या कोई सीढ़ियां बना लेगा, ये छोटे-छोटे काम होते हैं जोकि 15-20 दिन के अंदर या शनिवार एवं रविवार या कोई छुट्टी का दिन आता है, तो उसमें यह काम पूरा कर लिया जाता है। उनके पास 15 दिन का समय म्युनिसपलटी के पास अपील करने का होता है। अगर म्युनिसपलटी तीन महीने में डिसाईड करेगी, अभी तो करती ही नहीं है। आप कम-से-कम यह प्रोवीजन ला रहे हैं, मगर मेरा यह मानना है कि यह तीन महीने भी ज्यादा

समय है। हर महीने मीटिंग होती है। अगर 211 का नोटिस हुआ है, तो उस पर तुरन्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर भी आगे मेरा यह मानना है कि अगर म्युनिसपल कमेटीज़ चाहे कोई म्युनिसपल कमेटी हो, अपना दायित्व नहीं निभाती है और महीने या दो महीने में मीटिंग नहीं करती हैं और इन सेक्शन्ज के ऊपर ऐक्शन नहीं लेती है, तो आप फरदर चाहे आप अभी करिए या बाद में अमण्डमेंट लाइए, सरकार के पास यह पॉवर होनी चाहिए to stop this illegal construction suo motu also. आप म्युनिसपल कमेटी को भी पूरा मौका दीजिए क्योंकि वह एक इलैक्टेड हॉऊस है। लेकिन अगर इलैक्टेड हॉऊस अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझे, तो यह अनधिकृत निर्माण का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा।

27/08/2016/1615/RG/AG/2

अध्यक्ष महोदय, मेरी बहुत विस्तृत चर्चा माननीय मुख्य मंत्री जी से इस पर हुई थी he was in agarement. इनफैक्ट यदि आप एक सेक्शन को ठीक कर देंगे, तो यह जो लॉ है इसमें जो फरदर अमण्डमेंट्स लाने पड़ते हैं ये कभी नहीं लाने पड़ेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो आप अमण्डमेंट लाए हैं इसको तीन महीने के स्थान पर 45 दिन किया जाए और दूसरा अगर अभी संभव नहीं है, तो आगे यदि आप इस सेक्शन को अमण्ड करें ताकि जो अनधिकृत निर्माण की जड़ है उसको at the bud ही nip कर दिया जाए। धन्यवाद।

27/08/2016/1615/RG/AG/3

अध्यक्ष : अब डॉ. राजीव बिन्दल जी चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ. राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो जो श्रीमती आशा कुमारी जी ने कही, उसी के ऊपर इस 211 का एक और सिम्पल सोल्युशन है। 211 के नोटिस के बाद नगर पालिका की स्टेण्डिग कमेटी नक्शों को देखती है। उसको फुल हॉऊस से विद ड्रॉ करके ऐक्शन लेने की पॉवर स्टैण्डिग कमेटी को जा सकती हैं which is always being chaired

by the Chairman of Municipality और वह स्टैण्डिंग कमेटी की मीटिंग किसी भी समय अवरली नोटिस के ऊपर हो जाती है। तो स्टैण्डिग कमेटी को यह पॉवर दे देने से यह काम और आसान हो जाएगा। अगर इस सुझाव को यदि आप अभी ऐड कर लेंगे, तो यह बहुत अच्छा है क्योंकि 211 के नोटिस वर्षों पड़े रहते हैं। उसके बाद वे कोर्ट में वॉश ऑफ हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो इन्होंने नामांकित सदस्य की की है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि आप नामांकित सदस्यों की संख्या को बढ़ाएं। हमारे यहां जहां सात सदस्य हैं वहां आप तीन या चार सदस्य और डाल देंगे, तो 11 सदस्य हो गए। जो चुने हुए सदस्य हैं उनकी संख्या कम हो गई और दूसरे ज्यादा हो गए। सरकार किसी भी समय नोटिफाई कर देती है, ऑर्डिनेंस ला देती है या कुछ करके उनको वोटिंग पॉवर दे देती है। तो वोटिंग पॉवर देकर हमारा लोकतंत्र का ढांचा पूरी तरह से बिगड़ जाता है। हमारे पास तीन या चार लोगों के नॉमीनेशन का प्रावधान सफिशियेन्ट है।

एम.एस. द्वारा जारी

27/08/2016/1620/MS/AG/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी-----

इससे ज्यादा नोमिनेटिड लोगों का प्रावधान ठीक नहीं है। चण्डीगढ़ कारपोरेशन इसका एक सबसे वर्स्ट उदाहरण है जहां 11 लोग नोमिनेट होते हैं और 11 को अल्टीमेटली उन्होंने वोटिंग राइट दे दिया है। इलेक्टिड लोग कभी भी वहां कारपोरेशन नहीं बनाते हैं बल्कि नोमिनेटिड लोग ही कारपोरेशन बनाते हैं। यह स्थिति वहां पर है तो आपने अगर इसको तीन रखा है तो तीन ही रखिए और कारपोरेशन में अगर चार है तो उसको चार ही रखिए। ये लोकतंत्र के हित में बिल्कुल नहीं है। यही हमें कहना है।

27/08/2016/1620/MS/AG/2

अध्यक्षः अब शहरी विकास मंत्री चर्चा का ब्रीफ में उत्तर देंगे।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी ने सैक्शन-211 के बारे में कहा है यह बिल्कुल सही है। यह भी सही है कि इसकी आड़ में जो देरी हो जाती है उसी के चलते सारे अवैध निर्माण और डैविएशन्ज प्रदेश के अंदर हुई हैं। मैं आश्वास्त करना चाहूंगा इनको भी और माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिन्दल जी को भी कि जैसे इन्होंने कहा कि इसमें तीन महीने का समय रखा गया है, तो इसको तीन महीने से कम करके 45 दिन रखेंगे। एक सुझाव ऐसा भी आया है कि इसको स्टैण्डिंग कमेटी के पास दिया जाए। क्योंकि इसके और भी सब-क्लॉजिज नीचे जुड़े हुए हैं जोकि प्रिंसिपल ऐक्ट में हैं तो उनको स्टडी करके हम लोग जो हमारा आने वाला विंटर सैशन है उसमें अलग से लेकर आएंगे क्योंकि यह एक बहुत बड़ा निर्णय है जो प्रदेश-हित में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें करना होगा। तभी हम टी0सी0पी0 ऐक्ट में जो संशोधन कर रहे हैं उसके साथ न्याय कर पाएंगे। इस विंटर सैशन में आप लोगों से भी सुझाव लेकर इसको लाएंगे। जहां तक आपने कहा कि मनोनीत सदस्यों की संख्या ज्यादा कर दी गई है तो म्युनिसिपल कारपोरेशन में पहले संख्या तीन थी, उनको उससे बढ़ाया है क्योंकि आबादी बढ़ी है। इसलिए इसको पांच किया जा रहा है और यह प्रोस्पेक्टिव है। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में नगर पंचायत या म्युनिसिपल काऊंसिल्ज के अंदर भी आबादी बढ़ी है तो उनकी जब अगले चुनावों में डिलिमिटेशन होगी और वार्ड बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि उस समय यह बिल्कुल न्याय-संगत होगा क्योंकि यह रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लग रहा है बल्कि यह आगे के लिए है। इनको वोटिंग राइट नहीं रहता है यानी इनमें जितने भी नोमिनेटिड सदस्य हैं इनको कोई वोटिंग राइट नहीं रहता। इसलिए यहां चण्डीगढ़ जैसी परिस्थिति या अन्य जगहों जैसी परिस्थिति होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए मेरा सदन से निवेदन है कि जो यह संशोधित विधेयक आया है इसे पारित करने में अपना सहयोग दें।

27/08/2016/1620/MS/AG/3

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने आबादी के बढ़ने की बात की है। ऐसी-ऐसी नगर पंचायतें हैं जिनकी दो हजार की आबादी है यानी दो हजार वोट हैं और उसके ऊपर सात इलैक्टिड मैम्बर्ज हमारे वहां पर हैं। उसके अंदर हम चार या तीन मैम्बर नोमिनेटिड और डाल देंगे तो 10 मैम्बर होंगे। हमारे पास तो ऐसी पंचायतें हैं जिनके 4500 वोट्स हैं और 6000 की आबादी है। उनके अंदर नोमिनेटिड लोगों को बढ़ाने का किसी भी प्रकार से औचित्य नजर नहीं आता है। इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। आप इसको सलैक्ट कमेटी को भेज दीजिए और सलैक्ट कमेटी इस पर विचार कर लेगी और फिर जो फैसला होगा वह मान्य होगा।

अध्यक्षः मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको राइट ऑफ वोट नहीं मिलेगा। They will have no right of vote.

डॉ0 राजीव बिन्दलः आप इलैक्टिड मैम्बर्ज की संख्या बढ़ा लें अगर ज्यादा लोग ऐसे रखने हैं। आप सलैक्ट कमेटी को इसे भेज दें। आप ऐसा काम न करें कि आपके पास अगर मेजोरिटी है तो धक्के से आप पूरा कन्स्टीच्यूशन उड़ा करके ले जाएं। It should not be like that.

Speaker: It is a Government side to do.

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा कि इनको वोट का कोई अधिकार नहीं है और यह रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगेगा बल्कि प्रोस्पेक्टिवली लगेगा तो नोमिनेशन तो बाद में ही होंगे। हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं कि आज बनाकर पिछली डेट से नोमिनेशन्ज होंगे। जैसा आपने कहा कि नगर पंचायतें और म्युनिसिपेल्टीज छोटी हैं लेकिन इनका भी अब सब-अर्बन एरिया बढ़ता जा रहा है। जब इनका दायरा बढ़ेगा, जब वार्ड बढ़ेंगे तो उस हिसाब से ये अगले चुनाव के समय में ही होगा। जहां तक आपने कहा कि नगर पंचायत में 4 मैम्बर्ज कर रहे हैं तो वहां तीन ही कर रहे हैं, म्युनिसिपेल्टीज में चार और कारपोरेशन में 5 कर रहे हैं।

अगले वक्ता श्री जे0एस0 द्वारा---

27.08.2016/1625/जेके/एएस/1

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वोटिंग राईट नहीं है। जो हमारे बैंक्स और कॉप्रेटिव सोसायटीज़ थी उसमें जितने डॉयरैक्टर्ज़ नॉमिनेट हुए थे, at one night उनको वोटिंग पॉवर दे दिया क्योंकि अगले दिन इलैक्शन करवाना था। जो नॉमिनेटिड है उसको आप दे सकते हैं उसमें एक्ट का कुछ नहीं है। आप उनको वोटिंग राईट कभी भी दे सकते हैं। यह लोकतंत्र के हित में नहीं है। जब आप इलैक्टिड मैम्बर्ज़ की संख्या यहां पर 17-17 और 19-19 कर रहे हैं, आपने इसी एक्ट के अन्दर प्रावधान किया है कि जो 49 हजार की है उसके लिए आप 19 सदस्य इलैक्शन के हो रहे हैं। अब 19 सदस्य 49 हजार की नगर पालिका में, उससे ज्यादा हमको किस लिए वे नॉमिनेटिड लोग चाहिए?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी आप अपना विचार रखिए। This needs no discussion. इसमें डिस्कशन नहीं चाहिए। आप देखिए क्या करना है।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आप जानते हैं कि जो चुनावी प्रक्रिया है, जरुरी नहीं है कि समाज के अन्दर हर व्यक्ति चुनाव लड़ करके अपना योगदान दे पाए। यह नॉमिनेशन इसलिए रखे जाते हैं कि कोई शिक्षा या सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में या कोई अन्य लोग जिनका योगदान है, जो चुन करके नहीं आ सकते हैं उन लोगों को इसमें मौका दिया जाए। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि हमने बिल्कुल सोच-समझ कर इसका प्रावधान किया है। मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि इसको पूरा सदन अपनी सहमति से पास करें।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

27.08.2016/1625/जेके/एएस/2

अब बिल पर खंडशः विचार होगा।

इसमें खंड 42 पर सरकार की ओर से संशोधन आया है, जिसे मैं प्रस्तुत हुआ समझता हूं। जो इस प्रकार हैः-

Page- 7, Clause -42 In clause 42 of the Bill, after proposed Sub-clause (b) for the existing third proviso of Sub-section (1) of Section 211, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided further that if any notice issued by the Executive Officer or Secretary, as the case may be, under this Section on the ground that a building has been begun or has been erected in contravention of the term of any section granted or in contravention of any bye-laws made under Section 204, the person to whom the notice issued may, within fifteen days from the date of service of such notice, appeal to the municipality which shall be decided within three months from the date of filing of such appeal and subject to the provisions of Section 212, 263 and 269, the decision of the municipality shall be final."

तो प्रश्न यह है कि खंड 42 पर जो संशोधन सरकार की ओर से आया उसे स्वीकार किया जाए।

संशोधन स्वीकार हुआ।

खंड 42 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खंड 2 से 41 तक तथा 43 से 49 तक विधेयक के अंग बनें।

(प्रस्ताव स्वीकार)

27.08.2016/1625/जेके/एएस/3

खंड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26, 27, 28,29,30, 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 43,44,45,46,47,48 और 49 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) को संशोधित रूप में पारित जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 16) संशोधित रूप में पारित हुआ।

अध्यक्षः अब शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

27.08.2016/1630/SS-AS/1

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर-निगम संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-17) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर-निगम संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक-17) पर विचार किया जाए।

श्री सुरेश भारद्वाज जी, आप क्या बोलना चाहेंगे?

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी नगरपालिका अधिनियम में नोमिनेशन की चर्चा हो रही थी, कारपोरेशन में भी इन्होंने यह प्रस्ताव किया है कि अब तीन की जगह पांच नोमिनेट होंगे। इन्होंने कहा है कि कई लोग चुन के नहीं आ सकते हैं। शिक्षा के कारण या किसी स्पैशल म्युनिसिपल वर्कस की उनको जानकारी हो, मैं माननीय मंत्री जी से एक तो यह जानना चाहता हूं कि शिमला नगर निगम में, धर्मशाला के बारे में आप अपने आप बतायेंगे, तीन जो आपने नोमिनेट किये हैं वे कौन-से शिक्षाविद हैं या किसी चीज़ का उन्हें खास अनुभव है? मैं उन पर इंडविजुअली नहीं जाना चाहूंगा ताकि उसके आधार पर दो और को नोमिनेट किया जा सके। सर, यह इनका ही विषय नहीं है यह हमारा भी विषय होगा क्योंकि आने वाले टाइम में हमने नोमिनेट करने हैं। इन्होंने तो करने नहीं हैं। सर, ऐसा है, आने वाले टाइम में अगर पांच भी नोमिनेट करेंगे तो हम ही करेंगे। लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ जनरली जो बोलती हैं उस हिसाब से नहीं होता है। जिस परपज़ के लिए क्लॉज लाई जाती है वह नहीं होता है सिर्फ एडजस्टमैंट होती है। कुछ मंत्रियों के आदमी होते हैं, कुछ किसी और के आदमी होते हैं उनको एडजस्ट करना है इसलिए ये नोमिनेशन बढ़ा रहे हैं और इसमें पर्कस भी आ रहे हैं।

अध्यक्षः ये कह रहे हैं कि जो अब नोमिनेट कर रहे हैं वे शिक्षा के क्षेत्र में चाहिएं। पिछले जो हो गये सो हो गये। ये अगले के लिए कह रहे हैं।

27.08.2016/1630/SS-AS/2

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं भी वही कह रहा हूं। मैं उसी की बात कर रहा हूं कि जो अभी तक हैं वे कितने शिक्षाविद् हैं? आगे के लिए ये कहीं से वाइस-चांसलर को नोमिनेट करेंगे। कोई नोमिनेट किसी क्वालिफिकेशन के कारण नहीं होता है। क्वालिफिकेशन एक है कि रूलिंग पार्टी के आदमी को एडजस्ट करना है चाहे वह किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन रखता हो। इसके लिए यह नोमिनेशन होती हैं अदरवाइज इसका कोई परपज़ नहीं है। दूसरा, ये सैक्शन-46 में अमैंडमेंट कर रहे हैं। इसमें बड़ा सिम्पल है कि उसमें ज्वाइंट और असिस्टैंट कमिश्नर वर्ड है। अब ये ज्वाइंट और असिस्टैंट की जगह पर एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर कर रहे हैं और उसके लिए जो इनके अपने नियम हैं एच0ए0एस0 वगैरह को प्रॅमोट करने के, वहां पर ज्वाइंट सैक्रेटरी होंगे या किसी में एडिशनल सैक्रेटरी बनेंगे, उसमें भी तरमीम करें कि अगर कारपोरेशन में आयेंगे तो वे असिस्टैंट कमिश्नर नहीं वे ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर होने चाहिएं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? क्या असिस्टैंट कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर रहते हुए जो काम उनको ऐक्ट के द्वारा असाईन किये गये हैं जो उन्होंने करने हैं, वे क्यों नहीं किये जा रहे हैं? यह अनावश्यक अमैंडमैंट कानून में क्यों की जा रही है? यह भी माननीय मंत्री जी बतायेंगे क्योंकि अनावश्यक लैजिस्लेशन का उपयोग नहीं है। जिनकी कानून में आवश्यकता नहीं है, उसके लिए आपने कहा है कि सात साल से नीचे के जो हैं वे ज्वाइंट हो जायेंगे, उससे ऊपर के एडिशनल हो जायेंगे, ये क्यों किया जा रहा है? कमिश्नर भी आप फिर उसी हिसाब से एप्वाइंट करेंगे।

तीसरा, फिर इसमें ये अमैंडमैंट ला रहे हैं। कमिश्नर, म्युनिसिपल कारपोरेशन को जो काम की पावर्ज़ हैं वह अभी तक पांच लाख तक सैंक्शन करने की है। उससे ऊपर की पावर्ज़ हाउस को होती हैं। हम डैमोक्रेसी में सब चीज़ें मानते हैं कि हमारे हाउस को पावर्ज़ हों। हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्ज़ को पावर्ज़ हैं। अब यहां पर जो इलैक्टिड लोग हैं, कारपोरेशन का इलैक्टिड हाउस है उसके स्थान पर आप पावर्ज़ बढ़ा करके कमिश्नर को सौंप रहे हैं। आपने अमैंडमैंट लाई है। पहले इन्होंने पांच से सीधा बीस लाख कर दिया था।

अब बीस की जगह 10 लाख किया है। यह ठीक है कि थोड़ा-सा काम नहीं होता है तो आपने लिमिट को बढ़ा दिया है लेकिन आप कंसंट्रेशन इलैक्टिड लोगों के हाथ से छुड़ा करके जैसे यहां पर भी हो रहा है,

जारी श्रीमती के0एस0

27.08.2016/1635/केएस/डीसी/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी----

पार्लियामैंट्री और लैजिस्लेटिव पावर अण्डरमाइन होती जा रही है, चाहे वह ज्यूडिशियरी कर रही है, चाहे एग्ज़ीक्यूटिव कर रही है। हम बड़े-बड़े भाषण देने के लिए समय निकालते हैं लेकिन लैजिस्लेटिव कार्य के लिए हम बी.ए.सी.में भी 15 मिनट का समय रखते हैं और यहां पर भी कोशिश करते हैं कि कम से कम बोला जाए और न ही बोलें तो ज्यादा अच्छा है और इसको सारी दुनिया देख रही है, सारा प्रदेश भी देख रहा है कि हम किस चीज़ में क्या करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हाऊस की पावर्ज़ को करटेल करके कंसन्ट्रेशन एक ऑफिसर के हाथ में दे रहे हैं। यह गलत है इसको हाऊस में रहना चाहिए और अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ करना है तो कमेटी को थोड़ी पावर्ज़ ज्यादा कर दें। एक पावर कमिशनर को दे दी जाए, उससे ऊपर कमेटी को हो जाए, उससे ऊपर हाऊस को पावर हो जाए, इस प्रकार का प्रोविज़न करना चाहिए। फिर 157 में एक और अमैंडमैंट कर रहे हैं 'The Commissioner with the prior approval of the Standing Committee constituted under Sub Section (4) of the Section (40) of the Act may dispose off by sale, lease or otherwise any movable or immovable properties belonging to the Corporation by public auction except such movable or immovable properties जो गवर्नमैंट के लिए देनी है'। आप कमिश्नर को, चाहे आप स्टैंडिंग कमेटी को भी पावर दे रहे हैं, क्या आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं, आप उसको डिस्पोज़ ऑफ भी कर सकते हैं ? यह ठीक है कि ऑक्शन करेंगें लेकिन क्या यह पावर कमिश्नर को होनी चाहिए? शिमला गेयटी थियेटर की मालिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन

हुआ करती थी वह सरकार ने उससे ले लिया। वह सरकार को चला गया, ठीक है लेकिन अगर यही पावर रहती तो उसको भी आप ऑक्शन कर देते कि किसी सोसायटी को उसको हैंड ओवर कर दिया जाए। ऐसी पावर आप सिंगल हाथ में दे रहे हैं, यह डैमोक्रेटिक प्रिंसिपल्ज़ के अगेंस्ट है इसलिए यह अमैंडमैंट ऐक्सैप्टेबल नहीं है। यही नहीं, शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास फोरैस्ट था। जो जंगल आज टूरिज्म का एक प्वाइंट बना हुआ है, जिसको हसन वैली कहते हैं,

27.08.2016/1635/केएस/डीसी/2

चूरट का एरिया है, क्रैगनैनो का एरिया है, यह सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी थी इसीलिए वह ग्रीन एरिया आज तक बचा रहा लेकिन उसको भी सरकार ने ऑर्डर किया और सरकार ने उसको भी ले लिया। सरकार ने ले लिया तो मान सकते हैं कि ज्यादा सुरक्षित हाथों में वह चला जाएगा लेकिन इस प्रकार से सारी प्रॉपर्टीज़, सारी चीजें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथ से निकलती जाएंगी तो इलैक्टिड बॉडीज़ को इलैक्ट करने का उपयोग नहीं रह जाएगा। किसी समय जो कंस्टिट्यूशनल अमैंडमैंट स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय हिन्दुस्तान के संविधान में हुई थी, निचली अरबन लोकल बॉडीज़ को और पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन्ज़ को स्ट्रैंथन करने के लिए कंस्टीट्यूशन में ही सीधे-सीधे अमैंडमैंट हुई थी, आज वह पावर उनको नहीं दे रहे हैं। पंचायत समिति बनेगी, जिला परिषद बनेगी परन्तु उनके पास कोई काम नहीं होगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी रहेगी। वह शिमला में ही नहीं बनेगी, अब तो शहरी विकास मंत्री जी ने अपनी धर्मशाला में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दी है जो कि बनने लायक भी नहीं थी उसको भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया है। उसका फायदा क्या होगा? वह तो जब आप वहां रहेंगें, मकान का नक्शा देंगें तब पता चलेगा कि कॉर्पोरेशन क्या होती है। इसलिए मेरा मानना है कि मंत्री जी यह गलत पावर उनको आप दे रहे हैं कि आप डिस्पोज़ भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऑक्शन तो आप करेंगें लेकिन इस प्रकार से डिस्पोज़ ऑफ करने की पावर देंगें तो ऑक्शन तो ऑन लाईन भी हो जाएगी, सिर्फ थोड़े से लोगों को पता चलेगा बाकी लोगों को पता ही नहीं चलेगा। आम जनता को तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा पार्क, कौन सी बिल्डिंग, कौन सी सड़क कमिश्नर ने

बेच दी है । तीन आदमी कमेटी में होते हैं और उनके साथ मिल-मिलाकर सब कुछ हो सकता है। इसलिए जो ये अमैंडमैंट्स यहां पर लाई है, बाकी तो जुर्माना बढ़ाने की अमैंडमैंट्स लाई है। शिमला शहर के लोगों के ऊपर हर चीज़ में जुर्माना लगाते जाओ। मैं इसीलिए कह रहा था कि इनकी बी टीम आई है, उन्होंने प्रोपोज़ कर दिया कि आप ये टैक्स भी लगाओ, पानी के ऊपर सैस भी लगाओ और इस प्रकार की यहां पर पैनल्टी इम्पोज़ करते जाओ । जहां पांच हजार थी वहां पर आप पचास हजार कर रहे हैं, कहीं दो हजार थी वहां बीस हजार कर रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.8.2016/1640/av/dc/1

श्री सुरेश भारद्वाज--------- जारी

इस प्रकार की पैनेल्टीज लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि या तो आप इस प्रकार की अमैंडमैंट्स को सिलैक्ट कमेटी को भेजो ताकि इस पर थोरोली चर्चा हो सके। पार्लियामैंट में भी यह प्रोसिजर है कि पहले ऐक्ट जब हाऊस में आता है तो वह स्टैंडिंग कमेटी में जाता है। स्टैंडिंग कमेटी उस पर पूरी चर्चा करेगी और रिपोर्ट आयेगी, उसके बाद हाऊस उसको डिसकस करने के बाद पास करता है। यहां पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे तो लगता है कि शायद यहां पर केबिनैट में भी चर्चाएं नहीं होती होंगी। चर्चा केवल ऑफिसर्ज लैवल पर होती है और मंत्री ने जो डिसाइड करना है वह कर दिया। केबिनैट में रिपोर्ट फॉर्मली आ गई और उसके बाद यहां आ गया। यहां 15 मिनट में डिसाइड हुआ और खत्म हो गया, इसीलिए कोर्ट इन्टरवीन करते हैं क्योंकि हमारी लेजिस्लेशन प्रोपर नहीं होती है। डेलीब्रेट करने के बाद लेजिसलेचर नहीं होती है इसीलिए यह गलती हुई है। ये सारी अमैंडमैंट्स लाने लायक नहीं है। इनको या तो सिलैक्ट कमेटी को भेजो ताकि वहां इस पर चर्चा हो सके। अदरवाईज माननीय मंत्री जी, इस अमैंडमैंट ऐक्ट को वापिस लें

तथा इस पर प्रोपरली चर्चा करने के बाद इसके लिए दोबारा लेजिस्लेशन लाएं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी ने कहा कि इसमें बहुत सारी पैनेल्टीज और बहुत सारी राशि बढ़ा दी गई है। इसमें पैनेल्टीज किसको लगेगी? पैनेल्टी उसी को लगेगी जो किसी चीज का उल्लंघन कर रहा है और जब तक उसको डर नहीं होगा वह उल्लंघन करता जायेगा। ज्यादातर यह देखने को मिलता है कि यह पता रहता है कि कुछ सौ रुपये लगने हैं। वह दे दिए और छूट गए तथा केस पड़ा रहा। इसीलिए इस प्रकार की परिस्थितियां बनी है और अर्बन एरियाज के अंदर एक पैनिक की स्थिति बनी रहती है इसीलिए इसको और स्ट्रिनजैंट बनाने के लिए ताकि थोड़ा कानून का भी डर हो और उसका पालन भी हो; इस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास किया

27.8.2016/1640/av/dc/2

गया है। जहां तक आपने यह कहा कि कमीशनर को जमीन ऑक्शन करने की शक्तियां दे दी गईं, शिमला का ही भराड़ी का मामला है जहां पर सरकारी डिपो खुलना है। वहां पर कोई भवन नहीं मिलता इसलिए वहां से बार-बार तथा ऐसी कई दूसरी जगह से लोग कह रहे थे कि म्युनिसिपल कोर्पोरेशन का एक भवन खाली है तथा यहां पर कोई और सरकारी कार्यालय खोलना है मगर कमीशनर के पास कोई शक्तियां नहीं है, न ही कोर्पोरेशन के पास कोई शक्तियां हैं। इसलिए सिर्फ गवर्नमैंट एजैंसीज को ओपन ऑक्शन करके देने के लिए यह प्रावधान रखा गया है ताकि वहां इस प्रकार की व्यवस्था हो सके। दूसरा आपने कहा कि यह जो ऐसिस्टैंट /ज्वाईंट कमीशनर की पोस्ट का नोमनक्लेचर है जिसको कि बदला जा रहा है, इसमें 7 वर्ष की सर्विसिज को ध्यान में रखते हुए चाहे वह सरकार में है या कोर्पोरेशन के अंदर है; इसमें किया गया है। इसमें डी0ओ0पी0टी0 ही अप्वाईंट करेगा इसलिए इसमें यह ऐम्बिग्युटी थी, उसे इस माध्यम से दूर किया गया है। इसलिए मेरा

माननीय सदस्य और सदन से निवेदन है कि हम वर्तमान परिस्थितियों को देखकर जो भी संशोधन लेकर लाये हैं इसको पारित करने में अपना सहयोग दें।

मुख्य मंत्री : हो गई बात। आपने अपनी बात कह दी।

श्री सुरेश भारद्वाज : भत्ते पास करने के लिए बिना चर्चा के सब कुछ पास कर लेते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ेगी जो सबके ऊपर लागू होंगी, मेरे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। जिस काम के लिए हमें भेजा है, लेजिस्लेशन के लिए उस काम को तो कम-से-कम थोरोली कर लेना चाहिए था? जल्दी-जल्दी क्या है? आपने घर जाना है, तो चले जाइए।

मुख्य मंत्री : पंडित जी, (---व्यवधान---) अपनी तमीज को मत भूलिए। आप समझते हैं कि ब्राहम्ण होने के नाते हम आपका आदर करते रहें।

27.8.2016/1640/av/dc/3

श्री सुरेश भारद्वाज : मुख्य मंत्री जी, यहां कास्ट का क्या मतलब है? आप इतने वृद्ध व्यक्ति है और साथ में इतनी बार मुख्य मंत्री रहे हैं। इसलिए हम आपका पूरा आदर करते हैं। मेरा तो आदर करना इसलिए भी बनता है क्योंकि मेरा तो जन्म भी होलीलॉज में हुआ है। मैंने सदन में कभी बद्तमीजी नहीं की होगी। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है, (---व्यवधान---) कोई बद्तमीजी नहीं की। मैंने कहा कि हम जब भत्ते लेते हैं तो इसके लिए हमें सदन में रहना चाहिए।

श्री टी0सी0 द्वारा जारी

27/08/2016/1645/TCV/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज --- जारी ।

मैंने कभी कोई गलत शब्द आपके या किसी माननीय सदस्य के खिलाफ़ कहा होगा तो मैं सदन छोड़ने के लिए तैयार हूं।

मेरा निवेदन यह है कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा वह प्रावधान तो इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, Except such movable and immovable property which is to be given on lease or otherwise to the Government departments, boards or corporation for public utility. इसके तो मैं खिलाफ़ नहीं बोल रहा हूं। इसके अलावा इन्होंने कर दिया है कि वह बेचने के लिए इम्पॉवर है। ये तो गवर्नमैंट को दे सकते हैं,कॉरपोरेशन को दे सकते हैं और लीज़ का ऐसा प्रोविज़न कर दें कि उनको ये दिए जा सकें। लेकिन ये जो Outright sale or dispose of करने की जो पॉवर दे रहे हैं, ये गलत हैं।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इसमें सारी शक्तियां कमिश्नर को नहीं दी जा रही है। इसमें स्टैंडिंग कमेटी कांस्टिच्यूट की होती है, वहीं निर्णय लेगी और उसके बाद ये जो ऑक्शन है, ये संभव होगी। इसमें अकेले कमिश्नर ऑक्शन के ऑर्डर नहीं कर सकता है।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

इसमें खण्ड 6 पर सरकार की ओर से जो संशोधन आया है, उसे मैं प्रस्तुत हुआ समझता हूं। जो इस प्रकार है :-
पृष्ठ-3 खण्ड-6 पंक्तियां 2 से 3 प्रस्तावित संशोधन " बीस लाख रूपये "शब्दों के स्थान पर "दस लाख रूपये " पढ़े जाएं।
27/08/2016/1645/TCV/AG/2

पृष्ठ-3 खण्ड-6 पंक्तियां-5 प्रस्तावित संशोधन : "बीस लाख रूपये "शब्दों के स्थारन पर "दस लाख रूपये "पढ़े जाएं।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 6 पर जो संशोधन सरकार की ओर से आया है, उसे स्वीकार किया जाए।

संशोधन स्वीकार

खण्ड 6 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2,3,4,5,7,8 और 9 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2,3,4,5,7,8 और 9 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 17) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 17) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

27/08/2016/1645/TCV/AG/3

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 17) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 17) संशोधित रूप में पारित हुआ।

<u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख</u>

अध्यक्षः नियम-324 के अन्तर्गत आज विशेष उल्लेख के 10 विषय लगे हैं, यदि सदन की अनुमति हो तो यह सूचनाएं सभा में प्रस्तुत हुई समझी जाएं और माननीय सदस्यों को उत्तर की प्रतिलिपि आज ही उपलब्ध करवा दी जाएंगी। नियम-324 के अन्तर्गत उठाए गए मामले इस प्रकार हैः-

(1) **श्री गुलाब सिंह ठाकुरः** मै सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र जोगिन्द्र नगर के राजकीय उच्च पाठशाला, खडिहार में क्रमशः टी0जी0टी0 (कला) के 2 पद, टी0जी0टी0 (नॉन मैडिकल) का 1 पद, भाषा अध्यापक का 1 पद, शास्त्री का 1 पद व राजकीय उच्च पाठशाला, त्रैम्बली में टी0जी0टी0 (कला) का एक पद, टी0जी0टी0 (नॉन मैडिकल) का 1 पद, टी0जी0टी0 (मैडिकल) का 1 पद, पी0ई0टी0 का 1 पद रिक्त होने से यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहें हैं। क्षेत्र की जनता व प्रतिनिधि द्वारा

सरकार से इन पदों को भरने की मांग के बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए है। परिणामस्वरूप इन दोनों विद्यालयों के बच्चे विशेषकर लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दराज स्कूलों में जाना पड़ रहा है। बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र भरे जाए

27/08/2016/1645/TCV/AG/4

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त मामले के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से हैः-

सरकार का सदैव भरसक प्रयत्न रहता है कि पाठशालाओं में अध्यापकों के रिक्त पदों को तुरन्त भर दिया जाये ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हों परन्तु अध्यापकों के पदों की रिक्तियों का होना एक निरन्तर प्रक्रिया है जो कि सेवानिवति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण इत्यादि कारणों से होती है।

राजकीय उच्च पाठशाला, खडिहार व राजकीय उच्च पाठशाला, त्रैम्बली, जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी में कक्षा छः से दसवीं तक क्रमशः 23 व 49 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहें हैं। इन पाठशालाओं में शिक्षकों के स्वीकत, भरे हुए तथा खाली पदों का विवरण निम्न प्रकार से है

राजकीय उच्च पाठशाला, खडिहार

श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	खाली पद
टीजीटी(कला)	02	00	02
टीजीटी(नॉन -मैडिकल)	01	00	01
टीजीटी(मैडिकल)	01	00	01
भाषा अध्यापक	01	00	01
शास्त्री	01	00	01
पी0ई0टी0	01	01	00
कला अध्यापक	01	01	00

राजकीय उच्च पाठशाला, त्रैम्बली

श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	खाली पद
टीजीटी(कला)	02	01	01

टीजीटी(नॉन -मैडिकल)	01	00	01
टीजीटी(मैडिकल)	01	00	01
भाषा अध्यापक	01	00	01
शास्त्री	01	01	01
पी0ई0टी0	01	00	01
कला अध्यापक	01	01	00

27/08/2016/1645/TCV/AG/5

विभाग द्वारा टी0जी0टी0 (कला, मैडिकल तथा नॉन मैडिकल) के 1643 पदों को सत्रवार एवं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा एवं जे0बी0टी0 तथा सी0 एंड वी श्रेणी से पदोन्नती द्वारा भरने बारे विभागीय प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है और निकट भविष्य में राजकीय उच्च पाठशाला खडिहार व त्रैम्बली में उपरोक्त रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर दिया जायेगा।

सरकार ने 16 मई, 2016 को सी0एण्ड वी0 वर्ग के 1500 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने की अनुमति प्रदान कर दी है तथा इन्हें भी भरने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है और निकट भविष्य में राजकीय उच्च पाठशाला, खडिहार व त्रैम्बली में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर दिया जायेगा।

(2) **श्री विक्रम सिंह** जरयाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान भटियात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत प़डने वाली लाहडू-चुवा़डी राज्य उच्च मार्ग की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह स़डक अभी भी बन्द प़डी है और यह पर्यटन की दृश्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह स़डक कालीधार के पास भू-सखलन होने के कारण बन्द हो जाती है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि चुवा़डी जाने हेतु इस क्षेत्र के लोगों को अतिरिक्त स़डक का निर्माण किया जाये या कालीधार के पास भू-सखलन हो रहा है उसको रोकने हेतु उचित पग उठाए जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से है:-

यह सत्य है कि लाह़डू-चुवा़डी स़डक कालीघार (कि0मी0 49/00 से कि0मी0 49/300) नामक स्थान पर पहा़डी की ओर से भू-स्खलन एवं आधार से खड्ड के जल कटाव के कारण अकसर वर्शा ऋतु में अवरूध्द हो जाती है। परंतु विभाग द्वारा तुरंत मषीन लगाकर इसे खोल दिया जाता है इसके लिए विभाग ने एक डोजर हर समय इस स्थान पर स़डक खोलने हेतु तैनात कर रखा है। यहां यह भी स्पश्ट किया जाता है कि

27/08/2016/1645/TCV/AG/6

आवश्यकता प़डने पर अन्य मशीनरियों जैसे कि जे0सी0बी0 इत्यादि भी इस कार्य हेतु उपलब्ध करवाई जाती है। यद्यपि विभाग स़डक पर यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए सदा तत्पर रहता है तथापि रात के समय पहा़ड के उपर से पत्थर गिरने के कारण कई बार स़डक खोलना संभव नहीं होता।

जमीन के धंसने को रोकने हेतु खड्ड से RCC Retaining wall का प्रस्ताव विभागीय अधिकारियों द्वारा बनाया गया है जिस पर 80 लाख रूपये की लागत आनी प्रस्तावित है। परंतु यह समस्या का स्थाई समाधान नहीं है। इस समस्या का स्थाई समाधान हेतु घटासनी पुल से चुवा़डी पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग हेतु सर्वेक्षण किया गया है। इस योजना को सांसद आदर्ष ग्राम योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण में चूंकि वन भूमि आ रही है। अत: वन संरक्षण अधिनियम

स्वीकृति हेतु केस भेजा रहा है। स्वीकृति मिलने के उपरांत ही इस प्रस्तावित सडक को बनाया जाना सम्भब है।

---

(3) **श्री कुलदीप कुमारः** अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान ऊना जिला के चिन्तपुर्णी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अर्न्तगत राजकीय उच्च पाठशाला, घगोह में अध्यापकों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं जिस कारण बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में रिक्त पदों को तुरन्त भरा जाये ताकि जो छात्र/छात्राएं हैं उनकी शिक्षा पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

27/08/2016/1645/TCV/AG/7

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त मामले के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से हैः-

सरकार का सदैव भरसक प्रयत्न रहता है कि पाठशालाओं में अध्यापकों के रिक्त पदों को तुरन्त भर दिया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो परन्तु अध्यापकों के पदों की रिक्तियों का होना एक निरन्तर प्रक्रिया है जोकि सेवानिवृति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण इत्यादि कारणों से होती हैं।

राजकीय उच्च पाठशाला, घगोह, जिला ऊना मे कक्षा छः से दसवीं तक 69 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पाठशाला में शिक्षकों के स्वीकृत, भरे हुए तथा खाली पदों का विवरण निम्न प्रकार से हैः-

श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	खाली पद
मुख्याध्यापक	01	0	01
टीजीटी (कला)	02	0	02
टीजीटी (नॉन-मैडिकल)	01	01	0
टीजीटी (मैडिकल)	01	01	0
भाषा अध्यापक	01	0	01
शास्त्री	01	0	01

पीईटी	01	0	01
कला अध्यापक	01	01	0

उक्त पाठशाला में मुख्याध्यापक का पद जून, 2016 से इसलिए रिक्त है क्योंकि वहां पर कार्यरत मुख्याध्यापक की पदोन्नति प्रधानाचार्य के पद पर हुई है। मुख्याध्यापकों के पदों को पदोन्नति द्वारा भरने की प्रक्रिया जारी है तथा ज्यों ही प्रक्रिया पूर्ण होती है राजकीय उच्च पाठशाला घगोह में मुख्याध्यापक के रिक्त पद को प्राथमिकता के आधार पर भर दिया जाएगा।

विभाग द्वारा टी.जी.टी. (कला, मैडिकल तथा नॉन मैडिकल) के 1643 पदों को सत्रवार एवं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा एवं जे.बी.टी. तथा सी0 एंड0 वी0 श्रेणी से पदोन्नति द्वारा भरने बारें विभागीय प्रक्रिया

27/08/2016/1645/TCV/AG/8

आरम्भ कर दी गई है और निकट भविष्य में राजकीय उच्च पाठशाला घगोह में टी0जी0टी0 के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर दिया जाएगा।

सरकार ने 16 मई, 2016 को सी0 एंड0 वी0 वर्ग के 1500 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने की अनुमति प्रदान कर दी है तथा इन्हें भी भरने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है और निकट भविष्य में राजकीय उच्च पाठशाला, घगोह में भाषा अध्यापक, शास्त्री एवं पी0ई0टी0 के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर दिया जायेगा।

(4) **श्री महेन्द्र सिंहः** अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान वर्श 1993 में रोजगार कार्यालय के माध्यम से सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कुछ व्यक्तियों द्वारा आई0टी0आई0 से ईलैक्ट्रिष्यन का डिप्लोमा करने के उपरान्त पम्प आप्रेटर के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्हे लगभग 14 वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने के उपरान्त माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार नियमित किया गया था। अब सरकार ने दैनिक भोगियों को 8 वर्ष के उपरान्त नियमित करने का निर्णय लिया है । अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन्हें भी 8 वर्ष के सेवाकाल के उपरान्त नियमित कर इनके बकाया 6 वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान करके तथा इनके लिये अलग से भर्ती एवं प्रोन्निति नियमों का सृजन करे तथा इन्हे भी पंजाब की तर्ज पर वेतनमान और प्रोन्निति का लाभ प्रदान करें ।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायलय द्वारा गौरी दत्त बनाम सरकार के फैसले में यह स्पश्ट किया गया है कि जो कर्मचारी 31.12.1993 से पहले दैनिक भोगी के रूप में नियुक्त किए गए हैं और कैलेंडर वर्श में 240 दिन पूर्ण करते हों, उन पर मूल राज उपाध्याय व गौरी दत्त के मामलों में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय तथा हिमाचल प्रदेष उच्च न्यायालय का फैसला लागू होगा जिसके अर्न्तगत दैनिक भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतू 10 वर्श की अवधि निर्धारित की गई थी। जिन दैनिक भोगी कर्मचारियों को दिनांक 31.12.1993 के बाद नियुक्त किया गया है उन्हें सरकार द्वारा **"दैनिक भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण की उदारवादी नीति"** द्वारा समय-समय पर नियमित किया जा रहा है। नई नीति के अनुसार, दैनिक भोगी कर्मचारियों को 7 वर्श का सेवाकाल पूर्ण करने पर नियमित किया जा रहा है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत वर्श 1993 में सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर रोजगार कार्यालय के माध्यम से कुछ आई0टी0आई0 से इलैक्ट्रिष्यिन डिप्लोमा धारक व्यक्तियों को दैनिक वेतन भोगी पम्प आप्रेटर के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्हें सरकार की

27/08/2016/1645/TCV/AG/9

नियमितीकरण नीति के तहत सन 2006 में नियमित किया गया था। लेकिन हिमाचल प्रदेष उच्च न्यायालय द्वारा गौरी दत्त बनाम सरकार व अन्य केसों में दिए गए निर्णय के उपरांत इन कर्मचारियों को 10 वर्श पूर्ण करने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के मूलराज उपाध्याय बनाम सरकार के निर्णय अनुसार सन 2003 से नियमित किया जा चुका है और सारे वित्तीय लाभ प्रदान किए जा चुके हैं।

जहां तक इन पम्प आप्रेटरों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के बनाने का प्रष्न है, विभाग ध्दारा इन पम्प आप्रेटरों के भर्ती एवं पदोन्नति नियम पहले से ही दिनांक 30-5-2006 को अधिसूचित किए जा चुके हैं। सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत पम्प आप्रेटरों को वेतनमान पंजाब की तर्ज पर दिया जा रहा है लेकिन वेतनमान में कुछ विसंगति के कारण मामला न्यायलय में विचाराधीन है।

.....

(5) **श्री कुलदीप कुमार:** अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान ऊना जिला के चिन्तपूर्णी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रांम पंचायत सपौरी व धर्मसाल महन्ता में पीने के पानी की अत्यन्त कमी की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां तीसरे दिन पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में पीने के पानी की स्पलाई को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक पग उठाए जाए

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री :अध्यक्ष महोदय, ग्रांम पंचायत धर्मशाला महंता को पेयजल योजना धर्मशाला महंता से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस पेयजल योजना की प्रारम्भिक प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति वर्श 1982 में 9.99 लाख रूपये की प्रदान की गई तथा वर्श 1989 में यह पेयजल योजना चालू कर दी गई थी। इसके पुनर्निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति वर्श 1998 में 28.19 लाख रूपये की हुई थी जिसके अन्तर्गत एक भण्डारण टैंक,

27/08/2016/1645/TCV/AG/10

राईजिंग मेंन, वितरण प्रणाली व पम्पिंग मशीनरी का आंशिक सुधार किया गया था। यह पेयजल योजना दो पंचायतों धर्मशाला मंहता व धर्मशाला खास को पानी उपलब्ध करवाती है। टैंक के नजदीक के गॉव में पानी की सप्लाई प्रतिदिन की जाती हेै लेकिन अंतिम छोर के गॉवों को तीसरे दिन पानी की सप्लाई हो पाती है जिसका मुख्य कारण स्त्रोत में पानी का कम होना व इन गॉवों का मुख्य भण्डारण टैंक से तीन चार किलोमीटर दूर होना व बीच में निजी नलों का दिन प्रतिदिन ब्रढना है। इन गॉवों में पानी की समस्या के हल हेतू दो हैण्डपम्प धर्मशाला मंहता व दो हैण्डपम्प धर्मशाला खास में लगाये गये है। स्त्रोत में पानी की कमी दूर करने के लिए 6/2016 में 7 इंच का एक Mini

tubewell लगाया गया है। धर्मशाला खास के लिए अलग से 40,000 लीटर का स्टोरेज टैंक बनाने का टैण्डर हो चुका है ओर 40mm व्यास की 1500 मीटर पाईप लाईन बिछाई गई है। इस योजना के सुधारीकरण के लिए नई पम्पिंग मशीनरी, राईजिंग मेन, भण्डारण टैक व वितरण प्रणाली के सुधार की आवश्यकता है जिसके लिए विधायक प्राथमिकता वर्श 2013-14 के अन्तर्गत 449.80 लाख रूपये अनुमानित लागत की DPR तैयार करके दिनॉक 04-02-2015 को नाबार्ड के कार्यालय को स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। योजना की DPR की स्वीकृति व धन का उचित प्रावधान तथा योजना का कार्य होने उपरान्त पेयजल समस्या का स्थाई समाधान हो जाएगा।

ग्राम पंचायत सपौरी:-

ग्राम पंचायत सपौरी को वर्तमान में उठाऊ पेयजल योजना बैहली से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना का निर्माण वर्श 1981-82 में किया गया था। इस उठाऊ पेयजल का स्त्रोत ठण्डा पानी खड्ड है और Slow Sand Filter से Treat करके पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत लगभग सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रतिदिन दी जाती है लेकिन ग्राम

पंचायत सपौरी के अंतिम छोर के तीन चार गांव में पेयजल की आपूर्ति तीसरे दिन की जाती है। अंतिम छोर के गांवों को अलग-अलग पाईप लाईन डाली गई है क्योंकि सभी पाइप लाईनों में पानी छोडने से सभी नलों में पानी नहीं जाता है जिसका कारण निजि नलों का दिन प्रतिदिन ब्रढना है। इसके अतिरिक्त सपौरी पंचायत में पेयजल समस्या के समाधान हेतु 25000 लीटर क्षमता का एक नया भण्डारण टैंक बनाया गया है। गांव स्थरु के लिए 32 mm व्यास की 810 मीटर पाईप लाईन बिछाई गई। इस योजना की बेहली गुज्जर बस्ती व ब्राहम्णा में 2 हैण्डपम्पों में मोटर लगाई गई और

हाल ही में एक और हैण्डपम्प लगाया गया है। इन सारे उपायो से पेयजल आपूर्ति में सुधार हुआ है। इस समस्या को माननीय विधायक चिन्तपूर्णी विधान सभा क्षेत्र के ध्यान में भी लाया गया था तथा उन्होंने वर्श 2015-16 की विधायक प्राथमिकता में इस योजना को षामिल किया। इस कार्य के लिए 417.47 लाख रुपये की DPR तैयार कर ली गई है जिसकी तकनीकी छानबीन की जा रही है। पेयजल योजना की DPR की स्वीकृति व धन का उचित प्रावधान तथा योजना का कार्य होने उपरान्त पेयजल समस्या का स्थाई समाधान सम्भव है।

(6) **श्री विक्रम सिंह जरयाल:** माननीय अध्यक्ष महोदय, " मैं सरकार का ध्यान भटियात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समोट की ओर दिलाना चाहता हूं। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सुविधा हेतु 13 पंचायतों के लोग लाभान्वित होते हैं परन्तु 50 वर्श पूर्व इसे खोला गया था परन्तु आज तक भी इसका दर्जा नहीं ब़ढाया गया। अत: सरकार से अनुरोध है कि जनहित में शीघ्रातिशीघ्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाए ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। "

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान मे भटियात निर्वाचन क्षेत्र के अर्न्तगत 1 सिविल अस्पताल; चुवा़डी, 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द; समोट, सिहुंता, ककीरा, चलारी, हुनेरा, मोरथू, टिक्करी, मन्हुटा एवं मोटला विद्यमान है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समोट का दर्जा
27/08/2016/1645/TCV/AG/12

ब़ढाने का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ था। इस प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थान की कुल जनसंख्या 54800 है तथा सरकार द्वारा निर्धारित जनसंख्या का मानदण्ड को यह प्रस्तावित स्वास्थ्य संस्थान पूरा नहीं करता है ।

प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थान खोलने के निर्धारित मापदण्ड निम्न प्रकार है:-

S.No.		General	Tribal
1.	Health Sub Centre	5,000	3,000
2.	Primary Health Centre	30,000	20,000
3.	Community Health Centre	1,20,000	80,000

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समोट से CHC षाहपुर-40 KMs, CH चुवा़डी-30 KMs तथा CH नुरपुर-50 KMs की दूरी पर स्थित है जिनके माध्यम से क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है ।

प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है । गत तीन वर्शों में दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2016 तक प्रदेष में नए खोले गए / स्तरोन्नत किए गए उप-स्वास्थ्य केन्द्रो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो व नागरिक अस्पतालों का ब्यौरा निम्न हैं :-

HSCs opened : 15
HSC upgraded to PHC : 08
PHCs opened : 59
PHCs upgraded to CHC : 21
CHCs upgraded to CH : 19
CH opened : 01

27/08/2016/1645/TCV/AG/13

(7) **श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय,** ८ मैं सरकार का धयान पच्छाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त प़डे पदों की ओर आकर्शित करना चाहता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र काफी पिछ़डा एवं दूर-दराज का क्षेत्र है। यहां पर चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को सोलन, षिमला या नाहन जाना प़डता है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजग़ढ एवं सराहां नागरिक अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इन रिक्त पदों को जनहित में शीघ्र भरें ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना प़डे। छ

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त प्रस्ताव के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वर्तमान मे पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत 2 नागरिक अस्पताल राजगढ़ एवं सराहां 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (डिम्बर, घिन्नी गलानाघाट,मानग़ढ,फागू,कोटी पधोग,धामला,

चिलोग, नैना टिक्कर, बागथन एवं नारग) विद्यमान है। इन स्वास्थय संस्थानों में चिकित्सकों के केवल 13 पद रिक्त पडे है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	स्वास्थ्य संस्थान का नाम	चिकित्सकों के पदों की संख्या		
		स्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	नागरिक अस्पताल, राजग़ढ	8	2	6
2	नागरिक अस्पताल, सराहां	5	2	3
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिम्बर	1	1 AMO	0
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घिन्नी गलानाघाट	1	0	1
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द ,मानग़ढ,र	1	1	0
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,फागू	1	1	0
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटी पधोग	1	1	0
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ,धामला	1	0	1
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिलोग,	1	0	1
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नैना टिक्कर	0	1	1 surplus
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागथन	1	0	1
12	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नारग	2	1	1
	कुल	**23**	10	13(14-1 surplus)

27/08/2016/1645/TCV/AG/14

विभाग में चिकित्सकों की कमी है तथा विभाग चिकित्सकों के पदों को भरने के लिए प्रयासरत है। हर मंगलवार को चिकित्सकों के पदों को अनुबन्ध के आधार पर भरने हेंतु वाक-इन-इन्ट्रब्यू स्वास्थ्य निदेषालय में लिए जा रहे हैं ताकि चिकित्सकों की रिक्तियों को भरा जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा दिनांक 6 twu, ,2016 को जारी की गई अधिसूचना के तहत प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्र, बागथन व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिलोग में डॉक्टर की नियुक्ति की थी , जिनकी कार्य ग्रहण सूचना अभी अपेक्षित है ।

(8) **श्री सुरेश कुमार :** जिला सिरमौर में बढ़ रहे बस हादसों को रोकने के लिए गत सदन में माननीय परिवहन मन्त्री द्वारा जिला को 30 छोटी बसें देने का आष्वासन दिया था । उसके ऊपर अब तक क्या कार्यवाही अमल में लाई गई है । ब्यौरा दें ।

मैं सरकार का ध्यान जिला सिरमौर में हो रही बस दुर्घटनाओं की ओर आकर्शित करना चाहता हूं । जिला सिरमौर में जो बसों की दुर्घटनाओं वह over-loading के कारण हो रही हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि 30 मिनी बसें नाहन एवं सोलन मण्डल हेतु उपलब्ध करवायें ताकि लोगों को अच्छी बस सेवा मिल सके ।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, *माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मामले पर यह सूचित किया जाता है कि जिला सिरमौर के मार्गों पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के नाहन व सोलन डिपो की बसों का प्रचलन किया जाता है ।*

गत तीन वर्षों में नाहन को 44 व सोलन डिपो को 44 नई बसों का आबंटन किया गया है ।

हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शुन्य बुक वैल्यु बसों को बदलने व 37 सीटर बसों की कमी को पूरा करने के लिए 300 बसें खरीदने के लिए निविदाएं दिनांक 27.02.2016 व दिनांक 22.03.2016 को आमंत्रित की जिसके फलस्वरुप मैसर्ज टाटा मोटर्ज व मैसर्ज अषोक लैलेंड ने अपनी निविदाएं दिनांक 30.03.2016 को प्रेषित कीं । इन निविदाओं की वित्तीय बोली दिनांक 05.04.2016 को खोली गई तथा व्हीकल परचेज़ कमेटी ने दिनांक 07.04.2016 को 185

नं0 (34+2 सीटर) व 115 नं0 (44+2 सीटर) बसों को खरीदने की स्वीकृति प्रदान की । उपरोक्त मामले को हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेषक मंडल की 134वीं बैठक में दिनांक 13.05.2016 को स्वीकृति के उपरान्त बसों को खरीदने के आदेष मैसर्ज टाटा मोटर्ज को दिनांक

24.05.2016 को दे दिए हैं तथा बसों के प्राप्त होने के उपरान्त नाहन व सोलन डिपो की 'शुन्य बुक वैल्यु की बसों को चरणवध्द तरीके से बदल दिया जाएगा ।

(9) **Sh. Krishan Lal Thakur:** Hon,ble Speaker sir, The Labour Welfare Board provides financial assistance in cash and kind to the workers registered for the purpose. It is observed that the transparency/merit is normally not adhered while the disbursement is made. Mostly the beneficiaries are not selected as per the merit. The mandays are verified by the Gram Panchayat Pradhans on the basis of the certificates given by the contractors. There are chances of fictitious certificate being given by the contactors. In view, of above it is requested that to stop misuse of the funds of the board a foolproof method be evolved to check the possible embezzlement?

Hon'bel Speaker Sir:

1. The HP Building and Other Construction Workers Welfare Board provides benefits in cash and kind as provided under various welfare and social security schemes provided in HP Building and Other Construction (RE&CS)Rules, 2008 as amended Rule vide notification dated 17.11.2011,09.05.2013 and 31.12.2014 to the Building and Other Construction Workers registered with the Board as beneficiaries.

2. The registration of Building and Other Construction Workers with the Board is done through its “Authorized Officers” i.e. all the Labour Officers and Labour Inspector Hamirpur as prescribed in Rule, 266 of the ibid Rules as amended from time to time.

3. These provisions provides as follows:-

   i. Every Building Worker who has completed 18 years of age but has not completed 60 years of age and who is not a member in any other welfare fund established under any law for the time being in force and who has completed 90 days of service as a Building Worker in the year immediately preceding shall be eligible for the membership in the fund.

27/08/2016/1645/TCV/AG/16

(ii) As per direction of Government of India issued under section 60 to register the MNREGA Workers who have completed 50 days during the preceding 12 month are also eligible for registration as beneficiary with the Board.

(iii) Every person intending to become a member of the fund shall furnish one of the following documents to prove his age along with the application or membership, namely:-

i. School Leaving certificate; or
ii. Certificates from the concerned registrar of Births and deaths; or
iii. Driving license or
iv. Electoral Voter card; or
v. Unique identification card; or
vi. Copy of parivar register; or
vii. MNREGA Job card; or
viii. Certificate of age proof from employer; or
ix. Copy of I. Card attested by the Labour Officer may be considered as age proof.
x. In the absence of documents under (i) to (ix) the certificates issued by the Medical Officer in Government Service.

(iv) The application for the registration shall be accompanied with the certificate or wage slip from the employer or contractor or copy of muster roll or attendance register to the effect that

the applicant is a construction worker. If such certificate is not available, a certificate issued either by the registered construction worker union or executive officer of the concerned Local Urban Bodies or Secretary of Gram Panchayat to the effect that applicant has worked for at least 90 days in the preceding 12 months may be considered. The certificate issued by agency other than the employer shall contain complete details of employer where the applicant has worked in the relevant period and such certificates shall be got verified by the Authorized Officer from the Concerned Employer. Such certificate of working for at least 50 days in preceding 12 months in respect of MNREGA Workers is to be issued by concerned Panchayat Secretary.

(v) Every Building Worker eligible to become a beneficiary to the fund shall submit an application in form XXVII to the Secretary or to an officer authorised by him in this behalf. Every such application shall accompanied by the documents mentioned in this rule and a registration fee of Rs.1/-(One only).

(vi) Where the Secretary of the Board or an officer authorized by him, is satisfied that the applicant fulfils the conditions, such building workers shall be registered as a member.

(vii) Any person may within 30days "file an appeal to the Board against the decision taken under sub- rule (5) under decision of the board thereon shall be final.

(viii) The building workers shall file a nomination in form xxviii. The nomination shall stand revised in the Name of the spouse

on his acquiring a family or on happening of any legal change of the status of the family.

(ix) The Secretary of the Board or other officer authorized by him in this behalf shall issue to every beneficiary identity card with a photo of the beneficiary affixed in form in xxxii and maintain register of identity cards so issued in the form xxxiii."

4. All the documents are verified by the Authorized Officer of the Board. These claims are further scrutinized by the officials, Executive Officer and Assistant Controller (Finance & Accounts) before finally sanctioning by the Secretary – cum-Chief Executive Officer of the Board.

5. All the payments regarding benefits given in cash are disbursed through cheques and the benefits in kind are given after proper identification of the beneficiary through and by the Authorized Officer of the Board. No cash transaction is made by the Board. Therefore, there is a foolproof method /mechanism to check fictitious certificate/documents to cheque the possible embezzlement.

(10) **श्री महेन्द्र सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान पंचायती राज विभाग में कार्यरत चौकीदारों एवं ग्रामीण रोजगार सेवकों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र नियमित करने बारे दिलाना चाहता हूं। _

27/08/2016/1645/TCV/AG/18

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से है:-

ग्राम रोजगार सेवक

भूमिका:- संसद द्वारा सितम्बर, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया । इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक ऐसी गृहस्थी की जिसकी व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत म़जदूरी रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

हिमाचल प्रदेश में अधिनियम को लागू करना:- यह अधिनियम 02 फरवरी, 2006 से उन जिलों में लागू माना गया जिन्हें भारत सरकार ने नामित किया था। हिमाचल प्रदेश में जिला चम्बा और सिरमौर को इस योजना के अर्न्तगत प्रथम चरण में लाया गया था। 1 अप्रैल, 2007, से द्वितीय चरण में जिला कांग़डा व मण्डी को भी इस योजना के अर्न्तगत लाया गया है। 01.04.2008 जिस हेतू अधिसूचना से शेष 08 जिलों को भी इस योजना के अर्न्तगत लाया गया।

ग्राम रोजगार सेवकों की तैनाती हेतू योजना :- इस योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतू सरकार ने मन्त्री परिषद के अनुमोदन से प्रदेष में 1081 ग्राम रोजगार सेवकों को, तीन ग्राम पंचायतों के समूह पर एक ग्राम रोजगार सेवक 1.5 प्रतिषत कमीषन आधार पर तैनात करने की योजना बनाई गई, दिनांक 04/04/2008 को जारी की गई। सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति द्वारा विकास खण्ड की तीन समीपवर्ती ग्राम पंचायतों का सम्बन्धित प्रधानों के परामर्षानुसार एक समूह का गठन किया जाना था ताकि ग्राम पंचायतों के समूह पर कार्यरत ग्राम रोजगार सेवक को पर्याप्त

कार्य तथा सेवा शुल्क प्राप्त हो सके। वर्तमान में प्रदेष में 996 ग्राम रोजगार सेवक तैनात / कार्यरत है जिनका जिलावार विवरण निम्न प्रकार से है:-

27/08/2016/1645/TCV/AG/19

क्रम सं0	**जिला का नाम**	**तैनात ग्राम रोजगार सेवकों की संख्या**
1	बिलासपुर	44
2	चम्बा	120
3	हमीरपुर	64
4	कांग़ाडा	235
5	कुल्लू	60
6	किन्नौर	21
7	लाहौल-स्पिति	12
8	मण्डी	148
9	शिमला	103
10	सिरमौर	66
11	सोलन	56
12	उना	67

	कुल	996

पारिश्रमिकः- पूर्व में ग्राम रोजगार सेवकों को वित्त वर्ष के दौरान किये गये कार्यो का 1.5 प्रतिषत कमीषन दिया जा रहा था तथापि दिनांक 1.06.2015 से ग्राम रोजगार सेवकों को प्रतिमाह मु0 5000/- रू0 निर्धारित (fixed) पारिश्रमिक दिया गया ।

27/08/2016/1645/TCV/AG/20

वर्तमान स्थितिः- वर्तमान में विभाग द्वारा अधिसूचना सं0 आरडीडी.III- बी. (15)-4/2013 वॉल-II- दिनांक 08.07.2016 के द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों के लिए पॉलिसी बनाई जिसके अर्न्तगत ग्राम रोजगार सेवकों को मनरेगा के अर्न्तगत जिन्होने 31.03.2016 को 05 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिए हो, को मु0 242/- रू0 दैनिक वेतन आधार पर लाये गये है तथा 07 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के पश्चात इन ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित वेतनमान 5910&20200+1900 ग्रेड पे मनरेगा से वहन किया जाएगा ।

पंचायत चौकीदार

पंचायत चौकीदारों की नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 135 के अन्तर्गत की जाती है। इस प्रकार पंचायत चौकीदार सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के कर्मचारी है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत चौकीदारों की नियुक्ति, सेवा सम्बन्धी शर्तों, अनुषासनात्मक कार्रवाई इत्यादि के बारे में कोई भी नियम तथा दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं अपितु इन कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों जैसेकि कार्य दिवसों तथा कार्य अवधि इत्यादि का निर्धारण ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर किया जाता है।

वर्तमान में प्रदेष में 3226 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक पंचायत में सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा एक पंचायत चौकीदार नियुक्त किया गया है। पंचायत चौकीदारों को सरकार तथा सम्बन्धित पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से मानदेय तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। पंचायत चौकीदारों के मानदेय में समय-2 पर सरकार द्वारा वृद्वि की जाती रही है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 1984 के दौरान इन चौकीदारों को मु0 100/- रूपये प्रतिमास पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था जोकि वर्ष

2016 में 2200/-(150 रूपये ग्राम पंचायत द्वारा तथा 2050 रूपये सरकार द्वारा) रूपये प्रतिमास किया गया है। इसके अतिरिक्त 1680 रूपये प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता भी प्रदान किया जा रहा है जिसमें 840/रूपये सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा तथा 840 रूपये सरकार द्वारा वहन किया जाता है। पंचायत चौकीदार वर्तमान में अपनी पंचायत में नियुक्त है जिसके दृष्टिगत उनको प्रदान किया जा रहा मानदेय पर्याप्त प्रतीत होता है क्योंकि न तो इन्हें अपने निवास के लिए अलग से मकान इत्यादि किराए पर लेने की आवष्यकता है और न ही पंचायत कार्यालय तक आने-जाने के लिए किसी प्रकार की किराया आदि को व्यय करने की आवष्यकता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत चौकीदारों से प्रतिदिन 4 से 5 घण्टे का कार्य लिया जा रहा है। शेष समय में वे अपनी आजीविका के अन्य कार्य कर सकते है। इसके अतिरिक्त पंचायत चौकीदार को पंचायत के समन इत्यादि की तामिल करने की एवज् में प्रति समन 3 रूपये प्रदान किए जा रहे है। गृह विभाग द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है कि पुलिस विभाग के समनों की तामिल भी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चौकीदारों के माध्यम से

27/08/2016/1645/TCV/AG/21

करवाई जाएगी जिसकी एवज् में सम्बन्धित चौकीदार को 10 रूपये समन फीस तथा 25 रूपये दैनिक भत्ता प्रदान किया जाएगा इसके इलावा उन्हें आने जाने का वास्तविक किराया भी दिया जाता है।

वर्तमान में पंचायत चौकीदारों को नियमित करने की कोई नीति नहीं है और यदि पंचायत चौकीदारों को नियमित करना हो तो चतुर्थ श्रेणी के वेतनमान 4900-10680 +1300 ग्रेड पे में 3226 चौकीदारों को नियमित करने पर प्रतिवर्ष मु0 55.00 करोड रूपये की धनराषि की आवष्यकता होगी तथा सरकार पर मु0 47.00 करोड रूपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा क्योंकि वर्तमान दरों पर सरकार द्वारा इन कर्मचारियों की पारिश्रमिक की अदायगी पर 8.00 करोड रूपये प्रतिवर्ष व्यय किए जा रहे है। इसके अतिरिक्त पंचायत चौकीदारों को नियमित करने की स्थिति में ग्राम पंचायतों में नियुक्त सिलाई अध्यापिकाएं भी नियमितिकरण की मांग करेगी जिससे सरकार पर पंचायत चौकीदारों के नियमितिकरण पर प़डने वाले वित्तीय बोझ की तुलना में लगभग दुगुना वित्तीय बोझ प़डेगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत पंचायत चौकीदारों को नियमित करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है परन्तु जिस प्रकार पूर्व में इन कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक में समय-2 पर ब़ढौतरी की गई है उसी आधार पर भविष्य में भी सरकार इनके मासिक पारिश्रमिक की ब़ढौतरी पर विचार करती रहेगी।

श्रीमती नीना द्वारा जारी...

27/08/2016/1650/NS/AG/1

अध्यक्षः अब नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव होगा। श्री महिन्द्र सिंह जी नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव करेंगे।

श्री महिन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, यह चर्चा जो आज इस सदन में लगी हुई है और उद्योग मंत्री जी ने जवाब देना है। इन्होंने कहा कि जो लिखित जवाब है, वह हम आपको दे देंगे। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि लिखित जवाब मुझे पहुंचा दिया जाए। आपका बहुत धन्यवाद।

27/08/2016/1650/NS/AG/2

अध्यक्षः श्री जय राम ठाकुर जी आप क्या बोलना चाहते हैं।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में पिछले कल रात को एक बीस वर्षीय लड़की की तेज़धार हथियार से हत्या कर दी गई है। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भाटकीधार है। आज दोपहर में उसकी लाश मिली और पुलिस वहां पर गई है। मैं मानता हूं कि बहुत गम्भीर मसला है क्योंकि यह क्रम कई जगहों पर घटित होता जा रहा है। मानसून सत्र चला है और उस विधान सभा का प्रतिनिधि होने के नाते यह मेरा दायित्व बनता है और मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सारे मामले की गम्भीरता को देखते हुए छानबीन करवाएं। उस लड़की का नाम कृष्णा था और उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। उसके पिता का नाम स्व. श्री अमृत लाल है और उनकी मृत्यु हो गई है, ग्राम पंचायत भाटकीधार और गांव शेघला है। वह लड़की अपने दादा के पास रहती थी। यह एक बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इस सारे मामले की जांच के आदेश दें ताकि जल्दी-से-जल्दी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। इसी प्रकार शिलाई विधान सभा क्षेत्र का मामला भी सामने आया है। वहां पर भी दो नौज़वान (एक लड़का और

एक लड़की) की मृत्यु हुई है। उनकी भी लाशें मिली हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि विशेषतौर पर ऐसे मामलों में वे जांच के आदेश दें।

मुख्य मंत्रीः आपने दो वारदातों के बारे में ज़िक्र किया, इसके बारे में मुझे लिख कर भेजिए। सरकार उसके बारे में छानबीन करेगी और दोषियों को उचित दंड दिया जाएगा।

27/08/2016/1650/NS/AG/3

अध्यक्षः अब श्री इन्द्र सिंह जी, "दिनांक 24 अगस्त, 2016 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3364 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।"

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, नियम-61 के अन्तर्गत जो चर्चा मैंने मांगी थी, उस पर मैं अपने शक माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। मेरा मूल प्रश्न था कि सरकाघाट पी.डब्लयू.डी डिवीज़न में पिछले तीन सालों में कितने काम आवंटित हुए, किस-किस ठेकेदार को दिए गए हैं और उसकी पेमैंट किस-किस ठेकेदार को दी गई?

Seeing the mood of the House, I will not take much of time. Sir, the commitments which the Hon'ble Chief Minister has made in this House,

Continued by AS in English . . .

27/08/2016/1655/RKS/AS/1

श्री इन्द्र सिंह ...जारी

I just want to remind him of those commitments. मेरे 3-4 प्वाईंटस हैं जो आपने पहले भी कमीटमैंट की थी कि किसी भी ठेकदार को विभाग एक समय में दो से ज्यादा काम नहीं देगा। जब वह ठेकदार ये दोनों काम पूरा कर देगा तभी उसे अगला काम दिया जाएगा। लेकिन इस आदेश का पूरी तरह उल्लंघन हो रहा है और मेर पास इसके

दस्तावेज़ भी पड़े हुए हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष को ही वर्ष 2015-16 में पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा 91 में से 41 कार्य दिए गए। Who is this man? आज हाउस का अंतिम दिन है इसलिए मैं हाउस में कड़वाहट नहीं लाना चाहता। वह व्यक्ति किसी पार्टी विशेष का पदाधिकारी है और XEN के कार्यालय में जाकर अक्सर रोब झाड़ता है। He has taken 41 works out of 91. मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस सदन में आग्रह करना चाहूंगा कि इस बात की इन्क्वायरी की जाए कि उस व्यक्ति को किस ढंग से इतने ज्यादा काम दिए गए। माननीय मुख्य मंत्री जी आपने इस माननीय सदन में यह भी कमीटमैंट की थी कोई भी सबलैटिंग नहीं की जाएगी। आज धड़ाधड़ सबलैटिंग हो रही है। जिस व्यक्ति ने ये 41 काम लिए हैं he cannot do these 41 works in a year which he has done और इस व्यक्ति ने बहुत से काम सबलैटिंग के द्वारा करवाये हैं जोकि आपके आदेश का खुला उल्लंघन है। एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा कि टेण्डर भी स्पलिट किये जाते हैं ताकि काम अपनी मर्जी से अपने चहेतों को दिये जायें। Which is also not in order and which is against your commitment in this House.

Chief Minister: I don't know, what you are talking about. I don't know what is the particular case. आप इसके बारे में मुझको लिखकर भेजिए, इसकी इन्क्वायरी की जाएगी और जो इसका नतीज़ा निकलेगा उससे आपको अवगत करवा दिया जाएगा। ऐसा मुझे कुछ मालूम नहीं है कि आप किस व्यक्ति के बारे में यह बात कर रहे हैं।

27/08/2016/1655/RKS/AS/2

श्री इन्द्र सिंहः सर, यह बात नियम-61 के तहत हो रही है। मेर प्रश्न का उत्तर मुझे सचिवालय से मिला है। This reply reveals everything what I am talking about. I request the Hon'ble Chief Minister to kindly look into this. यह बिल्कुल घोटालों का पुलिन्दा है। मै इस माननीय सदन में ज्यादा कड़वाहट पैदा नहीं करना चाहता

because this is the last moment of this Monsoon Session. अगर मै क्वालिटी ऑफ वर्क की बात करूं तो मै आपको कितनी सड़के गिना सकता हूं जिनकी 10 दिन पहले टारिंग और ऐनुअल सरफेसिंग हुई है। आप देखेंगे कि 10 दिन के बाद ही उन सड़कों पर घास उग आई है और टारिंग उखड़ गई है। You don't speak because you are sitting that side. I am telling you the truth. This is the wastage of money. Hon'ble Chief Minister, Sir, you have given lots of money but that money is going into the drain और अगर हम XEN को कहते हैं कि इस काम को करो तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। आप ही देखिए कि सड़कों की क्या हालत है और ऐसी-ऐसी जगह डंगे दिए जा रहे हैं where they are not required. केवल लोगों के मकानों को बचाने के लिए 5-5 मीटर ऊंचे डंगे दिए जा रहे हैं । I have sufficient proof of that, if you want I will give you the detail in writing. मेरी प्रार्थना यह है कि जो काम दिए जा रहे हैं उनकी असैस्मैंट होनी चाहिए और इन कामों की थॉरोली जांच होनी चाहिए। This is public money. This is not coming from anybody's pocket और पब्लिक के पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है I am saying , it is really pity हमें दुख होता है क्योंकि 25 लाख रुपये एक ही आदमी को दे दिया जाता है- मात्र 2 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए और फिर भी उस व्यक्ति के द्वारा कार्य नहीं किया गया। Who made the payment and who check the quality of that road. इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप काम जरूर करवाइए लेकिन वह काम पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। जब जनता का पैसा लगना है तो वास्तव में वह काम भी होना चाहिए। Sir, I hope you are understanding.

Cont. by AS in english

27.08.2016/1700/SLS-AS-1

Chief Minister: I am hearing about it for the first time in this House. You have not given any written letter or complaint or notice about this. I fully agree with you that public money should not be wasted; If anybody is wasting it, he is guilty of serious lapse. इसलिए अगर आप ये सारी चीजें, जो वाक्यात हैं, शिकायतें हैं, उनके बारे में मुझे लिखकर भेजेंगे, I assure you, I will enquire into it and also let you know about the result of that inquiry.

Shri Inder Singh: Hon'ble Chief Minister, Sir, I am thankful to you for this assurance. लेकिन यह दस्तावेज मैंने तैयार नहीं किया है।...(व्यवधान)... This document is not produced by me. सर, मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान)... ठेकेदार कांग्रेस पार्टी का लोकल प्रेजिडैंट है, मंडल प्रेजिडैंट है जिसको आऊट ऑफ 91, कुल 41 वर्कस मिले हैं। ...(व्यवधान)... वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का है।

अध्यक्ष : श्री इन्द्र सिंह जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि I will enquire into the matter आप मुझे यह सारे दस्तावेज दे दीजिए। यह बात अभी इनके ध्यान में आ रही है। Let him study then he reply to you.

Shri Inder Singh: Hon'ble Speaker, Sir, this document is given to me by the Department.

अध्यक्ष : मौखिक रूप से पता नहीं चलता कि आपके हाथ में कौन से कागज़ात हैं।

श्री इन्द्र सिंह : सर, इनके पास यह डाकुमैंट्स हैं। आप इसकी इंक्वायरी और स्क्रूटनी करवाइए और उन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करिए।

अध्यक्ष : आप बताइए कि ठेकेदार कौन हैं?

प्रोफ़ैसर प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, पता नहीं किस बात का कंफ्यूजन हो रहा है। सदस्य प्रश्न पूछता है और सरकार उसका उत्तर देती है। उसमें अगर सदस्य को कोई विसंगति लगती है तो वह नियम-61 के अंतर्गत प्रश्न उठाते हैं। कर्नल साहब ने प्रश्न किया

27.08.2016/1700/SLS-AS-2

था और माननीय मुख्य मंत्री ने लोक निर्माण मंत्री के तौर पर उसका उत्तर दिया।...(व्यवधान)... He had asked a question and you had replied that. He is not satisfied with the reply because there is some discrepancy in it. That's why he wants to get an explanation. The information is already with your Department. You should find it out and let him know. Why should he write again? He had asked a question and you had replied.

Chief Minister : Let his give reference to that letter.

Prof. Prem Kumar Dhumal: The reference is already given and that is Question No. 3364. The answer is also with you.

मुख्य मंत्री : इसमें लिखा है कि सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। यह बहुत बड़ी सूचना है।...(व्यवधान)... **इस मामले की जांच करवा देंगे।** इसका उत्तर बहुत विस्तृत है जो इनको भेज दिया गया है। If he is not satisfied ये बताएं कि किस बात से ये संतुष्ट नहीं है ताकि उस पहलू का देखा जाए।

अध्यक्ष : इस माननीय सभा की बैठक का सामान्य समय समाप्त हो गया है, इसलिए इसे आधे घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से एक गुज़ारिश है कि जो यह उत्तर आया है, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष प्रोफ़ैसर प्रेम कुमार धूमल जी ने कहा, यह उत्तर मुझे आपसे मिला है। I am not happy with this reply. इसमें बहुत-सी विसंगतियां हैं, मुझे इसमें बहुत-सी हेराफेरी नज़र आ रही है। जो पब्लिक मनी इसमें इंवाल्व है that money

has gone down in the drain मैं चाहता हूं कि विभाग इसकी इंक्वायरी करे और जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने लूट की है, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। जो ऑफिशियल्ज हैं, जिनके कारण यह लूट हुई है, those who are party in that उनको भी सजा दी जाए, as per the law. That is my request.

हिंदी में जारी ...श्री गर्ग जी

27/08/2016/1705/RG/DC/1

श्री इन्द्र सिंह-----क्रमागत

भविष्य में जो निर्देश मुख्य मंत्री महोदय ने लोक निर्माण मंत्री के तौर पर दिए हैं, उनको फौलो किया जाए।

अध्यक्ष : श्रीमती आशा कुमारी जी आप क्या कहना चाहती हैं?

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी कह रहे हैं, बात यह है कि एक छोटा सा क्लैरीफिकेशन हम सभी लोग चाहे रहे थे कि लोक निर्माण विभाग की इन्स्ट्रक्शन्ज हैं कि कोई भी ठेकेदार एक साल में दो काम से ज्यादा नहीं करेगा और उन इन्स्ट्रक्शन्ज का उल्लंघन इस उत्तर के माध्यम से हो रहा है, ऐसा लगता है। दूसरी बात एक और है कि कोई सबलेटिंग नहीं करेगा। यह जो उत्तर आया है इसके माध्यम से यह बात भी सामने आ रही है कि इसका भी उल्लंघन हो रहा है। क्या यह जो लोक निर्माण विभाग में इन्स्ट्रक्शन्ज के उल्लंघन हो रहे हैं, ये इनके डिवीजन की ही बात नहीं है बल्कि यह पूरे हिमाचल प्रदेश की बात है। अगर ये उल्लंघन हो रहे हैं, तो उस पर क्या आप कार्रवाई करेंगे, ऐसा हम सब आपसे जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग में जो उल्लंघन हो रहे हैं उनके बारे में ये जानना चाहते हैं।

27/08/2016/1705/RG/DC/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का वर्तमान सत्र आज समाप्त हो रहा है। इस सत्र के दौरान चर्चाएं हुई हैं, बिल पास हुए हैं और प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। खुशी की बात है कि इस सारे सत्र में सौहार्द रहा और विपक्ष एवं पक्ष ने मिलकर इस सत्र को कामयाब बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह सत्र बहुत छोटा था मगर इसमें काफी महत्वपूर्ण बिल पास किए गए, चर्चाएं हुईं और इसके प्रत्येक दिन में कोई भी ऐसा नहीं गया जहां कि सबने मिल-जुलकर जो सदन के सामने मसले थे, उनको बहुत अच्छी तरह से और अच्छे माहौल में निपटाया न हो। उन पर चर्चा हुई और उनको पास किया गया। यह सदन प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसके अंदर जब दोनों पक्ष के लोग बैठकर चर्चा करते हैं, अपनी राय देते हैं फिर संबंधित बिल या चर्चा फलीभूत होती है। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। विधान सभा के स्टाफ का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस सदन को चलाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है और सदन की गरिमा को बढ़ाया है।

27/08/2016/1705/RG/DC/3

अध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी कुछ बोलना चाहते हैं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का वर्षाकालीन सत्र समापन की ओर बढ़ रहा है। जैसा माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यद्यपि यह पांच सिटिग्ज़ का ही सत्र था। अनेकों महत्वपूर्ण मुद्दे माननीय सदस्यों ने दोनों पक्ष की तरफ से उठाए। उन पर चर्चा भी हुई और लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष का अपना पक्ष होता है और विपक्ष की अपनी राय होती है। कई क्षण ऐसे भी आए जिसमें लगा कि टकराव हो रहा है, लेकिन कई क्षणों में बहुत सहमति के आसार भी इस बार रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को भी कि हमारे दो माननीय सदस्यों श्री गुलाब सिंह ठाकुर एवं श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर जी ने गैर-सरकारी कार्य दिवस पर दो संकल्प यहां रखे थे, उन दोनों को सदन के

द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकार किया गया। जो लोकतंत्र की एक स्वस्थ्य परम्परा का प्रमाण है।

एम.एस. द्वारा जारी

27/08/2016/1710/MS/AS/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी-----

जब मतभेत होते हैं या विचार में भिन्नता होती है तो टकराव भी स्वाभाविक होता है लेकिन लोकतंत्र की यही खूबी है कि अगले ही क्षण वह सद्भाव में बदल जाता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले सत्र में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। अध्यक्ष जी आपने, उपाध्यक्ष महोदय ने और जो पैनल में माननीय सदस्य हैं, जब-जब इनको सभापति का कार्य करने का मौका मिला, तब-तब इन्होंने बहुत अच्छी तरह से चलाने का प्रयास किया। आपके सचिवालय ने, अधिकारियों ने और सभी माननीय सदस्यों ने और मीडिया(प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक) ने विधान सभा की कार्यवाही को बहुत ज्यादा प्रसारित और प्रचारित किया है और कई महत्वपूर्ण मुद्दे माननीय सदस्य मीडिया की जानकारी के आधार पर ही उठा सके हैं। मैं सबको अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं और सबको आने वाले सत्र तक की शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्षः इस सत्र की पांच बैठकें आयोजित हुईं। मैं मान्य सदन को सूचित करना चाहता हूं कि विधान सभा सचिवालय में ई-विधान के परिचालन के उपरान्त माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के कारण इस सत्र में प्रश्नों के उत्तरों को संबंधित विभाग से ऑनलाइन ही उपलब्ध करवाया गया है। हमने उत्तर की एक भी हार्ड कॉपी नहीं ली है। इन बैठकों के दौरान जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा एवं वाद-विवाद हुआ। माननीय सदस्यों ने जो चर्चा के विषय उठाए और जो सार्थक सुझाव दिए, उनके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

नियम 62 के अंतर्गत 4 विषयों पर चर्चा की गई। नियम 101 के अंतर्गत दो गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए गए जिन पर सार्थक चर्चा की गई और दोनों संकल्पों को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

नियम 130 के अंतर्गत प्रदेशहित से जुड़े दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा बहुमूल्य सुझाव दिए गए।

इस सत्र के दौरान कुल-मिलाकर 217 तारांकित तथा 91 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए।

27/08/2016/1710/MS/AS/2

सत्र की प्रथम बैठक में ही सभा द्वारा संविधान का एक सौ बाइसवां संशोधन विधयेक, 2014 का सर्वसम्मति से अनुसमर्थन किया गया। 8 सरकारी विधेयक भी सभा में पुनःस्थापित एवं पारित हुए। नियम 324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 10 विषय सभा में उठाए गए तथा सरकार द्वारा इस संबंध में वस्तुस्थिति की सूचना भी सभा को दी गई।

सभा की समितियों ने भी 25 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत एवं उपस्थापित किये। इसके अतिरिक्त मंत्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए।

अंत में मैं आप सभी का धन्यवादी हूं कि आपने सभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया। विशेषतौर पर सदन के नेता श्री वीरभद्र सिंह और प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, माननीय नेता विपक्ष का मैं खासतौर पर धन्यवादी हूं। उन्होंने इस सदन के संचालन में पूरा सहयोग और मार्गदर्शन दिया। माननीय मंत्रीगण एवं सदस्यों ने भी सदन के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी सदन के संचालन में इनकी ओर से इसी तरह का सहयोग मिलता रहेगा।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

27.08.2016/1715/जेके/एएस/1

अध्यक्षः------जारी-----

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय तथा सभापति तालिका के सदस्यों का भी आभारी हूं जिन्होंने सदन के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया। प्रैस के बन्धुओं और प्रिन्ट मिडिया के साथियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन-रात सेवाएं दी, वे भी प्रशंसनीय है।

इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं, इस सभा में उपस्थित सभी से मेरा निवेदन है कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

राष्ट्रीय गीत

(सभा मण्डप में उपस्थित सभी राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए)

अब इस माननीय सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक 27 अगस्त, 2016 **सचिव।**